लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

(Third Session)

6th Lok Sabha

Preservation
Parliament Library
18-9-92

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विसूची/CONTENTS

अंक 12 गुरुवार, 1 दिसम्बर, 1977/10 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 12 *Thursday, December* 1, 1977/*Agrahayana* 10, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1–10
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 227 और 229	*Starred Questions Nos. 225 to 227 and 229.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	10–112
तारांकित प्रश्न संख्या 224,228, 230, 231, और 233 से 243	Starred Questions Nos. 224, 228, 230, 231 and 233 to 243.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2133,2135 से 2170 2172 से 2202, 2204 से 2228 और 2230 से 2302	Unstarred Questions Nos. 2133, 2135 to 2170, 2172 to 2202, 2204 to 2228 and 2230 to 2302.	
प्रश्नों तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं की स्वीकार्यता के बारे में	*Re.* Admissibility of Questions and Calling Attention Notices	112–114
समुद्री तुफान ग्रस्त क्षेत्रों संबंधी चर्चा के बारे में	*Re.* Discussion on cyclone affected areas	114–116
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	116–117
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	118–137

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—345 LSS/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(एक) देश के समुद्री तूफान से ग्रस्त दक्षिणी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में केन्द्रीय सरकार की कथित असफलता—	(i) Reported failure of Central Govt. to give adequate financial Assistance to cyclone hit southern States—	118–127
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	118,121, 122
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	118–120
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	122–127
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	Shri V. Kishore Chandra S. Deo	123–124
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	125–126
श्री ए० सुन्ना साहब	Shri A. Sunna Sahib	126–127
(दो) बंगला देश से भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने का समाचार—	(ii) Reported large state influx of refugees from Bangladesh—	128–137
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	129, 130, 132
श्री एस० कुन्डू	Shri S. Kundu	129–130
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	133–134
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta	134
श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	135
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	135–136
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyyan	136–137
मंत्री का परिचय—	Introduction of Minister—	
श्री आरिफ बेग	Shri Arif Beg	121
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	137
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
चौंतीसवां प्रतिवेदन	Thirty fourth Report	138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति—	Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	138
चौथा तथा छठा प्रतिवेदन	Fourth and Sixth Reports	138
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री के० रघुरामैया	Personal Explanation by Member— Shri K. Raghu Ramaiah	138
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377—	
(एक) लक्षद्वीप में समुद्री तूफान से हुई क्षति	(i) Havoc caused by Cyclone in Lakshadweep	139
(दो) रुग्ण कपड़ा मिलों में कपड़े का स्टाक जमा होना	(ii) Accumulation of stocks in some sick Textile Mills	139–140
(तीन) वाशिंगटन में भारतीय दूतावास अधिकारी पर हमला	(iii) Attack on Indian Embassy Official in Washington	140
'समाचार' के बारे में सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा वक्तव्य के संबंध में प्रस्ताव—	Motion re: Statement on Samachar by the Minister of Information & Broadcasting—	140–147
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	140–142
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan	142
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	142–144
श्री एल० के० अडवानी	Shri L. K. Advani	144

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 1 दिसम्बर, 1977/10 अग्रहायण, 1899 (शक)

Thursday, December 1, 1977/*Agrahayana* 10, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

टेलिफोन परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन

*225. श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का निर्धारित तारीख अर्थात् 30 सितम्बर, 1977 को पुनर्गठन हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma): (a) No, Sir.

(b) The Constitution of Telephone Advisory Committees was reviewed in detail and was finalised in the later half of September. The different Heads of Telecom. Circles/Telephone Districts have been advised to send their proposals representing various interests. After obtaining complete proposals from Telecom. units, the T.A.Cs. will be constituted.

श्री आर० के० महालगी : श्रीमन्, बजट सत्र में ही इस सभा को स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि समूचे देश में टेलीफोन सलाहकर समितियां सितम्बर, 1977 के अन्त तक पुनर्गठित कर दी जायेंगी । ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय अपना वचन पूरा नहीं कर सका । इसके क्या कारण हैं ?

श्री बीजलाल वर्मा : सभी राज्यों से सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री आर० के० महालगी : क्या मंत्रालय यह बता सकता है कि ये समितियां कब तक पुनर्गठित कर दी जायेगी ।

श्री बृजलाल वर्मा : मैं समझता हूँ कि इस महीने में उनका पुनर्गठन हो जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the reasons for delay in the reconstitution of these committees? What is the criterion for selection of persons for those committees, will you kindly ensure that persons, who gained entry into these committees through dubious means, are not successful now?

Shri Brij Lal Verma : We are going to have separate committees for the urban and the rural areas. We are reviewing the rules with a view to give representation to the urban as well as rural areas. As regards delay, we had invited suggestions from District Heads and the Committees would be constituted as soon as their proposals are received.

श्री के० लक्प्पा : श्रीमन्, टेलीफोन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन में अत्यधिक विलम्ब हुआ है । इसका कारण और कुछ नही बल्कि इनका सदस्य बनने में जनता पार्टी के सदस्यों की आपसी होड़ है । भूतपूर्व मंत्री श्री फार्नेंडो ज ने एक दिन मुझे बताया था कि वे टेलीफोन सलाहकार समितियों का पुनर्गठन करते समय उसमें राजनीतिज्ञों को नहीं रखा जायेगा । मैं वर्तमान मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ । क्या टेलीफोन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन के लिये कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तय किये गये हैं ? क्या आप अश्वासन देंग कि समूचे देश में टेलीफोन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन करते समय दलगत राजनीति को दूर रखा जायेगा ?

श्री बृजलाल वर्मा : समितियों के गठन में कोई दल गत राजनीति नहीं होगी । इस समितियों के गठन का आधार होगा, राज्य सरकारों, राज्य विधान मण्डलों, संसद सदस्यों, नगर निगमों के सदस्यों और व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतिनिधित्व । प्रैस, मेडिकल और कानून के व्यावसायियों के भी प्रतिनिधि होगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या यह सच है कि सारे देश में इन समितियों के पांच से सात और पचास से साठ तक सदस्य हैं ? क्या नवगठित समितियों की सदस्य संख्या बहुत होगी और क्या सदस्यों की अधिक संख्या काम करने में सहायक होगी ? क्या इसमें सम्बधित निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य होंगे ? इन समितियों के सदस्यों का वास्तविक दर्जा क्या होगा ? पहले इन सदस्यों ने इस पद को रिश्वत लेने का जरिया बना लिया था । जब तक आप निष्ठावान व्यक्तियो को नहीं चुनते हैं, आप इसे नहीं रोक सकते ।

श्री बृजलाल वर्मा : विभिन्न श्रेणी के इन समितियो को निर्धारित सदस्य-संख्या है । बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में सदस्य संख्या 31 से अधिक होगी । अन्य स्थानो में, जहाँ टेलीफोन लाइनो की संख्या एक लाख से कम है, वहां सदस्य संख्या 21 होगी । सदस्यो का दर्जा सलाहकार का है और उन्हें कोई कार्यपालक कार्य नहीं करना होगा जैसाकि पुरानी सलाहकार समितियों के सदस्यों को करना होता था ।

श्री एम० मोहनरंगम : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने कहा है कि निकट भविष्य में गठित की जाने वाली समितियों में नगरपालिकाओं और नगर निगमों के प्रमुख सदस्यों को शामिल किया जाएगा । क्या विरोधी दलों के सदस्यों को इन समितियों में रखा जायेगा या नही?

श्री बृजलाल वर्मा : इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ।

Shri R. L. P. Verma : Do you propose to constitute advisory committees as District level also so as to check bungling in the Telephone exchanges?

Shri Brij Lal Varma : Representation will be given to rural areas at Provincial level and not at District level. So far membership was confined to urban areas only.

Shri Mani Ram Bagri : Will you kindly ensure that Harijans, backward classes, minorities, muslims and women are adequately represented on these committees? They should have a representation of 60 to 70 per cent.

Shri Brij Lal Verma : There is no separate reservation for them but we will keep it in mind.

कुद्रेमुख परियोजना में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

*226. श्री के० लकप्पा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख परियोजना अपनी रोजगार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये स्थानीय व्यक्तियो को रोजगार नहीं दे रहा है ; और

(ख) कुद्रेमुख परियोजना में विभिन्न श्रेणियो के अन्तर्गत कर्नाटक के कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पाटनायक) : (क) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए लागू भर्ती नीति के अन्तर्गत यथासम्भव अधिकाधिक स्थानीय लोगों को नौकरी दे रही है ।

(ख) गत दस वर्षो में निर्धारित सरकारी नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो में क्षेत्रीय निवास-स्थान के आधार पर कर्मचारियो के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस वर्ष की नितियो की परम्परा का उल्लेख किया है जिसे वे जारी रखना चाहते है। वे कोई नई नीति नहीं अपना रहे हैं । कुद्रेमुख परियोजना बड़े पैमाने पर कर्नाटक राज्य में चलाई जा रही है । गत वर्षो में साक्षरता में बहुत वृद्धि हुई है । अनेक डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति इंजीनियर, स्नातक, अवर-स्नातक नौकरियां के लिये चक्कर काटते फिरते हैं । कर्नाटक में प्रतिभाशाली व्यक्ति उपलब्ध हैं और उन्हें कुद्रेमुख परियोजना में नहीं रखा जा रहा है प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य प्रधिकारी रसोइये भी अन्य राज्यो से ला रहे हैं । तृतीय और चतुर्थ श्रेणियो में भी स्थानीय लोगो को नहीं रखा जा रहा है । क्या मंत्री महोदय जांच करेंगे कि कर्नाटक राज्य में उपलब्ध प्रतिभाशाली लोगो को, जिनके नाम रोजगार कार्यालयो में दर्ज हैं और जिन्होने नौकरी के लिये आवेदन भी किया है, क्यो नहीं रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न का ही उत्तर दें ।

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणीयों के लिये भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयो के माध्यम से ही की जाती है । रसोइयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उनको रसोई कौन बनाता है या कौन अपने घर से रसोइया लाया है ।

उच्च श्रेणी का कोई अधिकारी अपना निजी सेवक रख सकता है और मैं समझता हूं कि न तो यह सभा और न ही आप इससे उन्हें वंचित करेंगे। केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के लिये भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही की जाती है। जहां तक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार उनका कोटा तो हर हालत में पूरा किया जाता है। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक कर्नाटक के व्यक्तियों का सम्बन्ध है यह परियोजना ऐसे क्षेत्र में स्थित है कि कर्नाटक से बाहर के लोग वहां जाना नहीं चाहते। माननीय सदस्य को कोई डर नहीं होना चाहिये कि लोग कर्नाटक की ओर भाग कर आ रहे हैं। मुख्य रूप से स्थानीय लोगों को रखा जाता है।

श्री के० ए० राजन : सामान्य तौर पर ऐसी परियोजनाओं में कुछ कार्य ठेके पर दिये जाते हैं। क्या उन ठेकेदारों को इस बारे में कोई निर्देश दिये गये हैं ?

श्री बीजू पटनायक : यह संभव नहीं है।

श्री के० मालन्ना : मंत्री महोदय का उत्तर अस्पष्ट है। स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों को नहीं रखा जा रहा है। जो भी उन्होंने सभा में कहा है वह झूठ है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शब्द प्रयोग न कीजिए।

श्री के० मालन्ना : इसके अतिरिक्त विकलांग अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों को जो रोजगार पाने के हकदार है कोई अवसर नहीं दिया जाता है। इन श्रेणियों के लोगों की नियुक्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या वे स्पष्ट आश्वासन देंगे कि उनके हितोंकी रक्षा की जायेगी ?

श्री बीजू पटनायक : जब तक माननीय सदस्य 'झूठ' शब्द वापिस नहीं लेते, मैं उत्तर नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह शब्द वापिस लेना चाहिए।

श्री के० मालन्ना : मैं यह शब्द वापस लेता हूं।

श्री बीजू पटनायक : विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार ने तीन महीने पहले ही निर्णय किया है कि जहां भी संभव हो उन्हें रोजगार देने के प्रयास करने चाहियें। विकलांग व्यक्तियों को कुछ खास किस्म के काम ही दिये जा सकते हैं। निश्चय ही खनन उद्योग में विकलांग लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। जहां भी मशीनों और उपकरणों का उपयोग होता है उन्हें नहीं रखा जा सकता है। वे कार्यालय में ही कार्य कर सकते हैं। यह परियोजना अभी निर्माणावस्था में है। परियोजना आरम्भ हो जाने पर हम इस पर ध्यान देंगे। माननीय सदस्य के सुझाव के लिये मैं उसका आभारी हूं।

डा० कर्ण सिंह : क्या यह सही नहीं है कि विकलांग व्यक्ति कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं विश्व में यह सर्वविदित है कि वे कारखानों में काम करते हैं। दिल्ली और फरीदाबाद में भी वे मशीनों पर काम करते हैं। अनेक विकलांग व्यक्तियों जो अपनी टांगें खो चुके हैं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा सकता है। उन्हें कार्यालयों में काम तक सीमित न रखें। यदि आप सहानुभूति-पूर्वक देखें तो आप उन्हें रोजगार दे सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां काम को समय पर पूरा करना है वरना उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ेगी ।

Shri D. N. Tiwary : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister said that recruitment to class III and IV posts is done through local employment. . . . .

Shri Biju Patnaik : It is being done and it is compulsory.

Shri D. N. Tiwary : It is not correct. I know in Bihar people are recruited from outside and even porters are also brought from other places as is the case in Bokaro Steel Plant. Will you kindly look into it?

श्री बीजू पटनायक : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि बिहारियों को कलकत्ता में कोई काम नहीं मिलेगा या बंगाल के किसी व्यक्ति को बिहार नहीं जाना और वहां काम नहीं करना चाहिये ?

श्री ए० आर० बद्री नारायण : कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को उग्रता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अपने आपको संतुष्ट करेंगे कि कुद्रेमुख परियोजना में नियुक्ति के मामले में कर्नाटक के लोगों के साथ न्याय किया जाता है ?

श्री बीजू पटनायक : न्याय किया गया है और किया जाता रहेगा ।

Assistance to States for Development of Ayurveda

*227. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government have agreed to provide additional assistance to States for the development of Ayurveda; and

(b) if so, how much and to which States?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) & (b) Sir, no additional assistance to the State Governments for the development of Ayurveda has been agreed to so far. However, in the Fifth Five Year Plan Central assistance is being given to the States for the following Schemes of Indian Systems of Medicine which cover Ayurveda also :—

(i) Upgradation of Post-graduate departments in Indian Systems of Medicine.

(ii) Development of the State Pharmacies in Indian Systems of Medicine. The Fifth Plan outlay for the above two schemes is Rs. 122.00 lakhs and Rs. 75.00 lakhs respectively.

Shri Hargovind Verma : Will the Hon. Minister be pleased to state whether more funds would be provided in the ensuing Plan for supply of proper medicines to the people at Ayurvedic, Unani and Allopathic dispensaries in rural areas where a sum of Rs. 18,000 are already being spent annually and medicines worth Rs. 1800 are being distributed in a year?

Shri Raj Narain : It will take sometime to answer appropriately the supplementary asked by the hon. Member, who must be knowing the development programmes which we have framed and the amount spent and provided by us for such programmes.

Let me make clear that the Fifth Plan is not going to be started but it is coming to an end. In the Fifth Plan an amount of Rs. 10.02 crores were earmarked for Central Sector and Rs. 15.37 crores for State Sector. The hon. Member will observe that we have increased the allocation by Rs. 6 crores. The hon. Member would let to know the practices followed by us in the past and the items on which money was spent. The pace of development of Indian Systems of medicine took place in 1969-70 and since then the following programmes and schemes are being run or being formulated:—

(1) Bhaishaj Samhita Laboratory, Indian System of Medicine, Ghaziabad.

(2) Central Research Council of Indian and Homoeopathic Systems of Medicine, New Delhi;

(3) Central Council of Indian System of Medicine;

(4) The grants-in-aid to the pre-degree Colleges of Indian System of Medicine run by the voluntary organisations;

(5) National Unani Institute;

(6) Central Institute of Yogic Research;

(7) Development of Naturopathy;

(8) National Ayurvedic Institute, Jaipur;

(9) Establishing a National Institute of Naturopathy;

(10) Establishing Postgraduate Institutes/Faculties of Indian System of Medicine;

(11) Setting-up of a Central Pharmacy of Indian System of Medicines at Panikhet in the form of a corporation;

(12) Development of Pharmacies of Indian System of Medicine which include Herbariums.

Since the Government of India gave recognition to the Indian systems of medicine for being adopted in the development of national health services the allocation of funds therefor have been increasing during the five Plans as follows:—

First Plan	Rs. 37.5 lakhs.
Second Plan	Rs. 5 crores for State Sector and Rs. 1 crore for Central Sector.
Third Plan	Rs. 5 crores for State Sector and Rs. 3 crores for Central Sector.
Fourth Plan	Rs. 6.90 crores for State Sector and Rs. 8 crores for Central Sector.
Fifth Plan	Rs. 10.2 crores for Central Sector and Rs. 15.37 crores for State Sector.

It reveals that we have increased amply the allocation for State Sector and reduced allocation for Central Sector, but it will not serve the purpose. The hon. Members should know that the Health Ministry shares only 2 per cent of the Budget. I would, therefore, urge that they should get the budgetary allocation increased for this Ministry for the sake of their health.

The hon. Member has asked about the future programmes. . .

Shri Mohd. Shafi Qureshi: If you want to go in so much detail, the remaining Members will have to leave without asking their questions.

Shri Raj Narain: Mr. Qureshi was in the habit of evading replies to Questions and even now he wants to create the same situation. Janata Party will not indulge in such practice since it belongs to the people. He should not have made a wrong statement that he would leave the House if I make a detailed reply.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I have said that if you want to give a long reply the remaining Members eager to ask their questions may go home and you may continue your speech.

Shri Raj Narain: I am replying the Question put to me. As regards future programmes. . .

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरेशी, जितना आप बीच में बोलेंगे, उतना ही अधिक समय उन्हें लगेगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: मंत्री महोदय को भविष्य में सभी हिन्दी उत्तर सभा पटल पर रख देने का निदेश दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय: श्री राजनारायण, आप उत्तर का शेष भाग सभा-पटल पर रख दें ।

Shri Raj Narain: Mr. Speaker, my difficulty is that where as the Congress Government used to evade replies to my questions I am now not being allowed to make full replies. As far as future programmes are concerned, I want to say that:—

(1) An Ayurvedic hospital having 250 to 300 beds with the set up in Harinagar, New Delhi. Although 500 beds are proposed to be provided there, half of them for Ayurvedic treatment and half for Allopathic treatment, but with a view to promote Ayurvedic System we want to increase the number of beds for Ayurvedic treatment to 300;

(2) There is another scheme for building an Ayurvedic, Unani and Homoeopathic hospital in Chandiwale Estate, Kalkaji, New Delhi. This hospital will have 100 beds each for these Systems of medicine. The implementation of this scheme will depend upon the availability of funds;

(3) Publication of books;

(4) Training of Vaidyas for rural areas;

(5) Setting up Regional Institute of Indian Systems of Medicine (3 for Ayurvedas and one each for Unani and Sidha) and there will be one premedical College and four post graduate faculties in these institutes. I am doubtful about assistance but we are trying to get it;

(6) Extension of programmes on hygiene and health care through Indian systems of medicine.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: व्यवस्था का प्रश्न है यदि प्रश्नों के उत्तर देने का यही तरीका है तो. . .

Shri Raj Narain: The opposition do not want to listen to me. They do not want to see the development of Ayurvedic, Sidha, and Yoga.

अध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों पक्षों का सहयोग मांग रहा हूं । प्रश्न काल में केवल प्रश्नों का उत्तर दिया जाये । नीति विषयक वक्तव्य देने के लिए उन्हें कोई और अवसर लेना होगा । प्रश्नों के उत्तर छोटे दिये जायें ।

Shri Mani Ram Bagri: On a point of order. Please do not let this House be a durbar where details are not brought before the people. The Ministers are criticized for not giving full information. So it would be unfair if one says that he does not want to listen to a Minister who is fully explaining the position. Sir, I agree with you that more time should be provided to the Opposition Members. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं । यदि वरिष्ठ सदस्य सहयोग नहीं करेंगे तो सभा को नियंत्रित करना कठिन होगा । इस बारे में विशेष जिम्मेवारी सत्तारूढ़ दल की है ।

Shri Raj Narain : Sir, is it not our duty to state the future schemes for development of Ayurveda as asked for by the hon. Members?

Shri Hargovind Verma : Will the hon. Minister the pleased to state whether Unani, Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries are proposed to be opened in a large number in rural areas instead of urban areas since there is a great dearth of such dispensaries in rural areas?

Shri Raj Narain: Till Dr. Karna Singh was the Minister incharge there were posted only two doctors at primary health centres but we have increased this number. We are going to increase one Ayurvedic doctor each in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh. An additional Homoeopathic doctor will be posted in Calcutta and an additional Sidha doctor in Tamilnadu. One additional doctor of such indigenous system of medicine as prevalent in a region will be provided in each respective region.

In every primary health centre there will be provided one public health caretaker after every 1000 people and such caretaker shall be picked up by the community itself and he will be imparted a training of 2-3 months' duration and will be paid Rs. 200. He will be equipped with a kit containing mostly indigenous medicines.

There is also a scheme to provide one trained midwife in each locality and one multi-purpose worker after every 5000 people. We are making efforts to open in every district a hospital of Ayurveda, Unani, Homoeopathy or any other indigenous system which is popular in that area.

In a nutshell, we want that the people may become the caretaker of their own health and medical facilities are available in each and every village.

Incomplete Health-Sub-Centres Affecting Medical Facilities to Rural People

*229. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether rural people are unable to get medical facilities because of incomplete health sub-centres and the shortage of residential houses for the staff;

(b) if so, the number of incomplete sub-centres and residential buildings; and

(c) the time by which construction thereof would be completed?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a), (b) & (c) Integrated health care comprising of preventive and curative services, Family Welfare Planning, Maternity and Child Health, School Health, Nutrition Education etc. are being provided through a net-work of Primary Health Centres and Sub-Centres to the Rural Population. However, it is a fact that there is a back-log in the construction of Buildings for the Primary Health Centres, sub-Centres and residential houses for the staff. A statement showing the position of Primary Health Centres, buildings and staff quarters for the key personnel at the primary Health Centres in various States/Union Territories as on 1-4-1975 is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in the Library.** *See* **No. LT-1222/77.]**

Shri Yuvraj : The Statement given by the hon. Minister does not contain any information regarding Uttar Pradesh and Bihar. These health centres cater the needs of 82 per cent of the population in the entire country but he has not given any information as to how many health sub-centres are there, how many buildings for these health centres and how many residential quarters for staff are half built in these two States.

There is a difference between the health sub-centres and the primary health centres. There are 587 blocks in Bihar and there are 3 health sub-centres in each block. It indicates that there are about 1500 to 1600 sub-centres in a State. But the respective figures of each State as given by him are quite incomplete. This shows how much inefficient is his Secretariat. Does the hon. Minister admit the inaccurcy of his figures?

Shri Raj Narain : I admit that the information does not contain figures of Uttar Pradesh and Bihar but whatever figures I have given about other States are accurate.

As to why the figures of Bihar and Uttar Pradesh could not be collected, I would like to explain the reasons in regard to Bihar first. Bihar has experienced frequent changes in its Chief Ministers as a result of Centre's interference. Such situation has been in Uttar Pradesh also. The Central Government had been toppling the Governments one after another in these two states and thus did not allow the Government there to function. Whatever information I have given was furnished by the previous State Governments. So the hon. Members may themselves understand the position.

The hon. Member has correctly stated the total number of primary health centres as 5,372. There is a shortage of 918 centres and it is likely that this number will be increased by 230. By the end of April 1978 there may remain a shortage of 688 centres. As regards sub-centres, their envisaged number is 37,931 whereas only 15,462 sub-centres have been set up and 3,491 sub-centres will be opened, leaving shortage of 11,971 sub-centres. The hon. Member has rightly shown his concern about their shortage. Since the Janata Party has come into power, constant efforts are being made in this direction.

Health is primarily State subject. We extend assistance to the states where dispensaries of ayurvedic and other indigenous system are being set up in rural areas. We are liberal in this respect. We gave an assistance of Rs. 4 crores and Rs. 3 crores to Kerala and Uttar Pradesh respectively. Why there has been injustice to Uttar Pradesh? Since all the previous Prime Ministers

belonged to Uttar Pradesh, and so with a view to safeguard their Prime Ministership they used to neglect Uttar Pradesh and give more money to other States. Now Shri Morarji Desai is our Prime Minister who is the eldest and full of wisdom.

Shri Yuvraj : In the statement, the figures in regard to Himachal Pradesh are; the number of Primary Health Centres: requirement 76, existing 52, balance 24; the number of medical officers' quarters 111. It shows 76 as the number of Primary Health Centres and 111 as the number of medical officers' quarters. The statement is incomplete, since the number of medical officers' quarters should tally with the number of centres. These health sub-centres are not under the control of State Governments but they get funds from the Planning Commission.

Shri Raj Narain : As I have already stated two doctors are provided for each Primary Health Centres. In the case of Himachal Pradesh the number of Primary Health Centres is 76 and as such there should be 152 (76×2) doctors. But some of the Centres are provided with only 1 doctor and some will 2, their total number has been shown as 111. This answer is complete.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नये एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना

*224. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्यूमिनियम के नये संयंत्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) बाक्साइट के पर्याप्त निक्षेप की उपलब्धता तथा एल्यूमिनियम की अंतर्राष्ट्रीय मांग के बारे में किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजनायें आरंभ करने के मामले में अंतिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : पूर्वी घाट क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए उपयोगी बौक्साइट के अनुमानित भंडारों के आधार पर जहां लगभग एक हजार मिलियन टन बाक्साइट भंडार होने के प्रारम्भिक संकेत हैं, एल्यूमिना/अल्यूमिनियम कारखाने लगाने के प्रस्ताव हैं । अब तक की खोजों के परिणामों से इस संभावना के प्रति काफी रुचि पैदा हुई है कि भारत विदेशों में स्थापित किए जा रहे अथवा स्थापित किए जाने वाले नये एल्यूमिनियम कारखानों को अल्यूमिनियम की पूर्ति करने वाला एक प्रमुख स्रोत हो सकता है । इन भंडारों की मात्रा और उनकी खुदाई आदि पर खर्च के बारे में सही सही आकलन करने की दृष्टि से बड़े अल्यूमिना/अल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना हेतु शीघ्र

ही साध्यता अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव है । इस अध्ययन के फलस्वरूप आंतरिक मांग और विश्व मांग के संदर्भ में इन उत्पादों के विपणन की संभावना का भी पता चल जायेगा ।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय व्यापक साध्यता अध्ययन पूरा कर लिये जाने, उसकी जांच कर लिये जाने तथा वित्त/विपणन प्रबंध कर लिये जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

आंध्र प्रदेश में स्टाक यार्ड

*228. **श्री जो० एस्० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में पर्याप्त संख्या में इस्पात के "स्टाक यार्ड" हैं ; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं से इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

महिलाओं को रोजगार

*230. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रोजगार सुविधाओं में भेदभाव किए जाने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् रोजगार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात कम हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कृषि में महिला श्रमिकों की संख्या वर्ष 1951 में 3 करोड़ 10 लाख से घटकर वर्ष 1971 में 2 करोड़ 50 लाख रह गई है ; और

(ग) यदि हां, तो महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

1971 के जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि 1951 तक पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों के अनुपात में कमी आई है । वर्ष 1961 में कुछ वृद्धि हुई है और वर्ष 1971 में फिर कमी हुई है । तथापि वर्ष 1961 और 1971 के आंकड़ 'श्रमिक' शब्द (जिसमें वर्ष 1961 में गौण श्रमिकों को शामिल किया गया था परन्तु वर्ष 1971 में इन श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया था) की परिभाषा में भिन्नता होने के कारण पूर्ण रूप से तुलनात्मक नहीं है ।

कृषि में महिला श्रमिकों की संख्या (जनगणना के अनुसार) जो वर्ष 1951 में 310 लाख थी बढ़कर वर्ष 1961 में 470 लाख हो गई और बाद में वर्ष 1971 में घटकर 250 लाख हो गई । यहां फिर परिभाषिक भिन्नता होने के कारण आंकड़े तुलनात्मक नहीं है ।

अगली पांच वर्षीय योजना के बनाने के सन्दर्भ में महिलाओं के रोजगार संबंधी विभिन्न मामलों की जांच करने के लिये हाल ही में महिलाओं के रोजगार संबंधी कार्यकारी दल की स्थापना की गई है।

Review of Procedure for Purchase of Medicines

*231. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Department of Administrative Reforms had suggested that, in order that medicines are made available to patients immediately and in time, the procedure followed in purchase of medicines be reviewed; and

(b) if so, how far and what relief the patients have got as a result of this review?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) In their Study Report on the Working of Central Government Health Scheme dispensaries submitted in September, 1977, the Department of Personnel and Administrative Reforms have made certain suggestions for securing quicker supply of medicines to the patients.

(b) The suggestions made in the Study Report are under consideration and will be implemented to the extent found feasible.

औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री नियम, 1975 के नियम 71(4) में संशोधन

*233. **श्री बापु साहिब पुरुलेकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री नियम 1975 के नियम 71 (4) में जो संशोधन किया गया था और जो 5 फरवरी 1976 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुआ था उससे छोटे निर्माता एककों को बहुत अधिक कठिनाई हुई है और अनेक निर्माताओं को अपने एकक बंद करने के लिये बाध्य होना पड़ा ;

(ख) यह संशोधन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) : 5 फरवरी 1976 को प्रकाशित औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 71 (4) के संशोधन-मसौदे के बारे में जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मतों पर विचार करने के उपरान्त इस नियम के संशोधन को अन्तिम रूप देकर इसे 16 जुलाई 1977 को विधिवत् अधिसूचित कर दिया गया। उक्त संशोधन में यह व्यवस्था है कि औषध निर्माताओं की अपनी अपनी परीक्षण प्रयोगशालाएं होनी चाहिएं। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि निर्माता अपने उत्पादों की क्वालिटी के बारे में अन्य बाह्य प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं अपने ही परीक्षणों द्वारा उसका पता लगा सकें।

माननीय सदस्य ने जिन छोटे निर्माता यूनिटों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप उन्हें अपने यूनिट बन्द करने को बाध्य होना पड़ा, सरकार को ऐसी किसी यूनिट का पता नहीं है ।

(ग) दो लघु निर्माता यूनिटों से अभ्यावेदन मिले हैं जो विचाराधीन हैं ।

Export of Minerals and Import of Finished Goods

*234. **Shri Yagya Datt Sharma :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether minerals are exported abroad and finished goods thereof are imported; and

(b) if so, the names of such minerals?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) (b) : Our major mineral exports are iron ore, manganese ore, chromite, mica and barytes. Some sophisticated types of steel which are not produced in the country or whose indigenous production is inadequate, as also some sophisticated fabricated mica products which are not produced in the country, are imported. There are also some very small imports of special types of ferro alloys, but the export of ferro alloys is much larger than import.

बीड़ी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि

*235. **श्री एन० एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि को बीड़ी कर्मचारियों के लिए भी लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 को बीड़ी का उत्पादन करने वाले उद्योग में 31 मई, 1977 से पहले ही लागू कर दिया गया है ।

पासपोर्ट के लिये आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि

*236. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अगस्त, 1977 से पासपोर्ट आवेदनपत्रों संबंधी नए अनुदार नियमों के लागू होने के पश्चात् पासपोर्ट के लिये नए आवेदनपत्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी हां । अगस्त-अक्तूबर, 1977 की अवधि में 9 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए 2,99,502 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो मई-जुलाई, 1977 की अवधि में प्राप्त 2,44,625 आवेदन पत्रों की तुलना में 22.43 प्रतिशत अधिक थे

(ख) इन आवेदन पत्रों के राज्यवार विवरण के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारत में स्वर्ण उत्पादन

*237. श्री के० मायातेवर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने सोने का उत्पादन होता है और उत्पादन में संलग्न कंपनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) सोने के बाजार मूल्य की तुलना में उसकी उत्पादन लागत क्या है ;

(ग) सोने खनन कंपनियों का वित्तीय दृष्टि से कार्यकरण किस प्रकार है ; और

(घ) कम लागत पर सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) कृपया संलग्न विवरण 1 देखें ।

(ख) कृपया संलग्न विवरण 2 देखें ।

(ग) वित्त वर्ष 1976–77 में भारत गोल्ड माइन्स लि० को लगभग 124 लाख रुपये का घाटा हुआ जबकि हट्टी गोल्ड माइन्स लि० को 72 लाख रुपये का कर-पूर्व लाभ हुआ । जहां तक हिन्दुस्तान कापर लि० का संबंध है यह स्वर्ण उत्पादन करने वाली कंपनी न होकर तांबा उत्पादक कंपनी है और वह उपोत्पाद के रुप में बहुत कम मात्रा में सोने का उत्पादन करती है ।

(घ) भारत गोल्ड माइन्स लि० कोलार गोल्ड फील्डस में काफी गहराई पर खनन कार्य करती है इसलिए उसकी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है । कंपनी भारतीय भू सर्वेक्षण के सहयोग से कोलार गोल्ड फील्डस के बाहर के इलाकों में सोने के लिए भूगर्भीय खोज कार्य के अलावा कोलार गोल्ड फील्डस में और उसके आसपास नयी रीफों की लगातार खोज करके स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है ।

विवरण 1

1976-77 और 1977-78 के दौरान स्वर्ण उत्पादन

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	उत्पादन (लाख ग्रामों में)	
		1976–77	1977–78 (अक्टूबर, 1977 तक)
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि० (केन्द्रीय सरकार का प्रतिष्ठान)	22.04	10.37
2.	हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि० (कर्नाटक राज्य सरकार का प्रतिष्ठान)	8.80	5.32
3.	हिन्दुस्तान कापर लि० (केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान)	0.36	1.11

विवरण 2

सोने का प्रचलित मूल्य (दोनों आन्तरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य)

(सभी आंकड़े रु० में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	उत्पादन लागत प्रति 10 ग्राम	प्रचलित मूल्य प्रति 10 ग्राम			
			1976–77		1977–78	
		1976–77	आन्तरिक बाजार	अंतराष्ट्रीय बाजार	आंतरिक बाजार	अंतराष्ट्रीय बाजार
1.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	499.49	560	390	690	420*
2.	हट्टी गोल्ड मांइन्स लि०	469.35	वहीं	वहीं	वही	वही
3.	हिन्दुस्तान कापर लि०	उपलब्ध नहीं	वही	वही	वही	वही
					अगस्त, 1977 के लिए यथा सूचित ।	

इस्पात की उत्पादन लागत में कमी किया जाना

*238. श्री पी० एस० रामलिंगम् : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के यूनिटों में इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करेंने के लिए क्या प्रयास किये गये ह; और

(ख) उन प्रयासों के परिणामस्वरूप क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि, क्षमता के बेहतर उपयोग, अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमों, महंगी आदान सामग्री के कम उपयोग, अतिक्षय तथा कच्चे माल की कमी पर बेहतर नियंत्रण आदि जैसे उपायों द्वारा लागत में उल्लेखनीय कमी की गई है। लेकिन आदान सामग्री की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, जिसपर इस्पात कारखानों का कोई नियंत्रण नहीं है, लागत में कमी करने के उपायों का प्रभाव पूर्णतया जाता रहा है। अगले कुछ वर्षों में कुछ प्रौद्योगिकीय नई प्रक्रियाओं द्वारा लागत में कमी लाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षा दिया जाना

*239. **श्री सी० आर० पट्टाभि : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के विचाराधीन ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षा देने के कुछ प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० रामकृपाल सिंह) : (क) और (ख) : इस बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिकों की शिक्षा के लिए एक योजना तैयार की है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इस योजना का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण श्रमिकों को इस संबंध् में विवेचनात्मक ज्ञान कराना है कि उनके सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण की समस्यांएं क्या है और श्रमिकों, ग्रामीण समाज के सदस्यों तथा नागरिकों के रुप में उनके हक तथा उनकी जिम्मेदारियां क्या है । इस योजना का उद्देश्य इस आशय से उनकी सहायता करना भी है कि वे अपनी समस्याओं कों हल करने के लिए प्रभावी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाएं । इस योजना के अन्तर्गत 1977-78 में बोर्ड के 7 क्षेत्रीय केन्द्रो में प्रायोगिक परियोजनाएं चलाई जाएंगी । इन परियोजनाओं की परिधि में भूमिहीन श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, बन तथा मत्स्य उद्योग श्रमिक, सीमान्त किसान ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति तथा आदिवासी श्रमिक आयेंगे । अन्य बातों के साथ-साथ इन परियोजनाओं में शामिल किए जाने वाले विषयों का संबंध निम्नलिखित बातों से होंगा :—

(1) कृषक आंदोलन तथा ग्रामीण श्रमिक संगठन ;

(2) ग्राम-विकास तथा परिवर्तन ;

(3) सामाजिक तथा विधायी उपाय जिसमें भूमि-सुधार शामिल है ;

(4) सहकारी शिक्षा, और

(5) जनसंख्या शिक्षा तथा परिवार कल्याण ।

कैंसर के रोग का पी०ए०पी० टेस्ट द्वारा पता लगाया जाना

*240. **श्री राजकेशर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पी० ए० पी० टेस्ट' का प्रयोग करके कैंसर रोग के 60 या 65 प्रतिशत मामलों में रोग का काफी पहले पता लगाया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्रों का जाल पुरे देश में बिछाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में प्रस्तावित कार्यवाही की रुपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) भारत में जिस प्रकार के कैंसर आम, देखने में आये है वे है पुरुषों में खासदार मुख की कैंविटी और उसके बाद मुखग्रसनी (ओरोफैरिक्स), कण्ठ, ग्रासनली और फेंफडों का कैंसर तथा महिलाओं में खासकर बर्माशय ग्रीवा और उसके बाद छाती और ग्रासनली का कैंसर। कुल रोगियों के लगभग 60% रोगी इन्हीं कैंसरों से पीड़ित होते हैं। 'पी० ए० पी० टेस्ट' का प्रयोग कर इनका शुरू में ही पता लगाया जा सकता है।

(ख) और (ग) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

उदार पारपत्र नीति

*241. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को उदार बना दिया है परन्तु सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया अब भी पहले ही की भांति जटिल है ;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता है और इसके लिए असीमित अवधि के लिए वैध एक असीमित राशि का एक जमानत पत्र जिस पर सम्बद्ध विभाग के किसी स्थायी कर्मचारी को हस्ताक्षर करने होते हैं, देना पड़ता है ;

(ग) क्या ऐसी परिस्थितियों में कोई भी जमानत देने को तैयार नही होता है और आवेदक पारपत्र हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने में विफल रहता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस समस्या को हल करने और इस मामले में अन्य तरीके खोजने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने पासपोर्ट देने की जिस उदार नीति की घोषणा की है—जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया को छोड़ कर सभी देशों के लिए पृष्ठांकन किया जाना और पासपोर्ट के आवेदको को अपने आवेदन पत्र संसद सदस्यों से सत्यापित करा लेना—वह सरकारी कर्मचारियों पर भी उतनी लागू होती है, जितनी की अन्य सामान्य जनों पर।

(ख), (ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी अपने विभाग की अनुमति के बिना अपने कार्यालय के शहर को नहीं छोड़ सकते, इसलिए पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकारियों को यह अनुदेश दे दिए गए है कि वे संबद्ध सरकारी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र लाने की सलाह दें कि आवेदक को पासपोर्ट दिए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पासपोर्ट प्राधिकारियों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर सके तो वे संम्बद्ध कर्मचारी के विभागाध्यक्ष को यह सूचित कर दे कि उसके अमुक कर्मचारी ने पासपोर्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है और साथ ही यह भी बता दे कि आवेदक को पासपोर्ट जारी किये जाने का इरादा है। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिभू बंधपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसी कोई मानक अपेक्षा निर्धारित नहीं की है जो सभी सरकारी विभागों पर लागू होती हो।

ठेका श्रमिकों के शोषण का अन्त किया जाना

*242. श्री ईश्वर चौधरी
श्री प्रसन्नभाई मेहता } :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न निर्माण-परियोजनाओं पर लगे ठेका श्रमिकों का शोषण समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने राज्यों का सहयोग मांगा है ;

(ख) क्या मंत्रालय को इन श्रमिकों को तंग किये जाने अर्थात ठेका समाप्त हो जाने पर भी उन्हें मजूरी न दिये जाने, श्रमिकों को रोके जाने और उनके साथ दुर्व्यवहार किये जाने या उनके साथ मारपीट किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारंग साय) : (क) हमने राज्यों के श्रम मंत्रियों से सहयोग मांगा है तथा उनसे अनुरोध किया है कि राज्य क्षेत्राधिकार में आने वाले उद्योगों में, जिनमें निर्माण परियोजनाएं भी शामिल है, ठेका श्रम अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए राज्य सरकारें उचित कार्यवाही करें।

(ख) और (ग) इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उड़ीसा के जिन दादन श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा उड़ीसा से बाहर बड़ी निर्माण परियोजनाओं के काम के लिए सामान्यत: नियोजित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों जहां दादन श्रमिक नियोजित हैं, का दौरा करने के लिए भेजे गए संयुक्त दलों द्वारा की गई जाचों से यहां अनुचित व्यवहार की विद्यमानता का पता चला है। उदाहरणार्थ मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नहीं दिया जाता; इन श्रमिकों के काम करने तथा रहन-सहन की दशाएं दयनीय है, इत्यादि। इन संयुक्त दलों के निष्कर्ष संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिए गए है ताकि वे समुचित उपचारी तथा सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इस प्रकार के मामलों में त्वरित सुधारात्मक उपाय करने की चिन्ता हमारी तरह सामान्यत: राज्य सरकारों को भी रहती है।

इस्पात का मूल्य

*243. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Doctors of Willingdon Hospital, New Delhi

2133. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the number of doctors working in the Willingdon Hospital, New Delhi, who have had no promotion for the last five, ten or thirteen years (during the rule of previous Government);

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to consider their cases for promotion, if so, when?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) The promotion of CHS Officers to higher grades of the Service is regulated in accordance with the provisions of the Central Health Service Rules on the basis of seniority, suitability of the officers and subject to availability of vacancies in various grades and specialities from time to time.

(c) Yes. Steps are being taken to increase the promotion avenues in the Central Health Service and convene Departmental Promotion Committees to fill in the existing vacancies.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पांच नये व्यावसायिक उच्च प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

2135. **श्री के० प्रधानी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत में पांच नये व्यावसायिक उच्च प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बारे में सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते का ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों सहित भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम को दिए जा रहे वित्तीय तथा उचित समर्थन का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा अन्तरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 23-9-1977 को इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली (ए० वी० टी० एस०) की परियोजना भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) के सहयोग से आरम्भ की गई हैं। इस प्रणाली के अधीन उच्च दक्ष कामगारों तथा तकनीशियनों को भिन्नभिन्न विकसित तथा परिष्कृत कौशलों में जो किसी अन्य व्यावसायिक प्राशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्ध नहीं हैं, प्रशिक्षण दिया जाएगा। परियोजना का कार्यकाल 4 वर्ष 6 माह का होगा। परियोजना की कुल लागत निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 997.35 लाख रुपए होगी :

भारत सरकार	181.83 लाख
राज्य सरकारें	243.05 लाख
यू एन डी पी	572.47 लाख

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता परिष्कृत (सोफिटिकेटिड) उपकरणों तथा मशीनरी, विशेषज्ञों और फेलोशिप के रूप में होगी। भारत सरकार और राज्य सरकारें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगी जैसे कि भवन, स्टाफ तथा देशी उपकरणों/अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निष्पादन (एक्सीक्यूटिंग) एजेंसी होगी।

यह प्रणाली उच्च प्रशिक्षण संस्थान मद्रास और बम्बई, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता तथा हैदराबाद में स्थापित पांच केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 16 चुने हुए प्रशिक्षण संस्थान में लागू की जाएगी। उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास शिरोबिन्दु (एपेक्स) के रूप में कार्य करेगा और पांच केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों जहां यह प्रणाली लागू की जाएगी सारे देश के लिए क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे।

संस्थानों तथा व्यवसाय जहां यह प्रणाली लागू होनी है, की सूचना संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1222/77]

उड़ीसा राज्य के बोलनगीर जिले में टिटलागढ़ में अल्युमिनियम कारखाने की स्थापना

2136. **श्री गगनाथ प्रधान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के बोलनगीर जिले में टिटलागढ़ में एक अल्युमिनियम कारखाना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वहां बाक्साइट, चूना पत्थर आदि कच्चा माल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और इस कारखाने के आरम्भ करने के लिए जल सप्लाई, तथा परिवहन सुविधाए काफी हैं ; और

(ख) क्या अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है और इस संबंध में कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) पूर्वी घाट बाक्साइट भंडारों (उड़ीसा भंडार सहित) पर आधारित निर्यात प्रधान एल्युमिना/अल्युमिनियम कारखाने लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। पूर्वी घाट में भंडारों की व्यापक खोज का काम हाथ में ले लिया गया है। अल्युमिना/एल्युमिनियम उत्पादन की आर्थिक उपादेयता पर विचार करने के उद्देश्य से, इन कारखानों के लिए उपयुक्त स्थल और उनके लिए आवश्यक पूंजी निवेश तथा साध्यता अध्ययन शुरू करने के बारे में गंभीरता से विचार हो पूंजी अनुमानों तथा संभावित स्थलों के बारे में साध्यता अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

आयुर्वेदिक दुग्ध गोली तैयार करना

2137. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक दुग्ध गोली तैयार करने सम्बन्धी प्रयोग सफल सिध्द हुआ है जो मां के दूध में प्रोटीन, कैलशियम और चिकनाई के तत्वों को बढ़ाने में सहायक होगी :

(ख) यदि हां, तो क्या इसे विश्व बाल चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी सम्मेलन में अनुमोदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में डा० बी० एन० पुरन्दरे और उसके दल को पूरा सहयोग दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इस सम्बन्ध में शतावारी' नामक आयर्वेदिक औषधिकी प्रभावकारिता का जायजा लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् में अध्ययन किए गए है। इस अध्ययन के निष्कर्ष उत्साहवर्धक हैं परन्तु 'दुग्ध गोली' नाम की कोई गोली अभी तक तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोयला खनिकों के लिए जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना

2138. श्री ए० के० राय : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कोयला खानों में कोयला खनिजों के लिए जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजना आरंभ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खनिजों की संख्या कितनी है जिन्होंने वास्तव में इस योजना को अपनाया है ; और

(ग) शेष मजदूरों द्वारा इस योजना को अभी तक न अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना पहली अगस्त, 1976 से लागू होती है। कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के सदस्यों की संख्या 31-8-1977 को 6.67 लाख है। तथापि, भूतपूर्व राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लगभग 12,000 कर्मचारी कोयला खान भविष्य निधि स्कीम से बाहर रखे जाने के कारण कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अतर्गत नहीं आते हैं। कोयला विभाग ने सूचित किया है कि योजना इन कर्मचारियों पर भी लागू की जानी चाहिए। मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

केरल के डाक लेखा कर्मचारी यूनियन को मान्यता देना

2139. श्री वयालार रवि : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक लेखा कर्मचारी यूनियन, केरल सर्किल, त्रिवेन्द्रम को मान्यता तथा कार्य की सुविधायें देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) डाक-तार विभाग की किसी अखिल भारतीय यूनियन या असोसियशन को बनाने के लिये मान्यता, उसके मामले के गुण दोष के आधार पर दी जाती है। नीचे के स्तरों पर उनको जो शाखायें बनाई जाती है उन्हें स्वतः मान्यता प्राप्त समझा जाता है। इसलिए सिर्फ केरल सर्किल की डाक लेखा कर्मचारी यूनियन को अलग से मान्यता नहीं दी जा सकी।

1-4-76 से लेखा परीक्षा विभाग से डाक लेखा का कार्य ले लेने के बाद लेखा परीक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त असोसीयेशन भी दो भागों में विभाजित हो गई थी और डाक-तार विभाग में अन्तरित डाक लेखा कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अखिल भारतीय डाक लेखा कर्मचारी असोसीयेशन का गठन किया गया था। इस असोसियेशन की सभी सर्किलों में शाखायें हैं। केरल सर्किल में भी इसकी शाखा है। अतः अब संबंधित कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त संघ के सदस्य बन सकते हैं और शायद बन भी गये हैं।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड को नियंत्रण में लेना

2140. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संयुक्त क्षेत्र उपक्रम मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपक्रम की कुल आस्तियां कितनी हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी जायेगी और उक्त उपक्रम के नये शेयरधारियों में शेयरों के वितरण का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ग) भारत सरकार तथा सेन्ट्रल प्रोविन्सिस मैंगनीज ओर कम्पनी लि० (सी० पी० एम० ओ०) के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत सरकार ने मैंगनीज और (इंडिया) लि० (मायल) के 49 प्रतिशत शेयर जो पहले सी० पी० एम० ओ० के पास थे 72,60,613.00 रुपये देकर खरीद लिए हैं। अन्ततः भारत सरकार और मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों में शेयरों का अनुपात इस प्रकार होगा :—

भारत सरकार .	51 प्रतिशत
महाराष्ट्र सरकार . .	24.5 प्रतिशत
मध्यप्रदेश सरकार . .	24.5 प्रतिशत

(ख) 31-3-1977 को परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इस कम्पनी की कुल परिसम्पति 8,73,49,556.00 रुपये की थी ।

हिमाचल प्रदेश में डाक टिकट डिपो

2141. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकट एकत्र करने वाले उत्साही व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश में एक डाक टिकट डिपो खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार राज्य मंत्री (हरिहर प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने लुधियाना में एक डाक टिकट भंडार खोल दिया है। शुरू में यह भंडार केवल पंजाब राज्य की जरूरतें पूरी कर रहा है। धीरे-धीरे यह सुविधा अन्य राज्यों अर्थात् हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए भी दे दी जाएगी।

पुर्तगालियों के विरूद्ध बकाया दावे

2142. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश के व्यक्तियों और संगठनों की पुर्तगाल सरकार और बांको नेशनल अल्ट्रामरिनों जैसी पुर्तगाली संस्थानों पर दावों की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) 7 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के बाद उक्त दावों के निपटाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से यह अनुमान लगाया गया है कि ये दावे लगभग 19 करोड़ रुपये के हो सकते हैं। हर व्यक्ति के दावे के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त करना बहुत मुश्किल साबित हुआ है चूंकि बैंकों में बंधक रखे आभूषणों, अधिकार-पत्रों और जमा करन्सी नोटों आदि के सभी अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(ख) सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से परामर्श किया जा रहा है और शीघ्र ही एक अंतर्मंत्रालयी बैठक होगी जिसमें अब तक एकत्र दावों की जांच की जाएगी तथा इस को निपटाने की पद्धति पर भी विचार किया जाएगा।

खनिज खोज निगम में दैनिक मजूरी पर कुशल कर्मचारी

2143. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि खनिज खोज निगम के बानकोला और जोलवांगा छिद्रण शिविरों में विभिन्न श्रेणियों में चार वर्ष अथवा इससे अधिक समय से अनेक अस्थायी कर्मचारी 6.75 रुपए दैनिक मजूरी पर काम कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में स्थायी बनाने का है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में खनिज खोज निगम के विभिन्न छिद्रण शिविरों में, भर्ती और पदोन्नति के मामलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) बानकोला और जोलवांगा ड्रिलिंग शिविरों के 165 दिहाड़ी मजदूरों में से केवल 7 कुशल, अर्द्धकुशल और एक अकुशल मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने 4 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। खनिज गवेषण निगम में दिहाड़ी मजदूरों का वेतन मार्च, 1977 से बढ़ाया गया है और अब एक कुशल मजदूर न्यूनतम 10 रु० रोजाना मजूरी पाता है।

(ख) उपलब्ध होने वाले नियमित पदों पर दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के प्रयास किये जा रहे है।

(ग) भ्रष्टाचार की कोई बात ध्यान में नहीं आई है

भारत में सोने का खनन

2144. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों में सोने की खानों से सोना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) देश में प्रतिवर्ष सोना खानों से कितनी मात्रा में सोना निकाला जाता है; और

(ग) सरकार को इससे प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) देशमें सोने की सिर्फ दो खाने हैं—एक भारत गोल्ड माइन्स लि० जो केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान है और दूसरा हट्टी गोल्ड माइन्स लि० जो कर्नाटक राज्य सरकार का प्रतिष्ठान है। दोनों ही कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। भारत गोल्ड माइन्स लि० ने भारतीय भू-सर्वेक्षण की सहायता से कोलार गोल्डफील्डस से अलग आन्ध्र प्रदेश रामगिरी गोल्डफील्ड (येप्पामाना खान) और मालप्पाकोंडा में नए स्वर्ण भंडार होने की संभावना को ध्यान में रख कर खोज के प्रयास किये गए हैं। कोलार गोल्डफोल्डस् में नई रीफों का पता लगाने के लिए भी कम्पनी लगातार खोज कर रही है।

हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी के उत्पादन में पिछले आठ महीनों के दौरान कम मात्रा में बिजली मिलने के कारण गिरावट आई है।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० और हट्टी गोल्ड माइन्स लि० द्वारा पिछले दो वर्षों में और चालू वर्ष में (अक्तूबर 1977 के अंत तक) निकाले गये सोने की मात्रा नीचे दिखाई गई है :—

(आंकड़े लाख ग्रामों में)

	1975–76	1976–77	1977–78
भारत गोल्ड माइन्स लि०	17.48	22.04	10.37
हट्टी गोल्ड माइन्स लि०	11.70	8.80	5.32

इसके अलावा तांबा उत्पादक कंपनी हिन्दुस्तान कापर लि० ने एनोड स्लाइमों से उप-उत्पाद के रूप में 1976–77 में 0.36 लाख ग्राम सोने और 1977–78 (अक्तूबर, 1977 तक) में एक 1.11 लाख ग्राम सोने का उत्पादन किया।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० (केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान) से कोई प्रत्यक्ष आमदनी नहीं हुई क्योंकि 1975–76 और 1976–77 के दौरान कंपनी को क्रमशः लगभग 250 लाख रुपये और 124 लाख रुपये का घाटा हुआ और फलतः सरकार को अपनी इक्विटी राशि पर कंपनी से कोई लाभांश नहीं मिला।

जहां तक हट्टी गोल्ड माइन्स लि० (कर्नाटक सरकार का प्रतिष्ठान) का संबंध है, वह कम्पनी पिछले दो सालों से लाभ कमा रही है और उस पर लाभांश की घोषणा करती रही है लेकिन उससे राज्य सरकार को प्राप्त आय के बारे में जानकारी उपलब्ध नही है।

Demand for Indian Technical Experts in Foreign Countries

†2145. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether demand for Indian technical experts has been increasing in foreign countries; and

(b) if so, the different fields in which Indian experts are working abroad presently, country-wise?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) & (b): Yes, Sir. Demand for Indian Technical experts has been increasing in the foreign countries. The major categories of Indian experts deputed are medical and para medical staff, professors and teachers, financial experts, accountants, economists and statisticians etc. During the eight years ending 1977, a total number of 8084 such experts had been deputed. A statement showing the number of experts deputed abroad profession-wise is attached.

Statement showing number of Experts Deputed/Selected for Bilateral Assignments from 1970 to 1977 (up to 31st October)

Year	Doctors	Nurses and other paramedical staff	Professors/ Teachers/ Education Officers	Engineers Architects Geologists and other technical experts	Financial experts Accountants etc.	Economists and Statisticians	Misc experts	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970	12	4	24	74	30	10	16	170
1971	30	4	89	76	25	2	25	251
1972	117	281	60	133	43	3	41	678
1973	119	95	249	253	38	1	46	801
1974	165	184	163	530	42	4	70	1158
1975	1369	218	335	214	16	3	161	2316
1976	321	152	146	315	12	16	21	983
1977 (Upto 31-10-77)	744	226	211	422	Nil	2	11	1727
Total	2877	1164	1277	2017	317	41	391	8084

Employees of P and T Department Sawai Madhopur

†2146. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of employees transferred in Sawai Madhopur District of Rajasthan Posts and Telegraphs circle during the last three years from outside the district as per rule 38 of Posts and Telegraphs manual Volume IV

and whether a statement showing the post-wise number of employees in this regard would be laid on the Table of the House;

(b) whether there is any rule for maintaining a seniority list in respect of posting of the persons so transferred;

(c) whether the officers of the Head Office and district office indulged in serious corrupt practices in respect of posting of the persons so transferred; and

(d) whether it is a fact that Shri Bhori Lal Khatik from Ajmer Circle and Shri Ram Kishore Kumbhawat from Kota Circle were transferred and posted in illegal way though their names were not covered in the transfer seniority list whereas the persons senior to them in the list have still been waiting for many years and if so, the reasons therefor and whether Government will take any action against the guilty officers and if so, when and the nature of action to be taken against them and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) The total number of officials who were transferred to Sawai Modhopur Division under Rule 38 of the P&T Manual Vol. IV during the last three years is 30. The information regarding post-wise number of employees so transferred is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as the same is received.

(b) Instructions exist that, as a rule, requests for transfer within the circle or outside, in the same cadre or to different identical cadre should be effected on the basis of the date of receipt of such applications in offices and not on the basis of seniority.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir. Although, as a rule, requests for transfer are given effect to on the basis of the date of receipt of applications for such transfers in offices, yet Heads of Circles etc. have the powers to effect such transfers on out-of-turn basis only on very compassionate grounds in very rare and exceptional cases. The transfers of both the officials mentioned in the question were ordered on out-of-turn basis by the Directorate on compassionate grounds. The question of action against any officer of the Circle concerned, therefore, does not arise.

Korba Aluminium Plant

2147. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the present production capacity of the Korba Aluminium Plant in Madhya Pradesh and whether it is working to its capacity;

(b) the name and quantity of raw material that will be necessary every year to ensure full utilisation of its capacity; and

(c) the extent to which deposits of this raw material is available and whether it is considered to be adequate and if not, whether work has been taken up to find new deposits?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda): (a) The present installed capacity is 50,000 tonnes per annum as against the final capacity of 100,000 tonnes per annum which would be attained on completion of the project. The Plant is now operating at less than its installed capacity due to a power cut imposed by the State Electricity Board.

(b) & (c): Bauxite is the main raw material required. For the present installed capacity of the smelter, the annual requirement of bauxite is 275,000 tonnes.

Amarkantak and Phutkapahar bauxite deposits are now estimated to contain 9.40 million tonnes of bauxite. To supplement the supplies; Bharat Aluminium Company has located another source for bauxite and has applied for a lease.

Withdrawal of Recognition to Union in Barauni Refinery

2148. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether an unrecognised union functioning in Barauni Refinery which is registered, has increased its popularity by resorting to a successful strike recently and the recognised union has gone in minority;

(b) whether Government propose to withdraw recognition given to the recognised Union in the said refinery immediately by ascertaining the views of all the workers; and

(c) if not, the reasons therefor?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) According to the information made available by the Government of Bihar, Shramik Vikash Parishad, a registered but unrecognised union functioning in the Oil Refinery, Barauni, organised a strike in the refinery from September 27 to 29, 1977. It is not possible to determine whether by resorting to strike, the Parishad has increased its popularity and the recognised union has gone into minority; the question of majority and minority character of a union can be determined only through verification of membership of the eligible unions or through secret ballot.

(b) & (c): In the absence of any legal provision, recognition of a union in the State sphere establishments in Bihar is governed by the procedure adopted by the State Government and the Code of Discipline. According to the procedure laid down by the State Government and the Code of Discipline, recognition is a management's prerogative and the question of conferring recognition on a union and withdrawal of recognition from existing recognised union by the Government does not arise. Moreover, according to the procedure that has been described above, recognition granted to a union should not be disturbed for two years. The question of recognition of a union in the Refinery was last settled by secret ballot on January 8, 1976 and as such withdrawing of recognition from the existing representative union before the expiry of two years, i.e. till January 8, 1978, cannot be considered.

मूत्र चिकित्सा प्रणाली को लागू करना

2149. **श्री वसन्त साठे**
श्री के० मालन्ना } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने डाक्टरों से आव्हान किया है कि तपेदिक, कैन्सर तथा मोतिया बिन्द जैसे रोगो के "निश्चित उपचार" के रूप में मानव मूत्र का प्रयोग किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार एवं देश के प्रमुख डाक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार मूत्र चिकित्सा प्रणाली को परीक्षण के आधार पर क्षय रोग के सरकारी अस्पतालों एवं कैन्सर केन्द्रों में लागू करना चाहेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस चिकित्सा प्रणाली का प्रचार करने के लिए क्या उपाय किये गये/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे, सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति ओर होम्योपैथी को केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, बेगमपेट, हैदराबाद के डा० वेन्कट राव से अनुरोध किया है कि वे स्वमूत्र चिकित्सा प्रणाली की प्रभावकारिता के विषय में अन्वेषण करें ।

मध्यम समेकित इस्पात संयंत्रों में सीमेंट यूनिटों की स्थापना

2150. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक समेकित इस्पात संयंत्र में मध्यम सीमेन्ट युनिट स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : घमन भट्टी के फालतू धातुमल तथा रक्षित खानों से निकलने वाले निम्न ग्रेड के चूनापत्थर का इस्तेमाल करने के लिए भिलाई, राउरकेला तथा बोकारो प्रत्येक में लगभग 10 लाख टन क्षमता के सीमेंट के रक्षित कारखाने लगाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इस्पात कारखानों द्वारा स्वयंशोधित योजनाएं बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

प्रधान मंत्री का अमरीका के राष्ट्रपति के साथ पत्र-व्यवहार

2151. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने अमरीका के राष्ट्रपति, कार्टर के साथ अनेक पत्रों का आदान-प्रदान किया ; और

(ख) क्या यह सच है कि दोनों देशों के अध्यक्षों के बीच हुये पत्रों के आदान-प्रदान से दोंनो देशों के बीच पारस्परिक समझौता हुआ है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) इन पत्रों के माध्यम से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जो विचार-विनिमय हुआ है, उससे आपसी विश्वास को बढ़ाने की दिशा में और एक दुसरे के दृष्टिकोण को जादा अच्छी तरह समझने में सहायता मिली है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिक क्षेत्र में सीमेन्ट संयंत्र प्रारम्भ करना

2152. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिकों को अदा किये जाने वाले बोनस का उपयोग करके श्रमिक क्षेत्र में एक सीमेन्ट संयंत्र आरम्भ किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : भिलाई में श्रमिकों को अदा किये जाने वाले बोनस का उपयोग करके एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के बारे में श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधियों ने हाल में इस्पात और खान मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा था । घमन भट्टो के फालतू धातुमल तथा रक्षित खानों से निकलने वाले निम्न ग्रेड के चूनापत्थर का इस्तेमाल करने के लिए सीमेन्ट का रक्षित कारखाना लगाने को संभावनाओं पर भिलाई इस्पात कारखाना विचार कर रहा है ।

तमिलनाडु की कपड़ा मिलों से कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान का पैसा वसूल किया जाना

2153. **श्री क० राममूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु को नेशनल टैक्सटाइल वर्कर्स यूनियन ने अलगप्पा लक्ष्मी मिल्स, राजापलायम तथा जानकीराम मिल्स, राजापलायम, तमिलनाडु के प्रबन्धकों से लाखों रुपये को कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान की राशि वसूल करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम मद्रास को अनेक बार अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अंशदान की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के साथ मालिकों को सांठगांठ के कारण वसूल नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :

(क) जी, हां। कुछ कर्मचारियों के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान की वसूली न करने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सांठगांठ की ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) निगम ने मैसर्स अलगप्पा काटन मिल्स राजापलायम को बकाया राशि की वसूली के लिए अभियोजन सहित कानूनी कार्रवाई करना पहले से ही आरंभ कर दिया है। जहां तक मैसर्स जानकीराम मिल्स के मामले का संबंध है, इसकी जांच की जा रही है।

अमरीका में भारतीय राजदूत का पहला पत्रकार सम्मेलन

2154. **श्री एस० आर० रेड्डी।**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल कुछ ही विदेशी पत्रकार अमरीका में हमारे राजदूत श्री पालकीवाला द्वारा बुलायें गये पहले पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित हुए थे ;

(ख) इस कम उपस्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है।

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) : जी हां। यह सच है कि इस बैठक में विदेशी पत्रकारों की उपस्थिति बहुत कम थी। इसका मुख्य कारण यह था कि यद्यपि अमरीका के मुख्य अखबारों, समाचार एजेन्सियों और अन्य माध्यमों को निमन्त्रण तो भेज दिए गए थे परन्तु संवाददाताओं के साथ इस बैठक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। इसकी वजह से हो सकता है कि यह समझ लिया गया कि यह बैठक नमो प्रकार की है और इसमें विचार-विमर्श के लिए कोई विशेष विषय नहीं होगा।

(ग) वाशिंगटन-स्थित भारतीय राजदूतावास को और विशेष रूप से उसके सूचना खण्ड को यह परामर्श दे दिया गया है कि ऐसे संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन करने से पूर्व पर्याप्त तयारी कर ली जानी चाहिये।

होम्योपैथिक औषधियां

2155. **श्री कवरलाल हेमराज जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैसर्स भंडारी एंड संस, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में प्रयोग हेतु सरकार को होम्योपैथिक औषधियों का मुख्य सप्लायर है, के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुई शिकायतें किस बारे में है ;

(ग) क्या घटिया औषधियां सप्लाई करने की भी शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(घ) सरकार ने इस फर्म के विरूद्ध उसे इस प्रकार धोखा देने के लिए क्या कार्यवाही की है और क्या इस फर्म को काली सूची में दर्ज करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महोदय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में इस्तेमाल के लिए होम्योपैथिक दवाइयों में भण्डारी एण्ड सन्स द्वारा सप्लाई नहीं की जाती है।

(ख), (ग) और (घ) : में प्रश्न ही नहीं उठत ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों में चिकित्सा कर्मचारियों तथा उपकरणों की कमी

2156. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री दीनेन भट्टाचार्य

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों तथा अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों एवं उचित चिकित्सा उपकरणों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें कुछ रोगियों द्वारा कुछ डाक्टरों पर हमला किया गया क्योंकि ऐसी स्थिति में डाक्टर रोगियों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों एवं औषधालयों के डाक्टरों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उनकी शिकायतें एवं मांगे बताई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करता है, ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) औषधालयों और अस्पतालों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था स्वीकृत मानकों के अनुसार की जाती है। तथापि, यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष मई से सितम्बर की अवधि के दौरान मरीजों के दैनिक उपस्थिति के आंकड़ो में पर्याप्त वृद्धि हुई है । इसको ध्यान में रखते हुए हाल ही में कुछ अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है और इन पदों को शीघ्र ही भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जहां तक उपकरणों की व्यवस्था का सम्बन्ध है, किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है ।

(ख) औषधालयों/अस्पतालों के कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारियों पर हमला करने करने की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है। प्रत्येक मामले म, वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर पहुंच गए और दोनों पक्षों को शांत कराया और शान्तिपूर्ण समाधान कर दिए गए ।

(ग) जी हां ।

(घ) स्थिति निम्ननुसार है :—

क्रम संख्या	मांग	की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही
1.	चिकित्सा तथा पैरा मेडिकल कर्मचारियों के बारे में कमियों को दूर किया जाए ।	आवश्यक कार्यवाही पहले से ही की जा रही है ।
2.	डाक्टरों/कर्मचारियों की असुरक्षा	डाक्टरो को उपयुक्त सलाह दी गई है ।
3.	चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रतिकर छुट्टी	इसकी पहले से ही स्वीकृति दी गई है ।
4.	निगम में चिकित्सा अधिकारियों का अलग काडर बनाना ।	इस पर पहले से ही विचार किया जा रहा है ।
5.	तदर्थ नियुक्तियों में 100 रुपये का कर्मचारी राज्य बीमा भत्ते का भुगतान न करना	इन मांगो पर चिकित्सा अधिकारियों के परामर्ष से विचार किया जा रहा है ।
6.	स्नातकोत्तर भत्ते का भुगतान	
7.	औषधालयों के अलग अलग कार्य-घन्टे	

मूत्र के इलाज के बारे में अन्य देशों की टिप्पणियां

2157. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूत्र इलाज, जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने जोर दिया है के बारे में अन्य देशों के कुछ टिप्पणियां प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्र संघ भवन में भारत की गरीबी दर्शाने वाले चित्र

2158. **श्री धीरेन्द्र लाल बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में न्यूयार्क स्थित राष्ट्र संघ भवन में उम्दा ढंग से चित्रित बोर्ड में हजारों भारतीयों को भोजन तथा आश्रय स्थल के लिये भीख मांगते हुए दिखाया गया है, तथा उन्हें स्पष्ट रूप से यह दिखाने के लिये लगाया गया है कि हमारे देश के लोग कितने गरीब है और हमारी सरकार गरीबी आदि की समस्याओं पर कितनी अकुशलता से काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) : जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के परिसर में बहुत से ऐसे प्रदर्शन-पट्ट तथा इस्तहार लगे हैं जिनमें शरणार्थी कल्याण, खाद्य उत्पादन आदि के क्षेत्रों मे 'यूनिसेफ', 'एफ ए ओ' और शरणार्थी-उच्चायुक्त कार्यालय आदि की गतिविधियां दर्शायी गई है । इन इस्तहारों में ऐसे चित्र हैं जिनमें शरणार्थियों को भोजन, आवास, कपड़ा आदि दिये जाते दिखाया गया है परंतु इनमें विशेषरूप से भारत या किसी अन्य देशका उल्लेख नहीं किया गया है ।

Rehabilitation of Persons Displaced due to Setting up of Bokaro Steel Plant

2159. **Shri R.L.P. Verma:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of persons who were displaced as a result of setting up of Bokaro Steel Ltd.;

(b) the steps taken by Government for their rehabilitation and the number of families who have not been rehabilitated so far; and

(c) whether Government have given preference in providing means of livelihood to the displaced families of Bokaro; if not, the reasons therefor?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) 37,191 persons, involving 6170 families, were displaced as a result of the setting up of Bokaro Steel Ltd.

(b) & (c): In accordance with Government policy, the following steps, inter alia have been taken for the rehabilitation of displaced families:—

(i) The Government of Bihar has provided alternative homestead sites in rehabilitation of displaced persons;

(ii) The amount of compensation payable (at the rate agreed to earlier) to persons whose lands were acquired has been deposited in advance by Bokaro Steel Limited with the State Government;

(iii) Apart from compensation, Bokaro Steel have also agreed to share 50% of the cost of rehabilitation scheme (estimated cost Rs. 42 lakhs) prepared by the Government of Bihar for the resettlement of the displaced persons;

(iv) Having regard to the very low level of education and skill in the displaced families, Bokaro Steel have adopted the policy of reserving most of the unskilled jobs for displaced persons along with those of scheduled castes and scheduled tribes;

(v) Some relaxation of age and medical standards (in regard to height) has also been permitted in the recruitment of the displaced persons belonging to certain categories;

(vi) BSL have been associating a representative of the displaced persons (Pramukh, Chas Block) and an officer of the Directorate of Project Lands and Rehabilitation of the Government of Bihar, in the selection Committee for class IV posts ;

(vii) An artisan training scheme was also started to train displaced persons in various trades in different industrial training institutes in Bihar for one or two years. The trainees are guaranteed employment on successful completion of their training; and

(viii) Displaced persons are given preference in the allotment of shops and not rehabilitated is 'nil'.

As intimated by the Director Project Lands and Rehabilitation, Government of Bihar, Dhanbad, the number of families who have been displaced but not rehabilitated is 'nil'.

जाली दवाइयां बनाने अथवा बिक्री करने पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

2160. **श्री डी० जी० गवई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1977 के दौरान जाली दवाइयां बनाने अथवा बेचने के लिये अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और वे देश के किन किन भागों से गिरफ्तार किये गये ;

(ख) जिन व्यक्तियो ने लोगो के जोवन के साथ खिलवाड़ किया उनके विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही किये जाने का विचार है ; और

(ग) जालो दवाइयों के उत्पादन और बिक्री को असम्भव बनाने के लिये क्या अन्य उपाय किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र को जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नकली एवं अपमिश्रित औषधियों के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही

2161. **श्री मोहम्मद हयात अली** :
श्री आर० कोलनथाइवेलु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फार्मास्यूटिकल्स कम्पनियों (स्वदेशो एवं विदेशी स्वामित्व वाली) के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मार्च 1977 से अब तक नकलो अपमिश्रित और घटिया औषधियां बनाने अथवा बेचने के लिये कार्यवाही की गई ;

(ख) प्रत्येक फर्म के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गई और क्या दंड लगाया गया ;

(ग) क्या सरकार औषध उद्योग में विदेशो स्वामित्व को कम्पनियो के प्रभुत्व को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी स्वामित्व को औषध कम्पनियों के प्रभुत्व को कम करने से औषधियों पर (मात्रा और गुण को दृष्टि से) होने वाले प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र को जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) और (घ) : इस का सम्बन्ध रसायन और उर्वरक मंत्री से है और इस विषय में अलग से एक प्रश्न उनके नाम सभा पटल पर रखने की कृपा को जाए ।

फार्मेसी अधिनियम और फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 का संशोधन

2162. **डा० बापू कालदाते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 से फार्मेसी व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के पंजीयन के लिये फार्मेसी अधिनियम, 1948 और फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

यूनियन कार्बाइड (पश्चिम बंगाल) और अग्रवाल मैटल वर्क्स (हरियाणा रिवाड़ी) का जस्ता प्लेटों का कुल उत्पादन

2163. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड (पश्चिम बंगाल) और अग्रवाल मैटल वर्क्स (हरियाणा-रिवाड़ी) ने जस्ता प्लेटो का कुल कितना उत्पादन किया और उद्योगों एवं 'ब्लाक' बनाने के लिये प्रति मास कितनी मात्रा में जस्ता चादरो/प्लेटों की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या उपरोक्त दोनों उद्योगो ने गत कुछ महीनों से अपना उत्पादन कम कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) मैसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) और मैसर्स अग्रवाल मैटल वर्क्स प्रा० लि०, रिवाड़ी (हरियाणा) द्वारा गत चार वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में जस्ता प्लेटों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०	अग्रवाल मैटल वर्क्स लि०	कुल
1973-74 . . .	450	34	484
1974-75	273	126	399
1975-76	426	50	476
1976-77 .	444	107	551
1977-78 . . (अक्टूबर, 1977 तक)	170	102	272

गैर-अनुसूचित उद्योग होने के कारण उद्योगों के लिए जस्ता चादरों और प्लेटो और ब्लाक बनाने के बारे में मांग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, इन दो देशो उत्पादकों को बिक्री के आधार इस वस्तु की 1976-77 में मासिक मांग लगभग 45 टन हो सकती है ।

(ख) और (ग) : मैसर्स अग्रवाल मैटल वर्क्स प्रा० लि० के उत्पादन में 1977-78 (अक्टूबर, 1977 तक) के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है । लेकिन यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० के उत्पादन में 1977-78 (अक्टूबर तक) में कमी हुई है । यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० के उत्पादन में गिरावट का प्रमुख कारण बिजली कटौती और मजदूर समस्याएं हैं । लेकिन अब मजदूरों के साथ समझौता हो गया है और रिपोर्ट मिली है कि नवम्बर, 1977 से सामान्य उत्पादन शुरू हो गया है ।

Cell to Solve Problems of Industrial Women Workers

2164. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to identify the problems of industrial women workers and to find a solution therefor; and

(b) if so, the details thereof and how Government propose to extend facilities to these women workers by setting up a cell for the purpose?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) and (b): Problems of women industrial workers have been recognised and there are special provisions for regulating working conditions of women workers, in several labour laws like the Factories Act, 1948, the Mines Act, 1952, the Plantations Labour Act, 1951 and the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966. Apart from this the Equal Remuneration Act, 1976 which has been extended to 21 employments including manufacturing industries ensures equal pay to men and women workers for the same work or work of a similar nature. The Maternity Benefits Act, 1961 and the Employees State Insurance Act, 1948 also provide for maternity leave and benefits to women industrial workers. There is a Women's Cell existing in the Labour Ministry which looks after matters relating to all women workers including women industrial workers in collaboration with other organisations.

विलिंगडन अस्पताल की नर्सों की पदोन्नति

2165. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली में नवम्बर 1972 से जितनी स्टाफ नर्सों की 'सिस्टर' के पदो पर पदोन्नति की गई ;

(ख) नवम्बर, 1972 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी स्टाफ नर्सों को पदोन्नति की गई और क्या उनको पदोन्नति के पदों का आरक्षित कोटा पूरा हो गया है अथवा नहीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 25 ।

(ख) कोई नहीं, क्योंकि उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्टाफ नर्सें उपलब्ध नहीं थीं । इसलिए, पदोन्नति के लिए आरक्षित कौटा पूरा नहीं है ।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्टाफ नर्सों के पदो को विज्ञापित किया जाता है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित एजेन्सियों से भी इन पदों के लिए प्रत्य.शियो के नाम भेजने के लिए सम्पर्क स्थापित किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप 6 अनुसूचित जाति की और दो अनुसूचित जनजाति की स्टाफ नर्सों को नियुक्त किया गया है । किन्तु, वे अभी पदोन्नति की पात्रा नहीं है ।

जी० पी० ओ० शिमला में गन्दगी होना

2166. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण ब्लाक/ब्लाकों के लिये संयुक्त शौचालय होने के कारण और प्रत्येक क्वार्टर में गुसलखाने और पानी के कनेक्शन न होने के कारण जी० पी० ओ०, शिमला में डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में गन्दगी होने की सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अलग अलग शौचालय, गुसलखाने और पानी के नलकों की व्यवस्था करना उचित समझा जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इन क्वार्टरों में सफाई और नागरिक सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया है या किया जा रहा है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) संयुक्त शौचालय ब्लाक के कारण और प्रत्येक क्वार्टर के साथ स्नानागार व पानी का अलग अलग कनेक्शन न होने के कारण कभी कभी गन्दगी पैदा हो जाती है और उसको सफाई के लिये प्रयास किये जाते हैं ।

(ख) एक कमरे वाले क्वार्टरों के लिये अलग अलग स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था करना संभव नहीं है । मानक पद्धति के अनुसार एक कमरे वाले क्वार्टरों के एक ग्रुप के लिये शौचालय और स्नानागार के ब्लाक बनवाये जाते हैं । ऐसे शौचालय व स्नानागार ब्लाक की उचित सफाई के लिये हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) मौजूदा शौचालय व स्नानागार ब्लाकों के पुनर्निर्माण का मामला विचाराधीन है ।

अमरीका के राष्ट्रपति की यात्रा में विलम्ब

2167. **श्रीमती पार्वती कृष्ण** :
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति मिस्टर कार्टर की भारत की यात्रा स्थगित हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कारण क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) अमरीकी राष्ट्रपति श्री कार्टर की भारत-यात्रा स्थगित हो गई है, पहले उनका कार्यक्रम इस वर्ष 27 नवम्बर, से 29 नवम्बर तक भारत की यात्रा पर आने का था ।

(ख) इस महीने के शुरू में राष्ट्रपति कार्टर से प्राप्त एक सन्देश के अनुसार यह यात्रा इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि प्रशासन के ऊर्जा कार्यक्रम पर कांग्रेस में विचार होने के समय उनका वाशिंग्टन में रहना जरूरी है । इसी सन्देश में राष्ट्रपति कार्टर ने यह आशा भी व्यक्त की है कि बाद में इस यात्रा के लिए कोई परस्पर सुविधाजनक तारीख तय की जा सकती है । इस यात्रा के लिए नई तारीख तय करने के सम्बन्ध में इस समय दोनों सरकारों में विचार-विमर्श चल रहा है ।

एस० ए० आई० एल० के इस्पात उत्पादों का लागत मूल्य

2168. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की इस्पात की विभिन्न वस्तुओं की प्रति टन लागत और बिक्री मूल्य क्या है ;

(ख) क्या 1975-76 और 1976-77 के बीच लागत और मूल्य के अन्तर में वृद्धि हुई है या कमी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन-लागत भिन्न-भिन्न होती है । इस्पात की विभिन्न वस्तुओं की प्रतिटन लागत बताना कारखानों के वाणिज्यिक हित में न होगा । फिर भी, उनके मूल्यों का विवरण; अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ख) और (ग): 1-7-1975 से कोयले के मूल्य में वृद्धि होने, 1975-76 में रेल भाड़े में वृद्धि होने आदि विभिन्न कारणों से 1975-76 और 1976-77 के दौरान उत्पादन-लागत और विक्रय मूल्य में अन्तर समय-समय पर घटता-बढ़ता रहा है ।

अनुलग्नक

क्रम संख्या	उत्पाद	रुपये/प्रति टन निर्माणी/बाह्य विक्रय मूल्य
1	बिलेट	1094
2	ब्लूम/स्लैब	969
3	छड और गोल छड़— 5–7 मि० मी०	1514
	8–10 मि० मी०	1264
4	मानक लम्बाई के छड़ और गोल छड़—25 मि० मी० तक	1264
	25 मि० मी० से ऊपर	1214
	60 मि० मी० से ऊपर	1414
5	चपटे उत्पाद	1347
6	रेल की पटरी— 52 कि० ग्राम	934–1164
	45 कि० ग्राम	1012–1124
7	प्लेटें	1014–1072
8	जस्ती सादी चादरें/क्वायल	1964–2324
9	गर्म बेलित क्वायल	1388
10	गर्म बेलित प्लेटें/चादरें	1488–1884
11	ठंडे बेलित क्वायल	1713–1909
12	ठंडी बेलित चादरें	1763–1959
13	स्केल्प	1344
14	ज्वायस्ट्स	959
15	पहिये	2925–3900
16	धुरे	2838–3561
17	स्लीपर	1359
18	फिश प्लेट	2252
19	क्रासिंग स्लीपर, संरचनात्मक आदि	888

फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

2169. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रुखाबाद एक व्यापार केन्द्र है तथा वहां स्वचालित टेलीफोन केन्द्र न होने के कारण वहां के व्यापारियो को बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) फर्रुखाबाद देश के ऐसे बहुत से व्यापार केन्द्रों और जिला मुख्यालयों में से एक है, जहां मैनुअल एक्सचेंज काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सुविधाओं के कारण आमतौर पर इस बात की बड़ी मांग है कि मैनुअल एक्सचेंजो के बदले आटोमेटिक एक्सचेंज लगा दिए जाएं। तथापि, आटोमेटिक उपस्कर की भारी कमी के कारण देश के सभी मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजो में बदलना संभव नहीं हो सका है ।

(ख) सभी जिला मुख्यालयों के मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाने के विभिन्न चरणों के कार्यक्रम के अनुसार मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलूर के 1978-79 के सप्लाई कार्यक्रम में एक 900 लाइनों के आटोमेटिक एक्सचेंज के लिए उपस्कर अलाट किया गया है । आशा है कि 1980-81 तक यह आटोमेटिक एक्सचेंज चालू हो जाएगा ।

दस लाख टन कोकिंग कोल का आयात

2170. **श्री ओ० बी० अलगेशन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय सर्वोच्च प्राथमिकता देकर 10 लाख टन बढ़िया ग्रेड के कोकिंग कोल का आयात करने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ; और

(ग) किस देश से आयात किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय कोककर कोयले के सीमित भंडारों तथा उसमें अपेक्षाकृत राख की अधिक मात्रा को देखते हुए मिश्रण के लिए कम राख वाले कोककर कोयले का आयात करने के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है । कोककर कोयले का आयात करने अथवा आपूर्ति के स्रोत के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

अन्य देशों में स्थित राजनयिक मिशनों के कार्य में सुधार लाना

2172. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशो में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के कार्य को सुधारने के लिए कुछ उपाय अपनाये हैं

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कम करने और उनके कार्य में मितव्ययिता लाने के लिए उनको धन के आबंटन में कटौती करने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): विदेशों में तैनात किए जाने से पहले अधिकारियों को प्रशिक्षण की एक अवधि पूरी करनी होती है जिसमें शुरू शुरू में उन्हें जिलो में और अन्य संस्थाओं में भेजा जाना भी शामिल है जहां कि उन्हें ग्रामीण भारत की समस्याओं से और अधिक अवगत किया जाता है ।

विदेश स्थित मिशनों के काम पर मुख्यालय में निरन्तर विचार होता रहता है । समूचित भारत सरकार पर किफायतीसारी के जो उपाय लागू किए जाते हैं वे विदेश स्थित राजदूतावासों द्वारा भी अपनाये जाते हैं ।

जितनी जल्दी-जल्दी संभव होता है विदेश सेवा निरीक्षालय मिशनों का निरीक्षण करता है तथा अधिक किफायतसारी तथा दक्षता लाने के उद्देश्य से उनके काम की समुचिती करता है । इस प्रकार के निरीक्षण से लंदन और वाशिंगटन के अग्रपूर्ति खंडो में अगला और वित्तीय खर्च दोनों की दृष्टि से काफी बचत हुई है ।

विदेश स्थित प्रति मिशन के हिसाब से कर्मचारियों की औसत संख्या घटा दी गई है ।

उच्च स्तर पर पदोन्नतियों में योग्यता पर वजन दिया जाता है ।

इन उपायों से विदेश मंत्रालय विदेशों पर खर्च में वृद्धि काफी हद तक रोक सका है ।

Change in Method of Extraction of Raw Minerals from Mines

2173. **Shri Rameshwar Patidar**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government propose to change the present method of extraction of raw minerals from the mines; and

(b) if so, the outlines of the new method likely to be adopted in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

International Assistance for Population Project and National Family Welfare

2174. **Shri Ramlal Rahi**: Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the nature of international assistance (country-wise) being received by India for population project and National Family Welfare; and

(b) whether it is a fact that sources of foreign financial assistance have been blocked as a result of slow pace of family welfare (family planning) programme and if not, the names of the countries from which financial assistance was received or is to be received during the financial year 1977-78.

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The International assistance is being received both in cash and kind.

(b) There is no blockage of foreign assistance.

A statement showing the details of international assistance expected to be received during 1977-78 is attached.

STATEMENT

Statement showing details of International assistance expected for Family Welfare Programme for 1977-78

1977-78 (Rs. in Lakhs)

Source of assistance	Details	Amount
	A. ASSISTANCE IN CASH	
(1) Danish International Development Agency (DIN IDA)	Building for National Instt. of F. W.	50.00
(2) Norwegian Agency for Development (NORAD)	Post Partum Prcgramme	450.00
(3) United Kingdom.	Provision of Operation facilities in rural and semi-urban areas.	270.00
(4) International Development Agency/ Swedish International Development Agency (IDA/SIDA).	India Population Project.	615.00
(5) UNICEF	ANM Training Schools in U, P. & Bihar.	13.00
(6) United Nations Fund for Population Activiies.	Family Welfare Programmes.	990.00
	SUB-TOTAL	2388.00
	B. ASSISTANCE IN KIND	
(1) Swedish International Development Agency (SIDA).	Nirodh for free supply	310.00
(2) United Nations Fund for Population Activities.	Oral Pills & C. U. T. IUDS.	24.60
(3) UNICEF.	Vaccines for Immunisation Programme.	13.00
(4) Federal Republic of Germany.	Equipment for Mass Mailing Unit.	23.16
	SUB-TOTAL	370.76
	GRAND TOTAL	2758.76

Revised Pay Scales to Inspectors (Class II) of Provident Fund Organisation

2175. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the reasons for not giving the proposed revised pay scales to the Inspectors (Class II) of the Provident Fund Organisation so far;

(b) the date from which Government propose to give the revised pay scales to them; and

(c) the difficulty in removing disparities prevailing between the Class I and Class II Inspectors there though the nature of their work and duties is the same?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a), (b) & (c) : Scales of pay of Provident Fund Inspector (Gr. II) has already been revised consequent on the recommendations of the Third Pay Commission. Demands for further revision of the pay scales of the Provident Fund Inspectors (Grade-II) have been made. No decision has yet been taken.

शिशुगृह का कार्यकरण

2176. **श्री बी० दण्डयुतपाणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों आदि के शिशुओं के लिए नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन एक शिशुगृह डी० आई० जेड० क्षेत्र, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में चल रहा है ;

(ख) क्या वहां अर्हता-प्राप्त कर्मचारी न होने तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों का पर्यवक्षेण सन्तोषजनक न होने के कारण बच्चों की पूरी तरह देखभाल नहीं हो रही है ;

(ग) क्या स्वच्छता भी स्तर के अनुकूल नहीं है

(घ) क्या शिशुओं तथा बच्चो को पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपाय किये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने पहली सितम्बर, 1976 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से डी० आई० जेड० क्षेत्रवाला शिशुगृह, उसके स्टाफ सहित, अपने अधिकार में ले लिया था । अनुभवी स्टाफ और सुयोग्य पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा बच्चों की समुचित देखरेख की जा रही है।

(ग) सफाई अपेक्षित स्तर की है ।

(घ) पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

2177. **डा० सुशीला नैयर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम सम्बन्धी अन्वेषण उन्हीं क्षेत्रों में निश्चित रूप से सुधार दिखाता है जहां कोढ़ के नियंत्रण के कार्यक्रम उचित रूप से तैयार किए गए हैं और कुष्ठ नियंत्रण एककों का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां तो देश की समूची आबादी के लिए कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम किस निश्चित तारीख तक प्रभावी हो जाएगा; और

(ग) इस कार्य में स्वयंसेवी एजन्सियां किस सीमा तक सक्रिय रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां । इन क्षेत्रों में रोग-व्यापकता दर तथा कुल रोगियों एवं संक्रामक रोगियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हुई है ।

(ख) 1982-83 तक राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों के सभी लोगों को लाने का विचार है ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानिकमारी वाले क्षत्रों के लगभग 17 करोड़ 20 लाख लोगों में से 81.40 लाख लोगों को तो स्वैच्छिक संगठनों ने मार्च, 1976 तक कवर किया था । इसी प्रकार उपचाराधीन 15.98 लाख रोगियों में से 2.35 लाख रोगियों का इलाज स्वैच्छिक संगठन कर रहे हैं । उन प्रशिक्षण केन्द्रों में से 9 केन्द्रों को स्वैच्छिक संगठन चला रहे हैं । राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लगभग 30,000 पलंगों में से 20,000 से भी अधिक पलंगों की व्यवस्था स्वैच्छिक संगठन कर रहे हैं ।

Schemes for Welfare of Labour in Labour Colonies

2178. **Shri Subhash Ahuja :**
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have issued directions to the State Governments regarding expeditious implementations on priority basis of schemes of setting up of dispensaries, community centres, schools, etc., in labour colonies for the welfare of labour; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) and (b) : According to the information made available by the Ministry of Works & Housing, while no specific directions have been issued by them to the State Governments in this regard, the Integrated Subsidised Housing Scheme for industrial workers and economically weaker sections of the community, introduced by the Ministry of Works & Housing in 1952, and which at present is being implemented by the State Governments/Union Territory Administrations, *inter alia* provides that once a project is sanctioned under the above scheme, there should be no undue delay in completing it in all respects including the provision of essential services and community facilities such as schools, dispensaries, welfare centres, shops, Post Offices, etc. so that the houses, when completed, are occupied by the beneficiaries with the least possible delay. So far as housing colonies/townships for workers in Coal, Mica, Iron Ore, Limestone and Dolomite, etc. mines are concerned, the question of issuing any directions in this regard to the State Govts. does not arise; the Housing Schemes under the respective Welfare Funds covering the mining sector generally stipulate the provision of such essential services and community facilities.

उड़ीसा में ग्रामीण टेलीफोन केन्द्रों का बंद होना

2179. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाप्रबंधक, दूरसंचार, उड़ीसा सर्किल, भुवनेश्वर ने कितने ग्रामीण टेलीफोन केन्द्र बंद करने का आदेश दिया था और उन के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या इन केन्द्रों को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा अब करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल, भुवनेश्वर के जनरल मनेजर ने नीचे लिखे एक्सचेंज बंद करने के आदेश दिए थे ।

लोईसिंघा (बोलनगीर जिला), कुमारमुंडा (सुन्दरगढ़ जिला) और आगलपुर (बोलनगीर जिला) के 25–25 लाइनों के तीन छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज तथा भुवन (धेनकनाल जिला) का 50 लाइनों का छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज बंद कर दिया गया है और 1976 से उन्हें लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों में बदल दिया गया है ।

(ख) इस बात की छान-बीन की जा रही है कि क्या इनमें से प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ले ली गयी थी या नहीं । तथापि, टेलीफोनों की मांग कम होने के कारण यह आवश्यक हो गया था कि इन एक्सचेंजों को बंद कर दिया जाय । इन चारों स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर केवल दो ही ऐसे उपभोक्ता रह गए थे जिनसे विभाग को कुछ आमदनी होती थी । इन उपभोक्ताओं के लिए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों से एक्सटेंशन कनेक्शन दे दिए गए है । इस प्रकार संचार सुविधाएं बंद नहीं की गई हैं ।

(ग) जैसे ही इन स्थानों में टेलीफोनों की मांग बढ़ जाएगी और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना आर्थिक दृष्टि से लाभकर होगा, ये एक्सचेंज फिर खोल दिए जाएंगे ।

कनाडा की एक सोसाइटी द्वारा भारत में "आपरेशन वेअरफुट डाक्टर्स" आरंभ किया जाना

2180. **श्री एस० जी० मुरुगद्यन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सहायता प्राप्त कनाडा की एक सोसायटी 'फोर साइट' ने भारत में "आपरेशन वेअरफुट डाक्टर्स" परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्थापित की गई "फोरसाइट आई केयर ओवरसीज" नामक एक सोसाइटी का हिमाचल प्रदेश के गांवों में स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है । यह संस्था हिमाचल प्रदेश में संभवत: कुल्लू में एक फोरसाइट सेंटर खोलेगी । इस केन्द्र को ग्राम विकास और रोगों तथा अंधेपन की रोकथाम के लिए धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा ।

यह केन्द्र 16 महीनों से भी अधिक अवधि के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना चलाएगा । यह केन्द्र सरकारी अस्पताल और कुल्लू स्थित निवार्य अंधता सोसाइटी के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा । यह केन्द्र शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश मेडिकल कालेज के सामाजिक और निरोधक आयुविज्ञान विभाग के 4–5 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सेवाएं प्राप्त करेगा । यह केन्द्र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं भी प्राप्त करेगा । यह केन्द्र सेवानिवृत डाक्टरों और प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों से स्वेच्छा से कार्य करने के लिए अनुरोध करेगा । क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुल्लू से 10 मील के अन्दर-अन्दर के क्षेत्र में फैले हुए 50—150 गांवों में रहने वाली 10,000 लोगों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करेंगे । "बेयरफुट डाक्टर" की विचारधारा का सूत्रपात किया जाएगा । एक सौ की जनसंख्या में से एक ग्रामीण डाक्टर को तीन से चार महीने का बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख में प्रशिक्षण दिया जाएगा । यह प्रशिक्षण कुछ समय तक कुल्लू स्थित केन्द्र में और कुछ अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डाक्टर

के अपने ही गांव दिया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उसे 100/- रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। उसके पश्चात् सेवा अवधि के दौरान उसे 50/- रुपये प्रतिमास की दर से स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये सेवाएं अंशकालिक ही होंगी और डाक्टरों को प्रति दिन केवल दो घंटों के लिए ही कार्य करना होगा।

Provision of P.C.O. in Post Offices and Sub Post Offices of Shahjehanpur District, U.P.

†2181. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Post Offices in Shahjehanpur District of Uttar Pradesh which have been provided with Public Call Offices; and

(b) the number of sub-post offices in the District which are likely to be provided with P.C.Os. during the current financial year?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Eleven Post Offices in Shahjehanpur District have been provided with Long Distance Public Call Offices and 20 Post Offices with local P.C.Os.

(b) It is proposed to provide Long Distance P.C.Os. at 5 Post Offices in Shahjehanpur District during the current financial year.

Suppressing of Human Rights

†2182. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that human rights are being suppressed in several developed and developing countries of the world;

(b) if so, the efforts so far made or proposed to be made by Government with a view to establish and protect human rights in said countries; and

(c) in the opinion of Government, what concrete and effective steps should be taken by United Nations Organisation to resolve this problem?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a), (b) & (c): At the United Nations and other international forums, India has expressed concern at the inadequate implementation of the many objectives of the universal declaration of human rights adopted by the United Nations in 1948 and has stressed the need for strengthening national mechanisms to protect and promote the enjoyment of fundamental freedoms and human rights.

The UN has been concerned with violations of human rights in different parts of world. Following the adoption of universal declaration of human rights the UN has adopted international covenants on civil and political rights as well as economic social and cultural rights; an international convention on the elimination of all forms of racial discrimination; and an international convention on the suppression and punishment of crime of Apartheid. In 1973, the UN launched a decade for action against racism and racial discrimination.

At the current 32 GA session of UN. India piloted a resolution aimed at promoting the implementation of declaration on the protection of all persons from being subjected to torture and other cruel and inhuman and degrading treatment or punishment. India has also co-sponsored a resolution requesting the Commission on Human Rights to draw up a draft convention on these aspects.

राज्य श्रम आयुक्तों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का सम्मेलन

2183. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 6 नवम्बर, 1977 को राज्य श्रम आयुक्तों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में केन्द्रिय सरकार के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ; इनमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किए गए ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सम्मेलन समझोता, विवाचन और न्याय निर्णय, शिकायत निवारण प्रक्रिया तथा आदर्श स्थायी आदेशों संबंधी मामलों पर राज्य श्रम विभागों और केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों के पीठासन अधिकारियों के साथ सामान्य विचार-विनियम करने के लिये बुलाया गया था । व्यापक औद्योगिक संबंध कानून के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय संमेलन में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ।

उड़ीसा में कैंसर संस्थान, चेस्ट संस्थान की स्थापना तथा विशिष्ट चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार

2184. **श्री सरत कार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उड़ीसा की यात्रा के दौरान उड़ीसा सरकार तथा अन्य व्यक्तियों से एक कैंसर संस्थान, चेस्ट संस्थान की स्थापना तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में चिकित्सा शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों में विशेषज्ञता के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) "स्वास्थ्य" का विषय राज्य सूची में होने के नाते, इन स्कीमों के लिए आवश्यक धन जुटाने का काम राज्य सरकार का है । फिर भी, केन्द्रपोषित और पूर्णतया केन्द्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार अपने पास उपलब्ध धन की सीमा के भीतर ही राज्य सरकार को सहायता देती है । राज्य सरकार को खुली छूट है कि वह जब चाहे अपनी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं को चलाने के लिए अपेक्षित किसी भी विशेष सहायता के लिए उस के विषय में पूरा औचित्य देते हुए योजना आयोग से अनुरोध कर सकती है ।

इस्पात की मांग

2185. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांग की तुलना में इस्पात की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने मांग का अनुमान लगाने की एक युक्तियुक्त प्रणाली निकाली है ताकि तदनुसार इस्पात के उत्पादन को नियमित किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के दौरान अनुमानित मांग क्या है तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) देश में इस्पात की मांग अधिकांशत: देशीय उत्पादन से ही पूरी की जाती है। थोड़ी मात्रा में, जब देशीय उपलब्धि पर्याप्त नहीं होती, इसकी पूर्ति आयात द्वारा की जाती है।

(ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० बाजार, योजना आयोग तथा अन्य सरकारी संगठनों से, जिनका योजना तैयार करने से सम्बन्ध है, सतत सम्पर्क रखती है तथा इस्पात की मांग का अनुमान लगाती है।

(ग) इस समय योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए योजना तैयार कर रहा है और इस प्रक्रिया में इस्पात की भावी मांग का भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिर भी, अगले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से अनुमोदित किये गये कार्यक्रम इस प्रकार हैं

(1) भिलाई का 25 लाख टन चरण से 40 लाख टन चरण तक विस्तार करना ; तथा

(2) बोकारो का 17 लाख टन चरण से 40 लाख टन चरण तक विस्तार करना।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सहायताप्राप्त औद्योगिक एककों द्वारा बोनस की अदायगी

2186. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एककों के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

Opening of Regional Passport Office in Bhopal

†2187. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) Whether there is a demand to open a Regional Passport Office in Bhopal (Madhya Pradesh) with a view to provide facilities and eliminate unnecessary delays in the issue of passport; and

(b) if so the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) The Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to open a Passport Office in Bhopal.

(b) In terms of the criterion evolved by Government for the opening of a passport Office in a State at least 30000 applications for passports must be received from that State in a year. The number of applications for passports received from Madhya Pradesh for the period 1 January 1977 to 15 November 1977, was 9,436.

Giving of Grants to States for Construction of Hospitals by Foreign Countries

2188. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Denmark and other countries have expressed their desire to give grants or assistance for the construction of some hospitals in all the States of the country and also to supply all the necessary equipment and other articles etc. for these hospitals free of cost or at concessional rates; and

(b) if so, the detailed information in regard to terms and conditions of such grants or assistance laid down by them?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b): Yes. Some countries including Denmark are interested in assisting in strengthening hospitals and Primary Health Centres for improving infrastructure for health and family welfare services in the country. Details are as follows:—

(i) **U.K.:** This country has agreed to provide between 1st April 1976 and 30th June 1979 a grant of £ 3 million for strengthening facilities in 1000 Primary Health Centres and 325 Sub-divisional/Taluka hospitals in the country.

(ii) **Denmark:** The Danish Government has offered an assistance of Rs. 10-12 crores. A proposal for a project designed to cover 10 selected districts in five States, *inter-alia* to add an operation theatre and a 6-bedded ward to Taluka/Sub-divisional hospitals, renovate and provide additional equipment at Primary Health Centres and to provide additional sub-centres so that each sub-centre may be able to cover a population of 5000, is still under consideration.

(iii) **Norway:** This country is providing assistance worth Rs. 8.8 crores for a period of 4 years from 1974-75 to 1977-78 for the Post-Partum Programme under the family welfare scheme. This programme includes construction of one operation theatre and one 10-bedded ward and provision of equipment and staff for 524 hospitals. These hospitals include all district hospitals, hospitals attached to Medical Colleges and those large maternity hospitals which have 3000 or more delivery or abortion cases per year.

(iv) **Sweden:** This country agreed to provide $ 10.6 million through the World Bank for the India Population Project being operated in 11 districts of the two States viz. Uttar Pradesh and Karnataka. The Project *inter-alia* includes construction of sterilisation annexes in the District and Taluka hospitals and Primary Health Centres and buildings for Sub-centres. The Project commenced in 1973 and is nearing completion.

नेताजी की गतिविधियों के बारे में विदेशों से कागजात एकत्र करना

2189. **श्री समर गुहा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट पर चल रहे वाद-विवाद का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि विदेशों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की गतिविधियों से सम्बन्धित अवशेषों, कागजातों आदि को एकत्र करने तथा सुरक्षित रखने के लिए विभाग सभी आवश्यक उपाय करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाइलैंड, काम्बोडिया, वियतनाम, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमरीका, रूस तथा चीन की सरकारों को लिखा है कि क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की गतिविधियों से सम्बन्धित कोई कागजात उनके अभिलेखागारों अथवा अन्यत्र उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उद्देश्य से इन सरकारों को लिखेगी ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : मंत्रालय ने जापान, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों को इन देशों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की गतिविधियों के संबंध में उपलब्ध जानकारी, कागजात तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए लिखा है । कुछ सरकारों के, जिनसे सहायता मांगी गयी थी, उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राकृतिक चिकित्सक सम्मेलन की सिफारिशें

2190. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदहवें अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सक सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इन सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

विवरण

महासभा के प्रस्ताव

1. सम्मेलन को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह संस्थान शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करेगा ताकि प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण की दिशा में व्यवस्थित योजनाएं बनाई जा सकें,

सम्मेलन यह भी आशा करता है कि भारत सरकार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को विधिवद् मान्यता प्रदान कर इस कार्यक्रम को गतिशील बनाएगी ।

2. अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन, गुजरात, तामिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों को धन्यवाद देता है कि उन्होंने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता प्रदान की है । जिन राज्यों में अभी तक यह मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, उन राज्य सरकारों से यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि निसर्गोपचार को शीघ्र ही इस प्रकार की मान्यता प्रदान करें ताकि इस पद्धति का लाभ व्यापक ढंग से उठाया जा सके ।

3. प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अधिक व्यापक बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इसका सामान्य ज्ञान देश की सभी शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में दाखिल किया जाए।

4. यह सम्मेलन भारत सरकार द्वारा घोषित मद्य निषेध के 12 सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम का स्वागत करता है और आशा करता है कि सम्पूर्ण भारत में शराब बन्दी की दिशा में यह पहला कदम माना जाएगा। सम्मेलन का आग्रह है कि अगले कुछ वर्षों में सारे देश को शराब मुक्त किया जाए ताकि प्राकृतिक जीवन की दिशा में जनता को अग्रसर किया जा सके ।

सम्मेलन यह भी जरूरी समझता है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन के महत्व पर जोर दिया जाय। किन्तु यह उद्देश्य स्थाई ढंग से तभी सफल हो सकेगा जब आम जनता में आत्मसंयम और व्यसन मुक्ति का वातावरण बनाया जाय। इस दृष्टि से नशीले और हानिकारक द्रव्यों का उत्पादन तथा कामोत्तेजक फिल्मों के निर्माण को रोकने की ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है । सम्मेलन उम्मीद रखता है कि इन दिशाओं में भी केन्द्रीय व राज्य सरकारें निश्चित कदम उठायेंगी ।

फलों के पकाने के लिये कारबाइड के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

2191. **डा० मुरली मनोहर जोशी :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फलों को पकाने के लिए कारबाइड का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कारबाइड का प्रयोग फलों के पकाने के लिए किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कारबाइड के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां,

(ख) फलों को पकाने के लिए कारबाइड गैस के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है। इस सम्बन्ध में एक गजट अधिसूचना के शीघ्र ही जारी कर दिये जाने की सम्भावना है ।

राजधानी में क्षय रोग के अस्पतालों के रोगी

2192. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में क्षय रोग अस्पतालों में कितनी रोगी शय्या हैं और इस समय अन्तरंग रोगियों के रूप में कितने रोगी वहां उपचार करा रहे हैं ; और

(ख) इन अस्पतालों में कितने रोगी प्रतीक्षा सूची में हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) दिल्ली के विभिन्न क्षय रोग संस्थानों में क्षय रोग के पलंगों की कुल संख्या 1539 है। इन संस्थानों में 1652 रोगियों की भरती करके इलाज किया जा रहा है।

(ख) 4267 क्षय रोगियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में है।

Penal provisions for producing more than two or three children

2193. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide in the near future for any penal provisions for the spouses producing more than two or three children; and

(b) if so, by what time they are proposed to be enforced?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

2194. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में यह अभिकथन किया गया है कि :—

(1) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेअरमेन, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों की महापरिषद की बैठक हैदराबाद में पहली तथा दूसरी नवम्बर 1977 को हुई। यह बैठक तनाव तथा भय के वातावरण में की गई ।

(2) अध्यक्ष, श्री बी० राजा ने अनेक अनियमितताएं की ओर उदण्डताएं दिखाई । उन्होंने कर्नाटक भविष्य निधि कर्मचारी यूनियन और केरल स्टाफ एसोसिएशन को प्रतिनिधि अधिकारों से वंचित रखा तथा इस यूनिटों में प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा करवाया जो संबंधित नहीं थे और इन लोगों से उनके पक्ष में वोट डलवाया ।

(3) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन के संविधान में हेर-फेर की गई है और प्रतिनिधियों को कोई नोटिस दिये बिना तथा यूनियनों के विरोध के बावजूद इसे संशोधित हुआ मान लिया गया, ताकि श्री बी० राजा अध्यक्ष बने रहें, जो कि गैर कानूनी है ।

(4) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन के उपस्थित 15 यूनिटों में से आठ यूनिटों ने तत्काल बैठक बुलवाई और यह निर्णय लिया कि संविधान के अनुसार (इस

गैर कानूनी संशोधन के बिना) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन के लिये नये चुनाव करवाए जाने चाहिए। युनियनों ने श्री एम० एस० वर्मा, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी युनियन को अधिकार दिया है कि वह इस संबंध में अपने निर्णय से सरकार को अवगत कराए।

(5) अतः सरकार से अनुरोध है कि वह अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन के निमित्त श्री बा० राजा से कोई वार्ता न करे, अन्यथा श्री बी० राजा द्वारा प्रबन्ध तंत्र से किया गया कोई भी समझोता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर बंधनकारी नहीं होगा।

(ग) फेडरेशन के पदाधिकारियों के मध्य विवाद प्रतीत होता है।

हड़तालों पर रोक लगाया जाना

2195. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने पर कथित रोक लगाये जाने की ओर सरकार का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हड़तालों और ताला बन्दियों पर सर्ववर्गात्मक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, परन्तु इनमें से कुछ एक पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 के अधीन व्यक्तिगत मामलों में प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध केवल वहां लगाया गया था जहां कामबन्दियां अनुचित रूप से दीर्घकालीन बनाई गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप भारी राष्ट्रीय हानी हुई थी और ऐसे विवादों को समझौते या न्यायनिर्णय के लिये भेजा गया था। हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकारों ने सुचित किया है कि उन्होंने हड़तालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था।

Function of the Medical Consultant of Safdarjang Hospital

2196. **Shri Mani Ram Bagri :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) how the post of Consultant Medicine in Safdarjang Hospital was filled and what are his functions;

(b) whether the incumbent of this post refuses to attend to the general patients and the Government employees covered by the C.G.H.S.;

(c) whether Government will issue instructions to this Consultant to attend to all patients without reservations; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The post of Consultant in Medicine in the Safdarjang Hospital, New Delhi is on the C.G.H.S. Wing of the Hospital. It is a Supertime Grade I post of C.H.S. and is filled on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, consisting of the following:

(i) Chairman/representative of the U.P.S.C. — *Chairman*

(ii) Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. — *Member.*

(iii) Director General of Health Services, New Delhi. — *Member.*

and, with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet or by transferring of officer of the same grade of C.H.S. The Consultant in Medicine being Head of the Department of Medicine is in-charge of one full-fledged medical unit which functions twice a week in the O.P.D. where all patients are attended to. He has also to attend to C.G.H.S. Wing as well as teaching programme etc. in the hospital.

(b) The Consultant in Medicine attends the patients only when the cases are referred to him by the concerned Specialists. No complaint or letter has been received in this Ministry to the effect that the Consultant refuses to attend to the general patients and the Government employees covered by the C.G.H.S.

(c) & (d): Does not arise as patients referred to the consultant by specialists are seen by him.

Commemorative Stamp in Memory of Mahatma Phule

†2197. **Shri Keshavrao Dhongde:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Government of Maharashtra have forwarded to the Centre a proposal regarding release of commemorative postal stamps of Mahatma Jyotirao Phule, a great revolutionary and social reformer of Maharashtra;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) the difficulties encountered so far in releasing such a stamp; and

(d) when this stamp will now be released and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes Sir.

(b) The P & T Department have issued a commemorative stamp in honour of the personality on November 28th, 1977.

(c) & (d): **Do not arise.**

Promotions in P and T Department

†2198. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of employees in the Department of Communications who have been promoted to various categories of posts since 1970 and the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in these categories?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): The required information is being collected and the same will be placed on the table of the House as soon as it is received.

श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये विधान

2199. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जीविकोपार्जक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की स्थिति में श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के हितों की रक्षा के लिये कोई विधेयक लाने का उनका प्रस्ताव है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 में रोज़गार के कारण और रोज़गार के दौरान होने वाले कतिपय व्यावसायिक रोगों या औद्योगिक दुर्घटना के कारण हुई अस्थायी/स्थायी विकलांगता की दशा में श्रमिकों को और मृत्यु को दशा में उनके परिवारों को मुआवज़े के भुगतान की व्यवस्था है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में बीमारी, सेवा के दौरान चोट लगने आदि की दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान और सेवा के दौरान चोट लगने या कतिपय व्यावसायिक बीमारियों के कारण श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को पेन्शन देने की व्यवस्था है । जब कभी आवश्यक होता है, तब इन अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाते हैं ।

शाखा डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मंजुरी

2200. **श्री गदाधर साहा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्यों के ग्रामिण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों में सार्वजनिक टेलिफोन घर (विभागीय/विभागेतर) किन शर्तों और किन परिस्थितियों में खोले / स्थापित किये जाते हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): देहाती इलाकों के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घर आमतौर पर तभी मंजूर किए जाते है, जब उनके प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से लाभकर हों । फिर, भी अल्प विकसित क्षेत्रों में टेलिफोन सुविधा देने के उद्देश्य से कुछ श्रेणीगत स्थानों के लिए उनके प्रशासनिक महत्व, आबादी, दूरसंचार जाल से दूरी, पर्यटक/तीर्थ केन्द्रों के रूप में महत्व और कृषि/सिंचाई/बिजली परियोजना स्थलों/टाउनशिपों के आधार पर, घाटा उठा कर भी सार्वजनिक टेलिफोन घर मंजूर किये जातेहैं । ऐसे श्रेणी गत स्थानों में घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलिफोन घर खोलने की शर्तें अनुबन्ध में दी गई है । अन्य स्थानों पर सार्वजनिक टेलिफोन घरों की व्यवस्था किराये और गारंटी के आधार पर की जा सकती है, बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाला अनुमानित घाटा पूरा करने के लिए तैयार हो ।

अनुबन्ध

5 वी पंचववर्षीय योजना के दौरान घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोनघर जैसी टेलीफोन सुविधाएं देने के बारे में विभाग की नीति

क्रम सं०	श्रेणीगत स्थान	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में शर्तें
1	जिला मुख्यालय . . .	इन स्थानों पर घाटे के बावजूद और न्यूनतम आय की किसी शर्त के बिना लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था उत्तरोत्तर कर दी जाएगी।
2	उप-मंडल मुख्यालय . . .	
3	तहसील मुख्यालय . . .	
4	उप-तहसील मुख्यालय . . .	
5	खंड मुख्यालय . . .	
6	सामान्य क्षेत्रों में 5000 या इससे अधिक (पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में 2,500 या इससे अधिक) आबादी वाले स्थान . .	
7	ऐसे पुलिस स्थानों वालो जगहों पर जो किसी पुलिस दारोगा या उससे उंचे ओहदे वाले अधिकारो के चार्ज में हो।	सामान्य क्षेत्रों में वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिश और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अनुमानित आय होनी चाहिए।
8	दूर-दराज के स्थान (जो किसी मौजूदा एक्सचेंज से 40 किलोमोटर अरीय दूरी के बाद स्थित हों)।	
9	पर्यटक/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/बिजली परियोजना। टाउनशीप	—वही—
10	अन्य सभी स्थान . . .	वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होने पर।

टिप्पणी 1 : आबादी के आंकड़ों पर विचार करते समय केवल कस्बे या गांव की आबादी पर विचार करना चाहिए, न कि कस्बों या गांवों के समूह की आबादी पर।

2 : श्रेणो 8 और 9 के अंतर्गत खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफान घरों की संख्या प्रत्येक श्रेणो में 200 तक सीमित रहेगी।

भारत बर्मा सीमा का सीमांकन

2201. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और वर्मा के अधिकारो दो देशों के बीच लम्बो सीमा का सीमांकन करने हेतु उसका अन्तिम ब्यौरा तैयार कर रहे हैं ;

(ख) क्या एक नया मानचित्र तैयार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन कारणों से दोनों देशों को सीमा का सीमांकन का ब्यौरा फिर से तैयार करना पड़ रहा है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) 1967 के करार के अन्तर्गत भारत-वर्मा सीमा का सीमांकन संयुक्त रुप से किया जा रहा है। जैसे-जैसे विभिन्न हिस्सों का सीमांकन होता जाता है, दोनों पक्षों द्वारा इसका विस्तृत नक्शा तैयार किया जाता है, उसके बाद तकनीकी परस्पर इसकी जांच की जाती है फिर सीमा आयोग के स्तर पर ये नक्शें, संबद्ध क्षेत्र में सीमा के परस्पर सहमत विवरण सहित, उस संधि के अंग होंगे जो सीमांकन का कार्य पुरा हो जाने के बाद भारत और बर्मा के बीच सम्पन्न होगी। ऐसे 4 नक्शों का और उनसे सम्बद्ध विवरण को अन्तिम रुप देने के लिए नवम्बर, 1977 में बर्मा में तकनीकी स्तर की एक बैठक हुई थी ;

मेडिकल आफ़िसरों के प्रतिनिधि मण्डल की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से भेंट

2202. **श्री राम सागर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा और रेलवे विभाग में अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे श्रेणी दो के मेडीकल आफ़िसरों के प्रतिनिधिमण्डल ने उनसे एक नई तथा 27 सितम्बर, 1977 को भेंट की तथा उन्हें यहा स्थाई किये जाने के बारे में एक मांगपत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उन्होंने उस पर कोई आदेश दे दिया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों को स्थाई करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अखिल भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चिकित्सा अधिकारी संघ ने केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों की स्थिति के बारें में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को एक अभ्यावेदन 25-5-77 को और दुसरा 19-9-77 को भेजा था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर तदर्थ डाक्टरों की सेवाओं को उनके सेवाकालिन कार्य निष्पादन के आधार पर नियोजित करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों की कठिनाइयों पर अभी विचार किया जा रहा है तथापि तदर्थ डाक्टरों को बनाये रखने का निर्णय किया गया है यदि उनके संगठन/शहर में उन्हें आगे रखने के लिए स्पष्ट रिक्त पद हुए। तथापि यह भी बताया जाता है कि तदर्थ आधार पर दी गई नियुक्तियों के स्वरुप से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये नियमित नियुक्तियां नहीं हैं। यह बात उनके नियुक्ति पत्रों में भी कही गई है और उनकी सेवा शर्तों के अनुसार नियमित उम्मीदवारों के आ जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दुर्गम क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्रों के अनेक रिक्त पदों को जल्दी ही विस्थापित किए जाने की संभावना है। दुर्गम क्षेत्रों के पद साक्षात्कार के आधार पर भरे जाएंगे और सामान्य क्षेत्रों के पदों को लिखित परीक्षा और तत्पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर भरा जाएगा जिसमें तदर्थ उम्मीदवारों को फिर प्रतियोगिता में बैठने का मौका मिल जाएगा।

टेलिफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

2204. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के नाम ह ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने बाकी हैं; और

(ग) सरकार व्यक्तियों को उस आवश्यकता को क्यों पूरा नहीं कर रही है जिससे उसे भारी आय होगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 30-9-77 की स्थिति के अनुसार देश में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 2,04,795 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) प्रत्येक राज्य में अनिर्णीत अर्जियों की संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1	आन्ध्र	4,078
2	असम	358
3	बिहार	936
4	गुजरात	21,852
5	हरयाणा	1,903
6	हिमाचल प्रदेश	427
7	जम्मू और काश्मीर	1,154
8	कर्नाटक	4,233
9	केरल	6,840
10	मध्य प्रदेश	673
11	महाराष्ट्र	63,430
12	मणिपुर	29
13	मेघालय	28
14	नागालैंड	4
15	उड़ीसा	112
16	पंजाब	9,695
17	राजस्थान	3,138
18	सिक्किम	कोई नहीं
19	तामिलनाडु	4,230
20	त्रिपुरा	कोई नहीं
21	उत्तर प्रदेश	4,496
22	पश्चिम बंगाल	28,389
	योग	156,005

1	2	3
	संघ शासीत प्रदेश	
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	4
3.	चंडीगढ़	1,937
4.	दिल्ली	45,522
5.	गोवा	1,200
6.	लक्षद्वीप	कोई नहीं
7.	मिजोरम	कोई नहीं
8.	पांडिचेरी	35
9.	दमण, दिव, सिलवासा	41
10.	माही	42
	योग .	48,790

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से अधिकांश प्रतीक्षा सूचियां बड़े शहरों और महानगरों में हैं। यह स्थिति नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगी :—

क्र० सं०	बड़े शहर और महानगर	प्रतीक्षा सूची
1.	अहमदाबाद	10,116
2.	अमृतसर	841
3.	बंगलूर	3,693
4.	बम्बई	55,800
5.	कलकत्ता	30,089
6.	दिल्ली	45,522
7.	एर्नाकुलम	1,498
8.	हैदराबाद	2,806
9.	जयपुर	1,849
10.	कानपुर	883
11.	लखनऊ	524
12.	लुधियाना	4,329
13.	मद्रास	2,516
14.	पुणे	1,575
15.	सूरत	4,325
	योग .	156,366

(ग) प्रतीक्षा सूचियों में अधिक आवेदकों के नाम दर्ज होने का प्रमुख कारण यह है कि दूर-संचार के विकास के लिए सीमित साधन उपलब्ध हैं समूचे देश में मांग प्राप्त होते ही टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए ये साधन पर्याप्त नहीं हैं। इन सीमित साधनों के अन्तर्गत देहाती इलाकों और छोटे नगरों के विकास के हित में उनकी मांगों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि बड़े कस्बों और शहरों में प्रतीक्षा सूची में आवेदकों के नाम बड़ी तादाद में दर्ज हो जाते हैं।

आशा है कि इस वर्ष के दौरान देश भर में लगभग 1 लाख 60 हजार सीधे एक्सचेंज कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इनमें से लगभग 64,000 कनेक्शन इस वर्ष का पहली छमाही में दिए जा चुके हैं।

Direct dialling from Jamnagar to Lalpur

†2205. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Lalpur Gram Panchayat and Grain Merchants Associations have made a demand for introducing direct dialling telephone line from Jamnagar to Lalpur, Gujarat;

(b) when the work of direct dialling on Jamnagar—Lalpur would be commenced and completed; and

(c) the distance between Jamnagar and Lalpur?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No such request has been received.

(b) STD between the two stations is not planned since the traffic is very small.

(c) Actual distance—42 Kms.

छोटे इस्पात संयंत्र

2206. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश भर में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 में कितने छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : देश भर में छोटे इस्पात कारखाने लगाने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भूत में सादा कार्बन इस्पात पिण्ड/बिलट का उत्पादन करने के लिए कुल 206 विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को लाइसेंस दिए गए / पंजीकृत किया गया था। इनमें से 48 लाइसेंस प्रायोजना के कार्यान्वित न किए जाने के कारण निरसित कर दिये गय हैं। सितम्बर, 1977 तक लाइसेंसीकृत 120 इकाइयां लगाई जा चुकी थीं तथा शेष 38 इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में व्यावसायिक कर

2207. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में व्यावसायिक कर आरंभ कर दिया है और उसकी वसूली के लिए राज्य के तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सहित सभी व्यक्तियों से कहा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य में कार्य कर रहे डाक-तार कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाये गये व्यावसायिक कर का भार पड़ता है जबकि अन्य राज्यों में काम करने वाले डाक-तार कर्मचारियों को यह कर नहीं देना पड़ता ; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य में कार्य कर रहे डाक-तार कर्मचारियों द्वारा दी गई इस राशि को उन्हें लौटाने के बारे में विचार करेगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जिस राज्य में इस तरह का कोई कर लगाया जाता है, उस राज्य की सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों का यह वैधानिक दायित्व है कि व उसका भुगतान करें।

(ग) व्यावसायिक कर किसी भी अन्य वैधानिक कर के समान हैं। यह कर सरकारी कर्मचारियों को लौटाया नहीं जाता है ; इसलिये महाराष्ट्र राज्य में डाक-तार कर्मचारियों द्वारा अदा किया गया व्यावसायिक कर उन्हें लौटाया नहीं जा सकता।

डाक-तार कर्मचारियों को जल भत्ता

2208. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलाभाव वाले क्षत्र में काम करने वाले डाक-तार कर्मचारियों के लिए जल भत्ता देने की सीमा 500 रुपये निर्धारित की गयी है जबकि रेल कर्मचारियों के लिए यह सीमा 547 रुपये है ;

(ख) यह विषमता क्यों है ;

(ग) क्या सरकार का विचार डाक-तार कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों के बीच जल भत्ता अदायगी के मामले में इस विषमता को दूर करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख), (ग) और (घ) : वांछित सूचना रेलवे विभाग से प्राप्त की जा रही है। इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में लौह अयस्क निक्षेपों का विदोहन

2209. **श्री वयालार रवि :** क्या इस्पात और खान मंत्री 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1540 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम नें केरल में कोजी कोडे जिले के लोह अयस्क निक्षपों के वाणिज्यिक विदोहन के बारे में अपना अध्यापन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए अन्वेषणों से पता चला है कि लोह अयस्क सांद्रण/स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए कोजी कोडे निक्षेपों का विदोहन करना इस समय मितव्ययी न होगा क्योंकि इस पर अधिक पूंजी लगेगी और लाभ कम होगा।

इस्पात का मूल्य

2210. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व के इस्पात निर्माता बड़े देशों में विद्यमान कम मूल्यों को देखते हुए लोहे तथा इस्पात के देश में मूल्यों को घटाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व के अन्य देशों में विद्यमान मूल्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : विभिन्न देशों में इस्पात की मदों के मूल्यों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनकी मूल्यन तथा बिक्री की पद्धतियां भिन्न-भिन्न हैं। फिर भी, संलग्न विवरण से इनकी तुलना सम्बन्धी मोटी-मोटी जानकारी मिल सकती है। इस समय मूल्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

श्रेणी	देश			
	जापान	अमरीका	यू०के०	भारत
1	2	3	4	5
कच्चा लोहा (फाउन्ड्री) .	..	1669.5	1553.3	907
बिलेट . . .	..	..	2083.8—2345.2	1582
पुनर्बलन छड़ तथा गोल छड़ .	1592.6—2018.3	1677.4	2099.6	1752
तार छड़ . . .	2781.4	2519.1—2596.9	2622.3	2002
एन्गल . . .	1833.0—1870.6	..	..	1377
संरचनात्मक (चैनल) . .	2074.2	..	2998.2	1377
शहतीर/कड़ियां . .	2963.2	..	3015.6	1448
रेल की भारी पट्टरियां .	..	..	3423.0	1284*
साधारण इस्पात की प्लेटें .	2481.6—2510.3	..	2757.8	1523

*इसमें 1-4-1976 से स्वीकृत रु० 275 प्रति मी० टन की अस्थायी वृद्धि भी शामिल है।

विवरण-समाप्त

1	2	3	4	5
गर्म बेलित चादरें . .	2548.3	2437.9	2360.9	2097—2497
गर्म बेलित क्वायल . .	..	..	2360.9	1997
ठंडी बेलित चादरें . .	2944.0	2906.4	..	2466—2666
ठंडे बेलित क्वायल . .	..	..	3138.0	2522—2722
स्केल्प . . .	..	2437.9	3153.7	2056
जस्ती सादी चादरें . .	4110.9	3199.2	..	3322
जालीदार चादरें . .	..	..	3880.1	3592

टिप्पणियां

1. सभी मूल्य रुपये/मी० टन में हैं।

2. मूल्य आंकने के लिये रुपान्तरण—दर : 2700 येन=6.309 पौंड=11.44 अमरीकी डालर=100 रुपये

3. जापान के मूल्य—ये मूल्य दिनांक 19-11-1977 के जापान मेटल बुलेटिन में दिए गए हैं। ये मूल्य टोकियो शहर के व्यापारियो के मूल्य हैं।

4. अमरीका के मूल्य—ये मूल्य दिनांक 8-11-1977 के अमरीकन मेटल मार्किट से लिए गए हैं। दिए गए मूल्य मुख्यतः अमरीका की मिडवेस्टर्न मिलों के हैं और ये जहाज तक निष्प्रभार मूल्य हैं और केवल संकेतात्मक हैं।

5. यू०के० के मूल्य—य मूल्य दिनांक 8-11-1977 के एल०एम०बी० में दिए गए मूल्य हैं। ये मूल्य ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के मूल्यों पर आधारित हैं। 2-10-1977 से लागू ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित एक्स-बेसिंग प्वांइंट के अनुसार हैं।

6. भारतीय मूल्य संयक्त संयंत्र समिति के आधार-मूल्य हैं। साइज, क्वालिटि आदि के लिए अधिक मूल्य शामिल नहीं है।

7. जहां मूल्य नहीं दिखाए गए है वहाँ मूल्य सम्बन्धित बुलेटिन/जनरल में उपलब्ध नहीं है।

इस्पात की किस्म में गिरावट

2211. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को देश में उत्पादित इस्पात की किस्म में गिरावट आने के बारे में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी वर्ष में किस्म में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : सप्लाई किए गए इस्पात की किस्म के बारे में शिकायतें होती रही है। फिर भी, कुल बिक्री की तुलना में यह मात्रा अधिक नहीं है। हाल में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये शिकायतें बेचे गए कुल इस्पात के लगभग 0.25% के बारे में है।

(ग) सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन और प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में निरीक्षण की अच्छी व्यवस्था है। इस्पात कारखानों द्वारा शिकायतों की पूरी तरह जांच की जाती है और कारणों का पता लगाया जाता है तथा सुधारात्मक उपाय किए जाते है। सभी इस्पात कारखानों के अनुसंधान और विकास संगठन तथा क्वालिटी कंट्रोल विभाग इस्पात की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे है।

Shortage of Medicines, Technicians and Doctors in Health Department of N.D.M.C. Hospitals

2212. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government propose to assess the extent of shortage of medicines, technicians and doctors in the Health Department of New Delhi Municipal Committee as a result of which it is not possible to check the spread of communicable and non-communicable diseases in N.D.M.C. area;

(b) whether it is a fact that the Health Department of the New Delhi Municipal Committee purchases sub-standard medicines from small firms; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Except for a few vacant posts of doctors and technicians, there is no shortage of technicans, doctors or medicines in the Health Department of the N.D.M.C.

(b) No, Sir.

(c) Necessary action to fill the vacant posts has already been initiated.

हिमाचल प्रदेश में डाक सर्किल

2213. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में डाक सर्किल का एक मुख्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न पर विचार करने का मसला इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि शिमला में एक उपयुक्त जगह आदि की व्यवस्था की जानी है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विभागेतर डाकघरों के लिये न लौटाया जाने वाला अंशदान समाप्त करना

2214. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां विभागेतर डाकघर खोले गये हैं न लौटाये जाने वाला अंशदान (नान रिटर्नेबल कांट्रीब्यूशन) समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चन्दे के रूप में रकम जमा कराने के आधार पर इच्छुक पार्टियां उन स्थानों पर भी निर्धारित चन्दे की रकम जमा करा कर डाकघर खुलवा सकती हैं, जहां डाक-तार विभाग के मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य सिद्ध नहीं होता । राज्य सरकारें और अन्य इच्छुक पार्टियां चन्दे के तौर पर रकम जमा कराकर ऐसे स्थानों पर डाकघर खुलवाती रही हैं, जहां विशेष रूप से प्रशासनिक या अन्य कारणों से डाकघरों की जरूरत महसूस की गई है । यह सुविधा वापस ले लेने से ऐसी पार्टियों को बेमतलब परेशानी होगी ।

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों के माध्यम से रेलवे अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन वितरण करने के लिये योजना

2215. **श्री दुर्गाचन्द :** या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के डाकघरों में डाकघरों के माध्यम से रेलवे अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन वितरित करने की एक योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को डाकघरों के जरिये पेंशन का भुगतान करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है ।

(ख) (i) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान :

सैनिक प्राधिकारियों द्वारा भारतीय सेना के पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की मंजूर की गई पेंशन का भुगतान करने के लिए 14 मुख्य डाकघरों, 333 उप डाकघरों और 309 शाखा डाकघरों को प्राधिकृत किया गया है । यह पेंशन पेंशनभोगियों को स्वयं उपस्थित होने पर हर तिमाही पर अदा की जाती है । लेकिन बूढ़े, वयोवृद्ध और अशक्त पेंशन भोगियों को इसका भुगतान उनके प्रतिनिधियों के मार्फत भी किया जा सकता है ।

(ii) रेलवे के पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान :—

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) पेंशन की रकम प्रत्येक महीने के पहले कार्य-दिवस को सेवानिवृत्त कर्मचारी के डाकघर बचत बैंक खाते में अपने आप जमा कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए डाकघर बचत बैंक खातों की एक पृथक सीरीज चालू की जाएगी ।

(2) पेंशन भोगी को अपनी पशन के लिए हर महीने कोई बिल नहीं पेश करना पड़ेगा।

(3) पेंशन भोगी को किसी खास डाकघर में, जहां से वह अपनी पेंशन निकालना चाहता है, एक बचत बैंक खाता (पेंशन) खोलने के लिए अर्जी देनी पड़ेगी ।

(4) रेलवे के सभी पेंशन भोगी इस योजना के लिए विकल्प दे सकते है। यह योजना देश के सभी मुख्य डाकघरों और उप-डाकघरों में उपलब्ध है ।

(5) पेंशन खाता उसी डाकघर में स्थित साधारण खाते के अलावा खोला जा सकता है। बचत बैंक (पेंशन) खाते पर ब्याज की वही दर लागू होगी जो एकल या संयुक्त खाते के मामले में लागू होती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदाओं का अनुसमर्थन

2216. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार की पता है कि संयुक्त राष्ट्र की दो प्रसंविदाओं—आर्थिक, व सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, 1966 सिविल तथा राजनैतिक अधिकार, 1966 का अभी और भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रसंविदाओं का अब तक अनुसमर्थन न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इन दो प्रसंविदाओं का अनुसमर्थन करने का है ; और

(घ) क्या मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली वर्तमान भारत सरकार का विचार यंत्रणा तथा नजरबन्द कैदियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम स्तर के बारें में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदाओं पर भारत की स्वीकृति और अनुसमर्थन का प्रश्न इन दोनों प्रसंविदाओं की विभिन्न व्यवस्थाओं के विविध तथा संवैधानिक निहितार्थों पर विस्तृत विचार की आवश्यकता के कारण निलम्बित रहा है। सरकार का मत यह है कि इस मामले पर पहले ही विचार और कार्यवाही हो जानी चाहिए थी । वर्तमान सरकार की प्रारंभिक कार्यवाईयों में इन दोनों प्रसंविदाओं के अनुसमर्थन के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना भी शामिल है ।

(ग) सरकार इस मामले पर सक्रिय विचार कर रही है ।

(घ) मानव अधिकार और आधारभूत स्वतंत्रता के एक प्रबल समर्थक के रूप में भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा जो महासभा के वर्तमान 32 वें अधिवेशन की सामाजिक एवं मानवीय समिति द्वारा पारित किया गया और जिसमें मानवाधिकार आयोग से यह अनुरोध किया

गया है कि वह उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के निर्भय, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध एक अभिसमय का प्रारुप तैयार करेगी। इस संबंध में कोई सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धनबाद तथा आसनसोल क्षेत्र में कोयला खान श्रमिकों को मुआवजे की अदायगी में धोखाधड़ी

2217. **श्री रोबिन सेन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि कोयला खान श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कोयला खान श्रमिकों को मुआवजे की अदायगी में एक पैसा कमाने वाला गिरोह धनबाद और आसनसोल क्षेत्र में सक्रिय है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र में इस गिरोह का काम बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Progress in use of Hindi in the Ministry of Steel and Mines

2218. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the programmes undertaken for the progressive use of Hindi in his Ministry for the last eight months;

(b) whether there is any Hindi Advisory Committee for the Ministry; and

(c) if so, the names of the members of the Committee?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) The following steps have been taken in this Ministry for the progressive use of Hindi in Government work during the last eight months:—

(i) A time-bound programme has been drawn up for imparting training in Hindi/Hindi Stenography/Hindi Typewriting to all employees for whom such training is obligatory.

(ii) Official Language Implementation Committees are functioning in both the Departments of the Ministry. During the last 8 months these Committees have met twice.

(iii) Hindi workshop is functioning in the Department of Mines and steps have been completed to start Hindi workshop in the Department of Steel.

(iv) Help literature has been provided to the Officers and the staff.

(v) To create interest of the employees, Hindi magazines/newspapers have been provided in the libraries.

(vi) Most of the standard forms in use in the various sections have been translated into Hindi and action has been initiated to get the remaining forms translated into Hindi expeditiously.

(vii) Inspections of the sections etc. have been made to ensure that the orders/instructions issued on the use of Hindi by the Ministry/Department of Official Language from time to time are implemented fully.

(viii) Orders issued by the Department of Official Language on the use of Hindi are transmitted to all the attached/subordinate offices, and undertakings etc. as expeditiously as possible, for implementation. Regular inspections are also made of these offices, and the shortcomings are brought to the notice of their Heads for taking remedial action.

(b) & (c): A Hindi Salahkar Samiti for this Ministry was constituted vide Resolution No. E-11015/(5)/75-Hindi dated the 17th November, 1976. With the dissolution of the previous Lok Sabha, 4 M.Ps (Lok Sabha) who were members of this Committee ceased to be so and, as per instructions of the Official Language Department, the Committee is being reconstituted in accordance with the new guidelines issued by that Department. A draft proposal has already been sent by Ministry of Steel and Mines to the Department of Official Language for their concurrence. As soon as their concurrence is received, the Resolution mentioning the names of the members of the new Committee would be published.

राज्यों में बेरोजगार डाक्टरों की संख्या

2219. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च और अक्तूबर, 1977 के अन्त में बेरोजगार डाक्टरों की राज्यवार संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में नई नौकरियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरकार का विचार आगामी वर्ष कुछ नई योजनाएं आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) संबंधित प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) इस क्षेत्र में अन्य नौकरियों का सृजन करने के लिए कोई भी नई योजना विचाराधिन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तथा तार विभाग में जायदाद विवरणियों की जांच के लिये व्यवस्था

2220. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों और/या सर्किल स्तर डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की जायदाद विवरणियों की नियमित जांच के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी डाक तथा तार विभाग के सतर्कता विभाग को सुदृढ़ करने तथा सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों/टेलीफोन इंजीनियरी सेवाओं द्वारा प्रस्तुत चल तथा अचल सम्पत्तियों की सभी विवरणियों की नये सिरे से जांच करवाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या उपयुक्त कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख):सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणों की नियमित जांच की कार्यविधि और इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तृत अनुदेश डाक-तार विभाग में पहले ही से मौजूद है। इन अनुदेशों के अनुसार सम्पत्ति-विवरणों की पूरी-पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इस सिलसिले में आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार

2221. **श्री समर मुखर्जी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में भारत में सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास के बारे में कोई सेमिनार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली में 19 से 30 सितम्बर, 1977 तक हुए सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास (भारत) सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/नार्वे राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य निष्कर्षों, निर्णयों और सिफारिशों का सार संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या 1224/77]

(ग) सेमिनार की विभिन्न सिफारिशों को नोट कर लिया गया है।

Indian Experts in Mauritius

2222. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to State :

(a) the number of Indian experts working in Mauritius at present and their fields of work;

(b) whether it is a fact that the Government of Mauritius have asked more experts from India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) According to information available with the Ministry of External Affairs, there are 59 Indian experts presently working in Mauritius. Of these, 41 are under the Indian technical and Economic Cooperation Programme, and 18 on bilateral contract. The experts belong to various fields of specilisations including engineering, medicine, forestry, geology, fisheries, law, agriculture, fine arts, sports, etc.

(b) & (c): We do receive requests for additional experts from time to time and try to meet them to the extent practicable in the spirit of the friendly cooperation which characterizes Indo-Mauritian relations.

अरब देशों को भेजे गए डाक्टर

2223. **श्री कचरुमल हेमराज जैन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान अरब देशों को कितने डाक्टर भेजे गये ;

(ख) डाक्टरों को विदेशों को भेजने के लिए चुनने की कसौटी क्या है अर्थात् उनकी अर्हतायें आदि और उन्हें कितने वर्षों के लिए विदेश भेजा जाता है ;

(ग) अरब देशों को भेजे जाने के लिए कितने डाक्टरो के आवेदन पत्र मंत्रालय के निर्णयाधीन हैं और वे कबसे निर्णयाधीन हैं तथा उन पर कब निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या अरब देशों को डाक्टर भेजने में स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) 87 (31 अक्तूबर 1977 तक)

(ख) उम्मीदवारों का वास्तविक चयन विशेषज्ञों की मांग करने वाली विदेशी सरकारों/अभिकरणो द्वारा उम्मोदवारो की उस सूची में से किया जाता है जो विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उम्मोदवारों के व्यक्तिक विवरणों अथवा भारत में लिए गए साक्षात्कार के आधार पर प्रस्तुत करता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने यहां की सूचियो में से ऐसे उम्मोदवारों के नाम, उनकी बारी आने पर प्रस्तावित करता है जो निर्धारित योग्यताओ और अनुभव के आधार पर खरे उतरते हों वे विशेषज्ञ जो स्नातक अथवा उससे अधिक योग्यता रखते हों और जिन्हें अपने विशिष्ट क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव हो इस सूची में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह पंजीकरण तीन वर्ष के लिए वैध होता है जिसके समाप्त होने पर उम्मीदवार इसका नवीकरण करा सकता है । सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए अपने आवेदन पत्र अपने नियोक्ताओं के माध्यम से भेजने होते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर एक वर्ष से तीन वर्ष होती है और सरकारी कर्मचारियों के मामले में वह अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।

(ग) 30-10-1977 को एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के विकासशील देशो में नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पंजीकृत किए गये डाक्टरो की संख्या 8,779 थी। चूंकि यह सूची तीन वर्ष के लिए वैध होती है, इसलिए कोई भी आवेदन पत्र तीन वर्ष से अधिक अवधि से निलंबित नहीं है। यह बताना संभव नहीं है कि पंजीकृत किए गए उम्मोदवार का वास्तविक चयन कब होगा क्योंकि यह विदेशों की मांग पर निर्भर करता है ।

(घ) विदेशों में नियुक्त करने के लिए उचित उम्मोदवारों का नाम भेजते समय किसी विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई वरीयता नहीं दी जाती ।

स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड की मेटालाजिकल इंजीनियरिंग कन्सल्टेंसी आर्गेनाइजेशन द्वारा अल्युमिनियम संयंत्रों की लगाने का अनुरोध

2224. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटालीजिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन, जो स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड का एक सहायक संगठन है, ने केन्द्रीय सरकार को एलूमिना और अलुमिनियम संयंत्रों के स्थापन स्थलों की संभाव्यता पर अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) क्या उन्होने एलुमिना संयंत्र को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिला के नरसिंहाटनम ताल्लुक के कृष्णा देवीपेट में और अलुमीनियम संयंत्र को विजयवाड़ा के समीप इब्राहिम पटनम में लगाने की सिफारिश की है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : पूर्वी घाट बाक्साइट भंडारों पर आधारित एल्यूमिना कारखाने के बारे में मैकोन मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी संगठन ने एक साध्यता-पूर्व रिपोर्ट भारत एल्यूमीनियम कंपनी को पेश कर दी है। उन्होने आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र के लिए अनेक संभावित स्थलों पर विचार किया है जिनमें से एक कृष्णादेवी पट्टा के निकट गोलकुंडा भी है।

साध्यता-पूर्व रिपोर्ट मिलने के बाद, रुस के स्वेतमेत प्रोम एक्सपोर्ट तथा भारत एल्यू० कंपनी लि० के बीच सैद्धान्तिक करार हुआ है जिसके अनुसार पूर्व पक्ष इस परियोजना के लिए व्यापक साध्यता अध्ययन के प्रस्ताव भेजेगा और परियोजना को उपयोगी पाए जाने पर उसे 'प्रतिपूर्ति' आधार पर स्थापित किया जाएगा। कथित व्यापक परियोजना रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद ही कारखाने के लिए उपयुक्त स्थल के बारे में निर्णय किया जाएगा।

मेग्नेसाइट अयस्क की मांग

2225 **श्री के० राममूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हर प्रकार की आवश्यकता के लिए कच्चे मेग्नेसाइट अयस्क की कितनी मात्रा की आवश्यकता है ;

(ख) क्या हम मांग की पूर्ति के लिए कच्चे मेग्नेसाइट का आयात कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हम आत्मनिर्भर है तो क्या मेग्नेसाइट का आयात उच्च किस्म के लिए किया जाता है अथवा किसी अन्य आधार पर ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कच्चे मेग्नेसाइट अयस्क की समस्त प्रतिवर्ष आवश्यकता लगभग 4 लाख टन है।

(ख) और (ग) : कच्चे मेग्नेसाइट का आयात नहीं हो रहा है। फिर भी, क्वालिटी के विचार से कभी-कभी 'डेड बर्नट' मेग्नेसाइट का आयात किया जाता है।

इस्पात का उत्पादन

2226. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में विभिन्न एककों में इस्पात के उत्पादन एवं पारेषण सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं और गत वर्ष से किस प्रकार तुलनीय हैं ;

(ख) 31 अक्तूबर, 1977 को स्टाक की स्थिति क्या थी ;

(ग) क्या आन्तरिक मांग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष में स्थिति की क्या सम्भावनायें हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1977 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1976 के दौरान सर्वोतोमुखी इस्पात कारखानों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन और प्रेषण तथा उनमें कमी-बेशी के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) 31-10-77 को मुख्य उत्पादकों के पास इस्पात का स्टाक लगभग 13 लाख टन था ।

(ग) जी, हाँ। मुख्य उत्पादकों द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 1977 की अवधि में घरेलू बाजार में लगभग 30 लाख टन विक्रेय इस्पात बेचा गया जबकि अप्रैल से सितम्बर, 1976 की अवधि में 25 लाख टन विक्रेय इस्पात बेचा गया था ।

(घ) घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1977-78 के दौरान इस्पात के निर्यात की सम्भावना संतोषजनक है ।

विवरण

(हजार टन)

कारखाना	उपादन			प्रेषण		
	अप्रल-सितम्बर, 1977	अप्रल-सितम्बर, 1976	कमी-बेशी	अप्रैल-सितम्बर, 1977	अप्रैल-सितम्बर, 1976	कमी-बेशी
1	2	3	4	5	6	7
भिलाई . .	953	983	(—) 30	931	1032	(—) 101
दुर्गापुर . .	419	443	(—) 24	433	464	(—) 31
राउरकेला . .	550	558	(—) 8	545	529	(+) 16
बोकारो . .	439	343	(+) 96	429	338	(+) 91
इस्को . .	237	255	(—) 18	246	271	(—) 25
टिस्को . .	769	730	(+) 39	788	727	(+) 61
कुल . .	3367	3312	(+) 55	3372	3361	(+) 11

मंत्रालय के कार्यकरण में परिवर्तन

2227. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंत्रालय तथा इसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभिन्न संगठनों तथा उत्पादन एककों के कार्यकरण में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पुनर्गठन के परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : संभवतः अभिप्राय सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के पुनर्गठन के बारे में हाल में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय

से है। यह महसूस किया गया था कि इस्पात उद्योग की कार्यकुशलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों की एक समग्र कम्पनी के सर्वोपरि नियंत्रण में लाया जाये ताकि यह एक सर्वतोमुखी इस्पात कम्पलैक्स के रूप में कार्य कर सके और उन सभी कार्यों को, जिनका इस्पात उत्पादन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाये। प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लि०, सेलम स्टील लि०, सेल इन्टरनेशनल लि०, भिलाई इस्पात लि०, राउरकेला इस्पात लि० और दुर्गापुर मिश्र इस्पात लि०, जो कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के पूर्ण स्वामित्व में इसकी सहायक कम्पनियां हैं, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) में मिला दी जायेंगी और ये कंपनियां सेल के प्रभाग के रूप में कार्य करेंगी।

(2) इस समय इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० में सरकार के जो शेयर हैं उनको सेल को अन्तरित कर दिया जायेगा और यह कम्पनी सेल की एक सहायक कम्पनी बन जायेगी। वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पार्टियों द्वारा लिए गए शेयरों के अधिग्रहण के पश्चात् इस्को भी सेल का एक प्रभाग बन जायेगी।

(3) मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि सेल के पूर्ण स्वामित्व में इसकी सहायक कम्पनियां हैं, इस्पात विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतंत्र कंपनियां बन जायेंगी। लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की पिरिबुरू और मधाटाबुरु लौह अयस्क की खाने सेल को अन्तरित कर दी जायेंगी और ये खानें बोकारो इस्पात कारखाने की रक्षित इकाइयां होंगी।

(4) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, जो कि बोकारो स्टील लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में उसकी एक सहायक कम्पनी है और अन्य सभी उष्मसह इकाइयां इस्पात विभाग के सीधे नियंत्रण में आ जायेंगी।

(5) दुग्दा, भोजुडोह और पाथरडीह में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की केन्द्रीय कोयला शोधनशालाएं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को अन्तरित कर दी जायेंगी।

(6) सेल में कार्यात्मक प्रभाग होंगे जो इसकी विभिन्न इकाइयों के कार्यों को करेंगे और निगम स्तर पर नीति संबंधी मामले निपटायेंगे।

(7) विभिन्न इकाइयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जाये ताकि इन इकाइयों के काम में अधिकतम कुशलता आ सके।

(8) इन प्रस्तावों को विधान द्वारा लागू करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के अलावा मंत्रालय की कार्यकुशलता में सुधार लाने की दृष्टि से मंत्रालय के कार्य को सुप्रवाही बनाने के लिए कुछ सामान्य उपाय किए गए हैं। अन्य देशों के कार्यक्रमों और प्रायोजनाओं पर, जिनमें हमारे परामर्शदातृ, इंजीनियरी और उत्पादन संगठन बड़ी मात्रा में भाग ले सकते हैं, बल देने के लिए अपर सचिव की देखरेख में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में मंत्रालय में एक विशेष कक्ष भी खोला गया है।

जीवन निर्वाह सूचकांक के लिए आधार वर्ष

2228. **श्री आर० के० महालगी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह सूचकांक के लिए अभी भी '1960' को ही "आधार-वर्ष" माना जाता है ;

(ख) क्या विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में परिवारों का नमूना सर्वेक्षण प्रति दस वर्ष बाद किया जाता है ;

(ग) क्या ऐसा सर्वेक्षण 1970 में किया गया था ;

(घ) क्या उपरोक्त सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) जीवन निर्वाह सूचकांक के लिए '1970' को आधार वर्ष कब माना जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) : श्रमजीवी वर्ग के लिए उपभोगता मूल्य सूचकांक की वर्तमान सीरीज़ का आधार वर्ष 1960 है और सीरीज़ 1958-59 में किए गए परिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार, परिवार जीवन-निर्वाह सर्वेक्षण सामान्यतः सूचकांक के लिए वेटिंग डायग्राम को अद्यतन बनाने हेतु 10 वर्षों के अन्तराल में किया जाना चाहिए, श्रम ब्यूरो ने नवीनतम श्रमजीवी परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण 1971 में किया। इस सर्वेक्षण के आधार पर, 1971-100 के आधार पर सूचकांक की नई सीरीजें को तैयार किया जा रहा है। 1971 आधार वाली सीरीजों को प्रारम्भ करने के प्रश्न पर उपभोगता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति, जिसका उपभोगता मूल्य सूचकांक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए गठन किया गया है, की रिपोर्ट को ध्यान में रखने के बाद निर्णय किया जाएगा।

S.T.D. Service in Bhagalpur City

†2230. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal for introducing S.T.D. Service Scheme in Bhagalpur City in Bihar; and

(b) if so, the time by which it would start functioning?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : Yes, Sir. Bhagalpur is at present a manual telephone exchange. It is expected to be converted to automatic working in 1981-82. STD facilities will be introduced soon after the above conversion.

Contraceptive Pills

2231. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to bring in the market soon the contraceptive pills; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b): Contraceptive pills manufactured by several private Drug companies are available in the market. Feasibility of commercial distribution and sale of contraceptive pills at present distributed free under the Family Welfare Programme, is also being examined but no decision has yet been taken in this regard.

हैदराबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के आवेदनपत्र की संख्या

2232. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1977 के पासपोर्ट नियमों के परिवर्तन के पश्चात से हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिये आवेदनपत्रों की संख्या में वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां पर क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हाँ। हैदराबाद कार्यालय में पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या चौगुनी से ज्यादा हो गई है।

(ख) और (ग) : इस बढ़े हुए काम को निपटाने के लिए सरकार ने हाल ही में हैदराबाद कार्यालय के लिए तदर्थ आधार पर 8 अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाने की संस्वीकृति दी है । सरकार इस कार्यालय की स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और जब जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार फिर समुचित कदम उठायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोला जाना

2233. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है जैसा नई दिल्ली में है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) हमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के माडल पर आन्ध्र प्रदेश में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने के विषय में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Malaria Eradication Programme

2234. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that culex male mosquitoes are not found in Purnea, Katihar and other cities in Northern India and inspite of that officers and employees engaged in Filaria Eradication Campaign, are working there;

(b) whether it is also a fact that after developing Filaria the patient has fever along with cold and some glands are also affected;

(c) whether such patients are not found in said places in Northern India but the complaints of malaria incidence have increased; and

(d) if so, the time by which Malaria Eradication Campaign instead of Filaria would be started and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) No, on the other hand, the towns of Katihar, Purnea, Bettiah, Motihari, Muzffarpur, Darbhanga, Chhapra, Hazipur, Barauni and Bhagalpur in North Bihar have high densities of culex fatigans mosquitoes (both male & female). Hence activities under National Filaria Control Programme are in progress in these towns.

(b) Yes, filariasis is characterised by repeated attacks of fever and swelling of glands followed by permanent swelling of different limbs and genitals.

(c) No, the towns in question are endemic for filariasis. The comparative figures of reported Malaria positive cases during the corresponding period upto August in 1976 and 1977 in the districts referred to are given below:

	1976 (upto August)	1977 (upto August)
Purnea	2	—
Katihar	9	2
Bhagalpur	4	30
Saharsa	78	268

(d) Anti-larval operations are carried out under both the Urban Malaria Scheme and Filaria Control Programme with a view to reducing the mosquito density. Thus Anti-larval work in the towns referred to is aimed against all mosquitoes including those that spread Malaria. Besides, Anti-malarials for treatment of malaria cases are also provided in these towns. Assistance to State Governments is admissible for antimalarial activities in accordance with the modified plan of operation for malaria control. The plan is applicable to areas having an annual parasitic index of 2 or more cases per thousand of population.

R.M.S. Office at Barsoi Junction

*2235. **Shri Yuvraj**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the R.M.S. office at Barosoi Junction on N.E. Railway receives ten thousand letters daily;

(b) whether it is a fact that there is neither provision for registration of letters there nor has a P.C.O. been provided in public interest;

(c) whether there is no arrangement there for sorting of letters; and

(d) if so, when arrangements for registration and sorting of letters will be made and also P.C.O. provided and in case it is not proposed to do so, the reasons thereof ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No. Sir.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) There is no proposal at present for providing for the sorting of letters or for booking of registered letters or for installing a Public Call Office.

विशाखापत्तनम में तटीय समेकित इस्पात संयंत्र

2236. **श्री समर मुखर्जी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विशाखापत्तनम में एक तटीय समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) : सरकार विशाखापत्तनम सहित बन्दरगाह की सुविधा वाले कुछ नगरों में निर्यातोन्मुख इस्पात कारखाने लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। विशाखापत्तनम में लगाए जाने वाले 30 लाख टन वार्षिक क्षमता के इस्पात कारखाने के लिए सलाहकारों—मैसर्स दस्तूर एण्ड कं० प्रा० लि० द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० इस प्रतिवेदन की जांच कर रही है। इस्पात और खान सचिव ने, जो हाल ही में सोवियत रूस के दौरे पर गए थे, सोवियत रूस की सहायता से बन्दरगाह की सुविधा वाले नगर में ऐसे एक कारखाने के प्रथम चरण में एक धमन भट्टी लगाने के बारे में समन्वेषण सम्बन्धी बातचीत भी की थी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को प्रस्तुत अभ्यावेदन

2237. **श्री आर० के० महालगी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 28 सितम्बर, 1977 को पुणे (महाराष्ट्र) के दौरे के समय उनको कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) उपरोक्त अभ्यावदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया गया था ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्यवाही कब तक की जायगी और क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) (ग) और (घ) : केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के 28 सितम्बर, 1977 के पुणे (महाराष्ट्र) के दौरे के दौरान उनको प्राप्त हुए अधिकांश अभ्यावेदन महाराष्ट्र राज्य सरकार से संबंधित थे और तदनुसार उस अवसर पर उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारियों को दे दिये गए थे। तीन अभ्यावेदन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित थे और इसलिए आवश्यक कार्यवाही हेतु उनको भेज दिये गए थे। केवल 12 अभ्यावेदन इस मंत्रालय से संबंधित थे और उन पर विचार किया जा रहा है।

Reduction in Call Charges of Vantholishapur, Junagarh District

*2238. **Shri Dharmasinghbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether Shapur (Sorad) is only 5 Kilometres from Vantholi (Sorad) Telephone Exchange in Junagarh District, Gujarat and if so, the reasons for charging 50 paise per call for Vantholi-Shapur; and

(b) the date when 50 paise telephone charge for Vantholi-Shapur was introduced and when this is likely to be reduced?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) These two places are having separate Telephone Exchange Systems. Calls between these two Stations are treated as Trunk Calls and charged as such.

(b) The present rate of 50 paise for Trunk Calls charges between two stations within 20 Km is prevalent with effect from 1st March, 1976 and there is no proposal now to revise these rates.

Installation of Telephone Exchange at Dilawar Nagar

2239. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are telephone exchanges at Vantholi (Sorad) and Shapur (Sorad) in Junagarh District of Gujarat;

(b) whether Government propose to discontinue both these telephone exchanges and provide a single telephone exchange at "Dilawar Nagar" situated between Vantholi and Shapur; and

(c) whether this will curtail the expenditure being incurred on both the telephone exchanges at Vantholi and Shapur and if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) No, Sir.

Lalpur Post Office

2240. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Post Office, Lalpur, a taluka headquarters in Jamnagar District of Gujarat, has been functioning in a hired building and if so, since when;

(b) whether a plot for construction of a Post Office building in Lalpur has been purchased and if so, when and the area thereof; and

(c) when will the Post Office building and quarters for employees will be constructed and when is the Post Office likely to start functioning in its own building?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Lalpur Post Office is functioning in a rented building with effect from 1-6-1964.

(b) A plot of land measuring 17085 sq.ft. was purchased on 6-12-1966.

(c) The work relating to Post Office building has been approved for construction which will commence in a month or two. The Post Office will shift to the new building as soon as the construction is complete. There is no proposal for construction of staff quarters at Lalpur for the present.

Local Telephone Advisory Committee in Junagarh

2241. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether a Local Telephone Advisory Committee is formed if the number of telephone connections exceed 1500 at a particular place;

(b) if so, the reasons why such a Committee has not been formed for Junagarh where there are about 1800 telephone connections; and

(c) when the Local Telephones Advisory Committee for Junagarh city will be formed and how the persons will be included in it?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति

2242. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ महीनों में दिल्ली में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) : दिल्ली में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के संबंध में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । मार्च और अक्तूबर, 1977 के अंत में दिल्ली में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना क्रमश: 2.28 और 2.23 लाख थी, जो पिछले 8 महीनों के दौरान चालू रजिस्टर में दर्ज संख्या में न्यूनतम कमी दिखाता है ।

रेलवेपुरा नं० 2 टेलीफोन एक्सचेंज, अहमदाबाद

2243. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित किया गया रेलवेपुरा नं० 2 टेलीफोन एक्सचेंज, अहमदाबाद तैयार है और अभी तक उसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है और चालू नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह एक्सचेंज कब चालू होगा और आवेदकों/उपभोक्ताओं को कब तक नये कनेक्शन दिये जायेंगे ; और

(घ) उक्त एक्सचेंज को अप्रयुक्त और बन्द पड़ा रखने से सरकार को कितनी हानि हो रही है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरी प्रसाद साय) : (क), (ख), (ग) और (घ) अहमदाबाद में रेलवेपुरा नं० 2 टेलीफोन एक्सचेंज विस्तृत परीक्षण के बाद नवम्बर, 1977 के शुरू में चालू किये जाने के लिए तैयार हो गया था। तत्संबधी कार्य जैसे कि इलाकों का समायोजन करने के लिए केबलों की पुनर्व्यवस्था, अन्य एक्सचेंजों के साथ एक दूसरे को जोड़ने के लिए जंक्शन उपस्कर की व्यवस्था और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिए अहमदाबाद ट्रंक आटो एक्सचेंज के साथ जोड़ने के कार्य भी उसी समय पूरे हो गये थे।

यह एक्सचेंज 26-11-77 को चालू किया जा चका है। इसमें रेलवेपुरा नं० 1 से 1,500 लाइनें अन्तरित की गई हैं। रायपुरगेट से रेलवेपुरा नं० 1 को और वाटवा से रायपुरगेट को चालू कनेक्शन अन्तरित करने का काम इस समय चल रहा है। इन सभी इलाकों में अगले 2 महीनों में टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने हैं। इस प्रकार प्रतीक्षा सूची में काफी कम आवेदकों के नाम रह जाएंगे

स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान के लिए विशिष्ट तरीकों का उपयोग

2244. **श्री के० माधवेर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण समस्याओं पर सार्थक अनुसंधान के लिए विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट तरीकों के कार्य की पुनरावृत्ति या दोहरेपन को रोकते हुए, उपयोग करने के लिए क्या सुस्पष्ट उपाय किए गए हैं ; और

(ख) गत सात महीनों में इस दिशा में क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और भविष्य में अनुसंधान पर उनका क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने एसी योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं जिनके अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में वर्तमान समस्याओं पर रचनात्मक अनुसंधान करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जैसी संस्थाओं को धन दे दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई है जिसके द्वारा पुनरावृत्ति तथा दोहरेपन को रोका जाता है।

(ख) हाल ही में हैजा, क्षय रोग, कुष्ठरोग, कुपोषण और पोषण संबंधी विकारों और जनन नियंत्रण जैसे प्राथमिकता वाले भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्राकृतिक चिकित्सा को लोकप्रिय बनाना

2245. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री द्वारा अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन में दिए गए आश्वासन के अनुरूप प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता दे दी है ;

(ख) क्या सरकार का प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या सरकार का प्राकृतिक चिकित्सा को जन-संचार के माध्यमों से लोकप्रिय बनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) प्रधान मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था । वैसे सरकार इसे एक अलग पद्धति मानकर स्वैच्छिक प्राकृतिक उपचार संस्थाओं को अनुदान दे रही है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसी कोई निश्चित योजना विचाराधीन नहीं है । फिर भी, बीमारियों की रोकथाम के लिए कोस आसनों तथा अन्य तरीकों का प्रचार जन-प्रचार माध्यमों से अवश्य किया जाता है ।

इंडियन ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेजीडेंट के पौधे पर आधारित औषधियों के बारे में विचार

2246. श्री राजकेशर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेजीडेंट द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार से सहमत है कि पौधे पर आधारित औषधियां भारत के लिए वसी ही बन जायेंगी "जैसे अरबों के लिए तेल है" ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना रसायन और उर्वरक मंत्रालय से, जो इससे सम्बन्धित है, एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन संधि

2247. श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1977 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इंडियन मिशन कैप्ट इन डार्क एबाउट डिसिजन आफ़ ए न्यू ट्रेड एण्ड ट्रांसिस्ट ट्रीटी विद नेपाल (नेपाल के साथ नई व्यापार तथा पारगमन सन्धि के निर्णय के बारे में भारतीय दूतावास को सूचना न देना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) : सरकार ने यह प्रेस रिपोर्ट देखी है । राजदूत को समुचित रूप से सूचित रखा गया है ।

कुष्ठरोग, हैजा और तपेदिक के संबंध में किया गया सर्वेक्षण

2248. श्री ईश्वर चौधरी :
श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठरोग, हैजा और तपेदिक आदि जैसे रोगों की व्यापकता के संबंध में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां प्रत्येक रोग के रोगियों की अधिकतम संख्या है ; और

(ग) इन रोगों पर काबू पाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) : कुष्ठरोग, हैजा और तपेदिक के बारे में अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

विवरण

	कुष्ठरोग	हैजा	तपेदिक
1. सर्वेक्षण करने के बारे में स्थिति ।	भारत सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है किन्तु राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अंश के रूप में ये सर्वेक्षण जिलों में स्थापित केन्द्रों द्वारा अपने-अपने सामान्य कार्यकलापों के अंग के रूप में किये जाते हैं ।	अब तक कोई भी योजना-बद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।	जी, हां । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में 1955-58 में एक राष्ट्रीय नमूना क्षयरोग सर्वेक्षण किया गया । बाद में देश के विभिन्न भागों में भी लघु सर्वेक्षण किए गए हैं जिन में राष्ट्रीय नमूना क्षयरोग सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिए गए हैं ।
2. उन राज्यों के नाम जिनमें रोगियों की संख्या सर्वाधिक है ।	तमिलनाडु । परन्तु आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, पांडिचेरी, असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और राजस्थान में भी रोगियों की काफी संख्या है ।	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार ने सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या बताई है ।	उत्तर प्रदेश

विवरण—जारी

	कुष्ठरोग	हैजा	तपेदिक
3. सरकार द्वारा रोगों को नियंत्रण करने के लिए किए गए प्रयास।	भारत सरकार ने कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया। 386 कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों, 4,780 सर्वे, शिक्षा और उपचार केन्द्रों, 331 नगरीय कुष्ठ केन्द्रों, 129 अस्थाई अस्पताली भर्ती के वार्डों (प्रत्येक में 20 पलंग) 62 पुनर्निमित सर्जरी यूनिटों और दो अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है। बहिरंग और अंतरंग सेवाओं के माध्यम से आरंभ में व्यक्तियों के रोगों का पता लगाना और फिर नियमित रूप से उपचार करना, अब कुष्ठ नियंत्रण के मुख्य सिद्धांत हैं। स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता अनुदान योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि उनका सहानुभूतीपूर्वक सहयोग लिया जा सके। संक्रामक कुष्ठ रोगियों के सम्पर्क में आने वाले बच्चों का भी रोग निरोधी उपचार किया जाता है।	केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी है ताकि वे भिन्न-भिन्न स्थानिक-भारी राज्यों में हैजा नियंत्रण दलों की व्यवस्था कर सकें। भारत सरकार, हैजा नियंत्रण दलों को सामग्री और उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करती है।	क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का देश व्यापी आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत जिलों में स्थापित वर्तमान चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से रोगियों के रोगों का पता लगाने, उनका उपचार करने और बी० सी० जी० के टीके लगाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में स्टाफ और साजसामान से लस जिला क्षयरोग केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि बीमार लोग अपने घरों के नजदीक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। कमजोर लोगों में तपेदिक के विकास को रोकने के लिए 1955 से बी० सी० जी० के टीके लगाने का काम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा पांचवीं योजना के दौरान केन्द्र-पोषित सेक्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षयरोग की औषधियां और बी० सी० जी० के टीके मुफ्त सप्लाई किये जाते हैं।

Reinstating the Employees Removed From Service During Emergency

2249. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of employees of his Ministry removed from service during emergency;

(b) the number of employees among them reinstated and of those yet to be reinstated; and

(c) the reasons for not reinstating them so far and Government's future policy in this regard?

The Minister of State for Health and Family Welfare: (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a), (b) & (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Deposit of P.F. by Messrs Nalikool Private Limited, Hooghly

2250. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the amount of Provident Fund deposited by Messrs Nalikool Private Limited, District Hooghly and the amount outstanding against this firm during the last three years and the action being taken by Government to get the remaining amount deposited; and

(b) whether many employees have been removed from service without serving any notice and they have not been given benefit admissible under the labour welfare laws?

Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): (a) and (b): The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

P.F. Outstanding against Jam Textile Mill, Bombay

2251. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the amount of Provident Fund outstanding against Jam Textile Mill, Bombay during the last 3 years and the action being taken by Government to get it deposited;

(b) whether some of the employees retrenched during the last 3 years have not been given the benefit admissible under the labour welfare laws; and

(c) if so, their number?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): (a), (b) and (c): The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

इस्पात वितरण व्यवस्था

2252. श्री डी० डी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील स्टाकयार्ड वितरण व्यवस्था समाप्त करने अथवा उसमें कमी लाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के पास विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Revenue Earned from Salempur Telephone Exchange, District Deoria (U. P.)

2253. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the total revenue earned by the Salempur telephone exchange in district Deoria (U.P.) from 1st January, 1977 to 31st March, 1977, and from 1st April, 1977 to 30th June, 1977?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : Total telephone revenue earned by Salempur telephone exchange from—

1st January, 77 to 31st March, 77	—	Rs. 3,691.50
1st April, 77 to 30th June, 77	—	Rs. 4,127.00

भारतीय तथा पाकिस्तानी पर्यटकों को पारपत्र जारी किया जाना

2254. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के नागरिकों को पर्यटक के रूप में एक दूसरे के देश में जाने की अनुमति देने या पारपत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करेगी ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) 16 अगस्त, 1977 से सभी भारतीय पासपोर्ट "दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया को छोड़कर सभी देशों" की यात्रा के लिए वैध पृष्ठांकित किए जा रहे हैं। इसलिए जो भारतीय नागरिक किसी भी उद्देश्य से, जिसमें पर्यटन भी शामिल है पाकिस्तान जाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती। पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच वर्तमान बीजा करार के अन्तर्गत दोनों देशों के नागरिक सम्बन्धियों/मित्रों से मिलने के लिए, व्यापार, पारगमन आदि जैसे उद्देश्यों के लिए एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं लेकिन वर्तमान करार में पर्यटन के लिए की जाने वाली यात्राएं शामिल नहीं हैं।

(ख) जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, भारत सरकार पाकिस्तानी सरकार के साथ इस प्रश्न को उठाने के लिए तैयार रहेगी कि दोनों देशों के नागरिकों को पारस्परिकता के आधार पर पर्यटन के लिए एक दूसरे देश में आने जाने की इजाजत दी जाए।

लौह मिश्रधातु पर आयात शुल्क समाप्त करने का अनुरोध

2255. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने सरकार से अनुरोध किया है कि मिश्रधातु और विशेष इस्पात तैयार करने में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के लौह मिश्रित धातुओं पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) इस सुझाव को मानना सम्भव नहीं है।

भोपाल में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का सम्मेलन

2256. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1977 में भोपाल में राज्य स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का एक तीन दिन का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में बताया गया था कि आगामी कुछ वर्षों में जनता को सस्ती और निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक स्वास्थ्य योजना आरंभ की जायेगी ;

(ग) क्या भारत में सभी जिलों में नई स्वास्थ्य योजना तुरन्त लागू हो जायेगी ; और

(घ) क्या इस योजना की क्रियान्विति में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सहायता देने का निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंतर्गत गांवों की जनता जन स्वास्थ्य रक्षक की सेवाओं का लाभ उठा सकेगी । इस कार्यकर्ता को जिसे जनता स्वयं चुनेगी, स्वास्थ्य सेवाओं के मूल सिद्धांतों, स्वास्थ्य को बनाये रखने के उपायों, स्वास्थ्य विज्ञान, जच्चा-बच्चा देखरेख, आम संक्रामक बीमारियों के इलाज, छोटी-मोटी बीमारियों, प्रथमोपचार, आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

(ग) पहले चरण में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को 28 बहुधंधी कार्यकर्ता जिलों में तथा देश के शेष जिलों के एक-एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चलाया गया है ।

(घ) कुछ हद तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता/सहयोग मिला है । भविष्य में उनकी सहायता स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिये मिलने की संभावना है ।

कोल्हापूर के श्री साहू छत्रपति की स्मृति डाक-टिकट

2257. **डा० बापू कालदाते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर के श्री साहू छत्रपति की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ग) सरकार का कब तक डाक टिकट जारी करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : कोल्हापुर के श्री साहू छत्रपति के सम्मान में एक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आल इंडिया पोस्टल इम्पलाइज एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन

2258. **डा० बापू कालदाते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया पोस्टल एकाउन्ट्स एम्पलाइज एसोसिएशन और नान-गजटिड पोस्टल आडिट एसोसिएशन ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) डाक-तार विभाग के कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के लिये सर्व सामान्य वरिष्ठता ।

(2) मीसा के अधीन नजरबन्द किये गये सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन और भत्ते देना ।

(3) 1968 और 1974 की हड़तालों के कारण किये गये उत्पीड़न का समाप्त ।

(ग) इस संबद्ध में क्रमवार स्थिति इस प्रकार है :—

(1) यह मामला न्यायाधीन है ।

(2) इस विषय से संबंधित मौजूदा हिदायतों 8 अनुसार यह मांग स्वीकार्य नहीं है ।

(3) यह मामला विचाराधीन है ।

हैदराबाद में टेलिफोन कनेक्शन

2259. **श्री पी०राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के लोगों को नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये दो वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और,

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय) : (क) 31-10-77 को हैदराबाद में 34,721 सीधी एक्सचेंज लाइनें काम कर रही थीं और 2,197 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा-सूची में दर्ज थे । इनमें से केवल 117 आवेदकों के नाम ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत दर्ज थे । हैदराबाद में अप्रैल, 1977 तक ओ० वाई० टी० श्रेणी में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं । सामान्य श्रेणी में सबसे पुरानी अनिर्णीत अर्जी अगस्त, 1974 की है । यह अर्जी गावलीगडा इलाके में दर्ज है ।

(ख) और (ग) : विभाग टेलीफोन की मांग करने पर टेलीफोन कनेक्शन नहीं दे पा रहा है, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि क्रमिक योजनाओं के लिए जो कुल साधन उपलब्ध हैं, उनके अन्तर्गत दूरसंचार के विकास के लिए सीमित साधन निर्धारित किए जाते हैं । इन्हीं सीमित साधनों के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों और छोटे शहरों के विकास के हित में उन क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाती है और बड़े शहरों में टेलीफोन की मांगें बकाया हो जाती हैं ।

साधन सीमित होने के कारण, निकट भविष्य में भी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र

2260. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र सम्मिलित करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस संयंत्र के लिये कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : 1 अप्रैल, 1978 से एक रोलिंग प्लान बनाने के बारे में सरकार के निर्णय के अनुसार योजना आयोग ने वर्ष 1978 से 1983 की अवधि के लिए इस्पात उद्योग के विकास का अनुमान लगाने के लिए एक लोहा और इस्पात कार्यकारी दल का गठन किया है। इस कार्यकारी दल ने अभी अंतिम रूप से अपना विचार-विनिमय पूरा नहीं किया है। योजना आयोग के साथ कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के पश्चात् ही इस बारे में पूरी तरह से पता चल सकेगा।

श्रीलंका से आये भारतीयों की संख्या

2261. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के करार के अनुसार 31 मार्च, 1977 तक श्रीलंका से आये भारत मूलक व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को बसाया गया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) 1964 के करार के अन्तर्गत 31 मार्च, 1977 तक श्रीलंका से भारतीय मूल के 250,148 व्यक्तियों को, जिनमें उनकी संतति भी शामिल है, भारत प्रत्यावर्तित किया जा चुका था।

(ख) पुनर्वास विभाग के अनुसार लगभग 150,000 व्यक्तियों को पूर्णतया पुनर्वासित कर दिया गया है। शेष प्रत्यावर्तितों के पुनर्वास का कार्य चल रहा है।

Bungling in Loans given to stores by Coal Mines Labour Welfare Fund

2262. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the Coal Mines Labour Welfare Fund has to realise amount of loan to the tune of Rs. 85 lakhs from the cooperative stores and these stores have no money to pay;

(b) when he has come to know about this serious bungling and who has been held responsible therefor; and

(c) whether Government consider it necessary to conduct an inquiry into this serious case through a high level tribunal?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) In 1968 it came to the notice of the Ministry that cooperative stores were incurring huge losses and loans advanced by the Coal

Mines Welfare Organisation were not being re-paid. As on 30-6-77, the principal amount of loan due for re-payment is Rs. 42.06 lakhs. Interest amounting to Rs. 42.41 lakhs has also become due.

(b) & (c): A Sub-Committee of the Advisory Committee of the Coal Mines Labour Welfare Organisation reviewed the position in 1969 and according to its recommendations further loans and subsidy to cooperative stores and societies have been stopped. The Registrar, Cooperative Societies, Bihar was also requested to look into the working of the cooperative stores. Efforts are being made to improve the working of the stores and to realise the amount of loan advanced to the societies. During the period 1-4-75 to 30-6-77, Rs. 3.70 lakhs have been recovered towards the principal amount of loan. Since administrative action has been initiated to realize the dues and for fixing responsibility for such huge arrears, it has not been considered necessary to have the enquiries made by a high level tribunal at this stage.

Vacant Post of Coal Mines Welfare Commissioner

2263. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state whether the post of the Coal Mines Welfare Commissioner has been lying vacant for the last six months and if so, the reasons for not filling it up so far ?

The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs & Labour (Shri Larang Sai): Some officers were selected for the post of the Coal Mines Welfare Commissioner prior to 15-4-1977 when the post fell vacant but those officers could not be released by their parent departments. A suitable officer will be posted shortly.

Vigilence Cases Pending in Coal Mines Labour Welfare Fund

2264. **Shri R.L.P. Verma:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether a large number of vigilence cases under the Coal Mines Welfare Fund have been pending for many years and if so, the reasons therefor; and

(b) whether Government propose to formulate a scheme to ensure the disposal of cases within 5-6 months ?

The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs & Labour (Shri Larang Sai) : (a) There are 16 vigilence cases pending in the Coal Mines Welfare Organisation. Enquiries in 5 cases have been completed and the remaining cases are at different stages of enquiry. These enquiries being quasi-judicial in nature delay cannot always be avoided.

(b) Instructions have been given to the concerned officers to dispose off the pending enquiries on priority basis.

काश्मीर

2265. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर समस्या को सुलझाने के लिये हाल में भारत और पाकिस्तान में बातचीत हुई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार, बढ़ाने तथा आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पुरे तथ्य क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) इस प्रश्न पर हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को बेहतर करने के प्रयास चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी 1975 के भारत-पाक व्यापार करार के संचालन पर अप्रैल 1977 में पुनर्विचार किया गया जिससे कि कठिनाइयां दूर हो सकें और व्यापार की सुगमता सुनिश्चित हो सके। अक्तूबर, 1977 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान भारतीय तेल निगम के एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से भट्ठी का तेल और नेफ्था के आयात के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के रेल प्राधिकारी भी एक दूसरे के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच माल का तेजी से आना जाना सुनिश्चित रहे। अधिकारी स्तर की एक बैठक जल्दी ही होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच हाल ही में 31 अगस्त, 1977 को विमान सेवा के कर्मियों को कोंसली सुविधाएं प्रदान करने के विषय में एक करार पर नई दिल्ली में और अक्तूबर, 1977 में दूर संचार संबंधी एक करार पर इस्लामाबाद में हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने अपनी अपनी ओर से अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि उनके कब्जे में एक दूसरे के जो नजरबन्द हैं उन्हें प्रत्यावर्तित करने के लिए वे तैयार है। इस प्रकार के नजरबन्दों का दुतरफा प्रत्यावर्तन समय समय पर होता रहा है। भारत ने सेस्सना स्काई हांक विमान के यात्रियों की क्षतिग्रस्त विमान सहित शीघ्रतापूर्वक वापसी को भी सुविधाजनक बनाया जिसे कि सितम्बर में भारतीय प्रदेश में मजबूरी में उतरना पड़ा था। दोनों देशों के बीच आवागमन सामान्य रूप से चलता रहा है ।

निर्यात प्रधान संयंत्र

2266. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी से वित्त पोषित होने वाले तीन बड़ी निर्यात प्रधान परियोजनाएं अर्थात् एक एल्यूमीनियम संयंत्र, एक बड़ा ढलवां लोहा संयंत्र और एक 'सिंटर फीड और पैल्लेटाइजेशन' संयंत्र, आरंभ हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सरकार निर्यात प्रधान अनेक परियोजनाएं जैसे, पूर्वीघाट बाक्साइट भंडारों पर आधारित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र, डोनीमलाई भंडारों पर आधारित सिंटर फीड एवं पैलेट्स संयंत्र तथा पोर्ट आधारित इस्पात कारखाने स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहो है ।

चूंकि इन परियोजनाओं के बड़े आकार को होने की संभावना है जिनमें भारी पूंजी निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा, इसलिए ये परियोजनाएं 'उत्पादन-सहयोग' के आधार पर विशेषज्ञ विदेशी पार्टियों के सहयोग से लगाए जाने के प्रयासों पर विचार हो रहा है, उसमें इन परियोजनाओं द्वारा उत्पादित माल के निर्यात की बात शामिल है।

खेतीहार मजदूरों के कल्याण के लिए कानून

2267. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतीहार मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी विधेयक को, जिसे दिनांक 31 मई, 1975 को खेतीहार मजदूर संबंधी स्थाई समिति ने तथा दिनांक 19 जुलाई, 1975 को श्रम मंत्री सम्मेलन ने अनुमोदन किया था, कब तक कानून बनाया जायेगा ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय)। (क) और (ख) जुलाई 1975 में राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के बाद इस मामले में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सलाह ली गई थी। केरल कृषि श्रमिक अधिनियम के नमूने पर केन्द्रीय विधान बनाए जाने के प्रश्न पर उनकी राय अलग-अलग है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर तथा इस प्रश्न पर कि क्या केरल कृषि श्रमिक अधिनियम के नमूने पर केन्द्रीय विधान बनाया जाए, हाल ही में 6-7 मई, 1977 को नई दिल्ली में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में आम मतैक्य यह था कि चूंकि इस संबंध में अनेक पेचीदा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिए, उन्हें ध्यान में रखते हुए एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए ताकि उसमें ग्रामीण श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों आदि से प्राप्त हुए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित विशेष सम्मेलन से संबंधित ब्यौरे तय करने तथा उक्त विशेष सम्मेलन की इस संबंध में सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए आगे की कार्यवाही करने का विचार है।

औषध उत्पादन लाइसेंसों का रद्द किया जाना

2268. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अप्रैल-नवम्बर, 1976 के दौरान 738 औषध निर्माता फर्मों का निरीक्षण करने के परिणामस्वरूप जिन 69 उत्पादन लाइसेंसों को रद्द किया गया अथवा निलम्बित किया गया उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन फर्मों के नाम तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है जिनसे कमियों को दूर करने के लिये कहा गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी अस्पतालों को उद्योग घोषित करना

2269. श्री वयालार रवि : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन गैर-सरकारी अस्पतालों में सौ से अधिक व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उद्योग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उक्त प्रस्ताव संभवतः कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) व्यापक औद्योगिक संबंध कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन संबंधी त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट में समाविष्ट मतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को सभी पहलुओं से जांच की जा रही है । जब इस संबंध में तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में सरकार निर्णय ले लेगी, तब उसके बाद लोक सभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा ।

Inspectors and Assistant Commissioners belonging to S.C. in P.F. Organisation

2270. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the details of the benefits given to the Inspectors belonging to the Scheduled Castes working in the Provident Fund Organisation in regard to promotions, confirmations, and providing them over-riding position in the seniority list in compliance with the orders for reservations issued by the Union Ministry of Home Affairs in this regard ;

(b) the number of Inspectors in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra and Delhi region confirmed and given promotions and over-riding place in the seniority list in accordance with the selection list, roster maintained by the Ministry of Home Affairs for the purpose during the last five years ; and

(c) the total number of posts of Inspectors and Assistant Commissioners reserved for the Scheduled Castes to be filled up by the Department through promotions and the time by which these are likely to be filled up ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): (a) to (c): The Employees' Provident Fund authorities have intimated that :—

(a) The Employees' Provident Fund Organisation which is a statutory body makes reservations for and extends concessions and relaxations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in its services on the lines of the reservations in the services under the Central Government, in accordance with the provision contained in para 71, Chapter XVIII, of the 'Brochure on Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services". An extract of the relevant paragraph is attached (Statement I) **[Placed in Library. See No. L.T. 1225/77].**

(b) There are two grades of Provident Fund Inspectors in the Employees' Provident Fund Orgn. namely, Provident Fund Inspector (Grade I) [Rs. 650-1200] and Provident Fund Inspector (Gr. II) [Rs. 455-700]. A statement giving information about the number of S.C. and S.T. Officers in aforesaid two grades in the Regional Offices of Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh is attached (Statement II).

(c) The total number of posts of Provident Fund Inspector (Grade I) which are proposed to be filled by departmental promotion has been worked out as 24 including a few anticipated vacancies. Of these 24 vacancies, four are reserved for Scheduled Caste Officers and two for Scheduled Tribes. As regards Assistant Provident Fund Commissioners, there are only Assistant Provident Fund Commissioner (Gr. I) [Rs. 700-1300] in the Regional Offices of the Organisation, it has been assessed that 18 vacancies in the cadre are to be filled by Departmental promotion of which three are reserved for Scheduled Castes and two for Scheduled Tribes. Proposals in this regard are under finalisation.

Children Suffering from Leprosy

2271. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Hindustan Times' dated 26-10-1977 published from Delhi that Dr. S. N. Lohe and S. D. Kolte of G. T. Hospital, Bombay have stated in one of their articles that 100 children out of 250 children in lepers' Colony were found to be suffering from leprosy; and

(b) if so, whether Government got an enquiry conducted thereof and the efforts being made to check it ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) No such News item has been published in the Hindustan Times dated 26-10-1977.

(b) If the Hon. Member furnishes further details, an enquiry can be conducted.

Non-Recognition of Medical and other U.S.S.R. Degrees by India

2272. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether he is aware that during the recent visit of the Prime Minister to Soviet Union, the students of Ukraine there complained to him about non-recognition of their medical and other degrees by India and whether he (the Prime Minister) gave an assurance to consider the matter;

(b) if so, whether Government have taken some action in this regard; and

(c) whether Government of Soviet Union asked about it ever before ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) The following Russian medical qualifications are recognised medical qualifications under the provisions of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956, when held by Indian Nationals only :—

(1) General Physician (Moscow Medical Institute, First and Second, Moscow).

(2) General Physician (Patric Lumumba Friendship University, Moscow).

(3) Candidate of Medical Science (USSR) in Medicine awarded by the Institute of Therapy of the Academy of Medical Sciences of U.S.S.R. Action for recognition of the Medical degrees awarded by the other institutions where Indian students are undergoing courses has already been initiated.

As regards recognition of degrees other than medical degrees, a Protocol on equivalence of Diplomas and degrees conferred by Scientific and Higher Schools in India and U.S.S.R. was signed between the two countries in Moscow on 7th April, 1965.

(c) The Government of the USSR has not made any request regarding this matter to the authorities in India.

Production of Priya Darshani Telephones

2273. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of places where Priya Darshani telephones are being produced ;

(b) whether Government have got the functioning of these telephones examined vis-a-vis other types of telephones;

(c) if so, the results thereof ;

(d) whether Government have received complaints against the working of Priya Darshani telephones ; and

(e) whether these telephones are being provided to all or there is a shortage thereof ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Priya Darshani telephones are being produced by ITI, Bangalore.

(b) & (c) : Yes Sir. An examination was made of the Priya Darshani telephones produced in the country. Certain modifications were introduced in this which resulted in better performance.

(d) Yes Sir,

(e) These telephones are provided to those who ask for the same subject to availability, the production capacity of the type being limited

अंधेपन को रोकने क लिए कुकरे नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय योजना मे मिलाना

2274. डा० सशोला नैयर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधेपन को रोकने के उद्देश्य से कुकरे नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय योजना में मिला दिया गया है ;

(ख) इस कार्य को करने के लिये स्वयं सेवी एजेंसियों को क्या प्रोत्साहन दिये गये है; और

(ग) क्या आंखों के मरहम तैयार करने तथा उन्हें सप्लाई करने का कार्य देश में ही किया जा रहा है और एक व्यक्ति के रोग का उपचार करने पर कितनी लागत आती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दृष्टि विकार और अंधता निवारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में विशेषकर समाज को स्वास्थ्य शिक्षा देने और नेत्र शिविर लगाने के कार्य में आपना सक्रिय योगदान दे । नेत्र शिविरों का आयोजन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना होता है जिनमें समाज और स्कूल के बच्चों का सर्वेक्षण भी शामिल है ताकि विभिन्न नेत्र रोगों का जिनमें रोहे भी शामिल है, आरम्भ में ही पता लगाया जा सके । स्वैच्छिक संगठनों को आंख के आपरेशन लिए 40 रुपये प्रति आपरेशन की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है, परन्तु प्रत्येक नेत्र-शिविर पर अधिकतम खर्च की सीमा 6,000 रुपये निर्धारित की गई है ।

(ग) जी हां । आखों में डाले जाने वाले आवश्यक मरहम तैयार किये जा रहे हैं और देश भर में उनकी सप्लाई की जा रही है। रोहे के उपचार पर लगभग एक रुपये प्रति रोगी खर्च आता है ।

Labour-Intensive System for Minerals

2275. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government proposed to adopt labour-intensive system for the production of minerals ; and

(b) if so, the details of the scheme in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) and (b) : Labour-intensive system of mining is already prevalent for most of the minerals produced in this country. However in the case of large scale mining, particularly in the sectors of coal, iron ore limestone, manganese and bauxite, adoption of mechanised mining techniques is unavoidable for techno-economic reason.

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में टेलीफोन विभाग के विरुद्ध शिकायतें

2276. श्री कंवर लाल गुप्त : या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विगत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन विभाग के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाग की कार्य कुशलता वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा रही है ;

(ग) इस कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये विगत छः महीनों के दौरान क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ;

(घ) इन सभी उपरोक्त नगरों में विगत एक वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन एक सप्ताह से भी अधिक अवधि तक बेकार पड़े रहे ; और

(ङ) वर्ष 1976-77 के दौरान देय कुल कितनी राशि बकाया थी और उस वर्ष कितने कनेक्शन काट दिये गये ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) टेलीफोन विभाग के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी संख्या संलग्न अनुबन्ध में दी गई है ।

(ख) जी नहीं । चालू वर्ष के मानसून वाले महीनों में अभूतपूर्व वर्षा के कारण बहुत बड़ी संख्या में केबुल दोष पैदा हो गए थे । प्रचालन क्षमता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा ।

(ग) प्रचालन क्षमता, में सुधार लाने के लिए, टैलीफोन जिलों में निम्नलिखित कार्यक्रम चालू किये गए हैं :--

(i) आन्तरिक और बाहरी उपस्कर की विभिन्न चरणों में ओवरहालिंग करना ।

(ii) जंक्शन और मूल केबुलों को प्रेशराइज करना ।

(iii) वितरण केबुलों का बचाव सुनिश्चित करने के लिए आर्द्रता रोधकों की व्यवस्था करना ।

(iv) धीरे धीरे जेली-भरे वितरण केबुलों का प्रयोग करना ।

(घ) उपर्युक्त शहरों में पिछले एक वर्ष के दौरान एक हफ्ते से अधिक समय तक बन्द पड़े रहे टेलीफोनों के मामलों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :--

कलकत्ता	नवम्बर 76 से अक्तूबर 77 तक	25,400
मद्रास	वही	280
बम्बई	वही	8,060
दिल्ली	वही	3,210

(ङ) इन चार जिलों में वर्ष 1976-77 के दौरान 31-3-77 तक टेलीफोन कनेक्शनों की बकाया पड़ी कुल मांग 127,395 थी । वर्ष 1976-77 के दौरान इन चार जिलों में काटे गए कनेक्शनों की संख्या 5,699 है । इनमें वे टेलीफोन भी शामिल हैं जो उपभोक्ताओं ने स्वयं बन्द कराये हैं और वे टेलीफोन भी शामिल हैं जो बिलों की अदायगी न करने के कारण काटे गए हैं ।

अनुबन्ध

		बंबई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई कुछ लिखित शिकायतों की संख्या	1975	51,416	17,789	36,451	11,295
	1976	52,112	21,110	49,087	12,437
	1977 (अक्तुबर 77 तक)	41,036	77,047	27,007	8,104

सिख गुरुद्वारों के बारे में पाकिस्तान और बांगलादेश से जय प्रकाश नारायण की अपील

2277. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने पाकिस्तान और बंगलादेश की सरकारों से अपील की थी कि उन के देशों में स्थित गुरुद्वारों में सिख सेवादारों को रहने दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त दो सरकारों से इस बारे में बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान और बंगलादेश की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात उद्योग के लिए केन्द्रीय निधि

2278. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस्पात उद्योग के लिए केन्द्रीय निधि को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : लोहे तथा इस्पात के विभिन्न उत्पादों के प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिए सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मराठे की अध्यक्षता में एक अन्तः मंत्रालय समिति बनाई थी जिसने जुलाई, 1977 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि लोहे और इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की निवल वसुली और प्रतिधारण मूल्य में नाममात्र लाभ तथा इस निधि में बहुत कम रुपये आने की सम्भावना को देखते हुए इस निधि की मूल उपयोगिता समाप्त हो गई है, इसलिए इस निधि को शीघ्र समाप्त कर दिया जाए । सरकार द्वारा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई और सेल से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में चिकित्सकों (फिजीशियन्स) की संख्या

2279. **श्री वसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सकों (फिजीशियन्स) की मंजूरशुदा कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने पदों को वास्तव में भरा गया है ?

(ख) देश में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मंजूरशुदा संख्या कितनी है ?

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक देशी चिकित्सा प्रणाली को पर्याप्त मान्यता देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2279/77]

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या

	चिकित्सा		
	वरिष्ठ चिकित्सक	अधिकारी-क- अधीक्षक	आयुर्वेदिक चिकित्सक
दिल्ली	1	1	17
अन्य शहर	..		20
(प्रत्येक में दो-दो पद)			
	1	1	37
कुल योग . .	39		

(ग) सरकार की यह नीति है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करवाने की सुविधाएं प्रदान करके स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए ।

(घ) विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अधीन चल रहे औषधालयों की संख्या इस प्रकार है :

	दिल्ली	अन्य स्थान	
	औषाधालय	यूनिट	यूनिट
आयुर्वेद	5	1	10
होम्योपैथी	3	1	10
यूनानी	1	..	..

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 25 पलंग वाले आयुर्वेदिक अस्पताल को मंजूरी दे दी गई है और आशा है कि यह शीघ्र ही खुल जायेगा। वर्तमान आयुर्वेदिक होम्योपैथि और यूनानी औषधालयों/यूनिटों के काम की समीक्षा करने का विचार है ताकि और अधिक यूनिटें खोली जा सकें । इसमें धन की उपलब्धता को तथा किन-किन चिकित्सा पद्धतियों के जरीये इलाज करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों ने तरजीह दी है इसे भी ध्यान में रखा जायेगा ।

विवरण

दिल्ली (क)

क्रम सं०	पदों का नाम	मंजूर किए गए पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	खाली पदों की संख्या
1.	कार्यचिकित्सा का परामर्शदाता . .	2	1	1
	विशेषज्ञ ग्रेड-एक .			
2.	वरिष्ठ फिजी शियन . . .	1	1	..
3.	वरिष्ठ सर्जन . . .	1	1	..
4.	वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ . . .	1	1	..
5.	वरिष्ठ प्रसूति और स्त्रिरोग विशेषज्ञ .	1	1	..
6.	वरिष्ठ त्वचा विशेषज्ञ . .	1	..	1
7.	सुपरटाइम ग्रेड-दो			
	उप-विदेशक . . .	1	1	..
8.	सहायक निदेशक . . .	2	2	..
	विशेषज्ञ ग्रेड एक .			
9.	फिजीशियन	9	9	..
10.	नेत्र-विशेषज्ञ . . .	5	4	1
11.	कान, नाक, गला विशेषज्ञ . .	5	5	..
12.	प्रसूति और स्त्रिरोग विशेषज्ञ . .	5	4	1
13.	त्वचा विशेषज्ञ . . .	2	2	..
14.	बालरोग विशेषज्ञ . . .	3	3	..
15.	मनोरोग विज्ञानी . . .	3	3	..
16.	तंत्रिकारोग विज्ञानी . . .	1	1	..
17.	अधीक्षक क्लिनिक पैथोलोजिस्ट . .	1	..	1
18.	पैथोलोजिस्ट	1	1	..
19.	एक्सरे विज्ञानी . . .	1	1	..
	जी०डी०ओ० ग्रेड-एक			
20.	उप-सहायक निदेशक . . .	5	5	..
21.	कनिष्ठ फिजीशियन . . .	2	2	..
22.	कनिष्ठ सर्जन . . .	2	1	..
23.	एना एस्थेटिस्ट . . .	1	..	1
24.	चिकित्सा अधिकारी . . .	172	105	67*
	जी० डी० ओ० ग्रेड-दो			
25.	कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी . .	277	318*	..

*जी० डी० ओ० ग्रेड-दो के 41 पदों को जी० डी० ओ० ग्रेड-एक पदों के विरुद्ध समायोजित किया गया।

विवरण—जारी

दूसरे स्टेशन (बी)

संगठन		विशेषज्ञ			जो० डी० ओ० ग्रेड–1			जो० डी० ओ० ग्रेड–2		
		मंजूर किए	भरे गए	खाली	मंजूर किए	भरे गए	खाली	मंजूर किए	भरे गए	खाली
उत्तर प्रदेश	1. मेरठ	2	1	1	5	4	1	19	19	..
	2. कानपुर	2	..	2	7	5	2	28	23	5
	3. इलाहाबाद	2	2	..	6	4	2	22	17	..
तमिलनाडु	4. मद्रास	2		2	9	3	6	38	38	..
आन्ध्र प्रदेश	5. हैदराबाद	2		2	7	7		30	30	
महाराष्ट्र	6. बम्बई	1*	5	1	10	7	3	57	57	..
	7. पूना	..	..	..	1	1	..	..	..	..
	8. नागपुर	2	..	2	5	4	1	22	22	..
कर्नाटक	9. बंगलौर	2	..	2	7	6	1	30	30	..
बिहार	10. पटना	2	..	2	4	1	3	15	15	..
पश्चिम बंगाल	11. कलकत्ता	5	4	1	11	8	3	50	50	..
राजस्थान	12. जयपुर	..	..	..	1	1	..	..		

*उप निदेशक का पद ।

इस्पात का उत्पादन

2280. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात का कितना उत्पादन हुआ है तथा कितना निर्यात किया गया है ;

(ख) क्या देश में इस्पात की सम्पूर्ण मांग को पूरा किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में विकास संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किए बिना इस्पात का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात के उत्पादन तथा निर्यात की मात्रा इस प्रकार है :—

मात्रा	1974–75	1975–76	1976–77
उत्पादित (मिलियन टनों में)	5.694	5.739	7.302
निर्यातित (हजार टनों में)	52.13	506.14	1409.25

(ख) जी, हां। आन्तरिक मांग घरेलू उत्पादन तथा आयात से पूरी की गई थी। कुछ ऐसी मदें थी जिनका उत्पादन नहीं किया गया अथवा जिनका उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त न था, जिसके लिए आयात का प्रबन्ध किया गया था।

(ग) देश में विकास संबंधी आवश्यकताओं को रोक कर इस्पात का निर्यात नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देशीय मांग को पुरा करने तथा निर्यात करने के बाद भी 31-3-77 को इस्पात उद्योग में काफी स्टाक जमा हो गया था। उत्पादन का उच्च स्तर बनाये रखने, माल-सूची को कम करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बनाये रखने के लिए इस्पात का निर्यात किया गया। फिर भी, निर्यात घरेलू बजार की मांग को ध्यान में रखकर उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है।

दिल्ली की कालोनियों में चिकित्सा की सुविधाएं

2281. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो-तीन वर्षों से पश्चिम दिल्ली में पश्चिमपुरी, पंजाबी बाग एक्सटेंशन और मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी आदि जे सी जे० ज० कालोनियां विकसित हुई हैं जहां निर्धन तथा समाज के निम्न-मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है और सबसे नजदीक जनरल अस्पताल, जो विलिंगडन अस्पताल है लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनकी संख्या उक्त क्षेत्र में 4000 से अधिक है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई चिकित्सालय नहीं है;

(ग) क्या इन सरकारी कर्मचारियों के लिए शकूरबस्ती स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का चिकित्सालय निर्धारित किया गया है जो कि 8–10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें

लाभ प्राप्तकर्ताओं को उस चिकित्सालय में, जहां कि भीड़-भाड़ रहती है, पहुचने के लिए काफी समय बरबाद करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो जनता तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इन बस्तियों में रहने वालों को चिकित्सा सुविधायें दिल्ली प्रशासन द्वारा पश्चिमपुरी, मंगोलपुरी और त्रिलोकपुरी में चलाई जा रही डिसपैन्सरियों, और दिल्ली नगरनिगम (मोती नगर में) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (वसईदारापुर में) द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में भी दी जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली प्रशासन मंगोलपुरी में 100 पलंगों वाला एक अस्पताल खोलने का विचार कर रहा है जिसके लिए 10 एकड़ भूमि पहले ही अर्जित कर ली गई है।

(ख) इन क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की उतनी संख्या नहीं है जितनी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की एक डिसपेन्सरी खोलने के लिए जरुरी होती है। इसलिए वहां पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की डिसपैन्सरी खोलना संभव नहीं हुआ।

(ग) और (घ) : हाल ही में जनता फैलट्स वैलफेयर एसोसियेशन, पश्चिमपुरी से अभ्यावेदन मिले हैं कि पश्चिमपुरी और वहां के डी० डी० ए० जनता फलैटो में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शकूरबस्ती की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिसपैन्सरी (सं० 54) में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह डिसपैन्सरी दूर पड़ती है और परिवहन की कठिनाइयां हैं। यह सुझाव दिया गया है कि पश्चिमपुरी डी०डी०ए० जनता फ्लैटों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की डिसपैन्सरी खुलने तक पश्चिम-पुरी और वहां के डी० डी० ए० जनता फलैटों को शकूरबस्ती केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिसपैन्सरी से अलग कर दिया जाए और इन क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इलाज आदि प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली की सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाय। इस मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में अस्पताल तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का चिकित्सालय खोला जाना

2282. **श्री सी० एन० विश्वनाथन्** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्डनेस डिपो के सामने रोहतक रोड पर अस्पताल के लिए निर्धारित डी० डी० ए० का प्लाट खाली पड़ा है और यदि हां, तो अस्पताल के लिए भवन का निर्माण कब किया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है डी० डी० ए० कालोनी पश्चिम पुरी, डी० डी० ए० कालोनी के ब्लाक एसोशियेशन के संघ और जनता क्वार्टस पश्चिमपूरी और पंजाबी बाग एक्सटेंशन एसोशिएशनों ने किसी सुविधाजनक स्थान पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक चिकित्सालय और एक सरकारी अस्पताल खोलने के लिए अधिकारियों को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इस स्थान पर अस्पताल बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) : फिलहाल पश्चिम पुरी और उसके डी० डी० ए० फ्लैटों को शकूर बस्ती की सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी से जोड दिया गया है । इस क्षेत्र के लिए अलग एक डिसपेंसरी खोलने के बारे में अभ्यावेदन मिले है । यह तभी किया जा सकता है जब इस क्षेत्र में 3 किलोमीटर के घेरे में कम से कम दो हजार से अढ़ाई हजार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रह रहे हों । इस बीच एक अभ्यावेदन यह मिला है कि इस क्षेत्र में एक अलग डिस्पेंसरी खोलने तक पश्चिमपुरी और डी० डी० ए० जनता फ्लेटों को सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी शकूर बस्ती से अलग रखा जाय और इन क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को इलाज आदि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अनसार चलने की अनुमति दे दी जाय । इस मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

Telephone Exchanges P.C.O. and Post Offices Opened in Mandsaur District

2283. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of new telephone exchanges, P.C.Os, Urban Post Offices and rural post offices opened in Mandsaur District during the years 1974-75 to 1976-77 and upto the second quarter of 1977 ; and

(b) how the facilities of post offices, telegraphs, etc. compare with the percentage of population thereof ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) The required information is given in the table below :

(b) A Post Office on an average serves a population of 4514. The number of telephones in Mandsaur District works out to 1 per 700 of population.

Table showing number of new telephone exchanges, PCOs, Urban and Rural Post Offices opened in Mandsaur Distt.

Year	No. of new Telephone Exchanges opened	No. f public Call Offices	No. of Post Offices		
			Urban	Rural	Total
1974-75	..	..	..	..	..
975-76	..	2	1	1	2
1976-77	..	4	5	3	8
1977-78 (upto 2nd quarter, 1977)	..	3	..	10	10

अहमदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को हुआ घाटा

2284. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमबादाद टैलीफोन एक्सचेंज को प्रतिदिन 18 से 20 हजार रुपये का घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13-9-77 के गुजराती दैनिक 'संदेश' की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय) : (क) (ख) और (ग) : रेलवेपुरा नं० 2 टेलीफोन एक्सचेंज चालू होने में विलम्ब के बारे में गुजराती के तारीख 13-9-77 के दैनिक 'संदेश' में जो रिपोर्ट छपी है, सरकार को उस की जानकारी है। निर्धारित विस्तृत परीक्षणों के बाद यह एक्सचेंज नवम्बर 77 के शुरू में चालू किये जाने के लिये तैयार था। इससे संबंधित कार्य भी जैसे कि केबुलों को पुनर्व्यवस्थित करना, दूसरे एक्सचेंजों में जंक्शन उपस्कर की व्यवस्था करना, एस० टी० डी० कार्यों के लिए नए एक्सचेंज को अहमदाबाद ट्रंक आटो-एक्सचेंज के साथ जोड़ना उसी समय पूरे किये जा चुके थे।

यह एक्सचेंज 26-11-77 को चालू किया जा चुका है। इसमें 1500 लाइनें रेलवेपुरा-1 से अन्तरित की गई हैं। रायपुर गेट से रेलवेपुरा-1 और वाटवा से रायपुर गेट को लाइनों के अन्तरण का कार्य चल रहा है और आशा है कि यह कार्य अगले कुछ सप्ताहों में पूरा हो जाएगा। एक्सचेंज चालू हो जाने के परिणामस्वरूप उपयुक्त सभी इलाकों में आगामी दो महीनों में काफी संख्या में नए कनेक्शन दिए जाने हैं।

Shortage of Staff in Telephone Exchanges

2285. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is great shortage of staff in telephone exchanges in various parts of the country ; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove the shortage of staff ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai: (a) and (b): The information in this regard is being collected from all Telephone Exchanges in various parts of the country and will be placed on the table of the Lok Sabha.

आजाद हिन्द फौज शहीद स्मारक के अवशेष वापस लाना

2286. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहनवाज़ खां ने खोसला आयोग के सम्मुख स्वीकार किया था कि सिंगापुर पर पुनः अधिकार के ठीक बाद एडमिरल माऊन्टबेटन के आदेशों से ढाए गए आजाद हिन्द फौज सरकार के अवशेष उनके द्वारा सिंगापुर से भारत वापस लाए गए थे ;

(ख) क्या लोक सभा के एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया कि आजाद हिन्द फौज स्मारक के अवशेष शाहनवाज खां के रावलपिंडी स्थित निवास स्थान पर सुरक्षित हैं और पाकिस्तान के साथ उस समय राजनयिक संबंध न होने के कारण उन अवशेषों को भारत वापस नहीं लाया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार शाहनवाज खां के रावलपिंडी स्थित निवास स्थान से आजाद हिन्द फौज स्मारक के पवित्र अवशेषों को अब भारत लाने के लिए कदम उठाएगी ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) 20-3-1974 और 9-4-1975 को लोक सभा में प्रश्नों के उत्तर में यह बताया गया था कि श्री शाहनवाज खां ने यह सूचना दी थी कि आज़ाद हिन्द फौज के शहीद स्मारक की स्मृति फलक का एक छोटा सा टुकड़ा 1946 में उन्हें प्राप्त हुआ था और उन्होंने फलक का यह टुकडो रावलपिंडी में अपने परिवार के पास छोड़ दिया था। बाद में उनके परिवार के सदस्यों को भारत आना पड़ा था । चूंकि ये उत्तर 1971-1975 के बीच दिये गये थे जबकि पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध टूटे हुए थे, इसलिए यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हो जाने के बाद इन अवशेषों को खोजने और और इन्हें भारत वापिस लाने के लिए प्रयत्न शुरु किये जाएंगे ।

(ग) सरकार इस्लामाबाद स्थित अपने राजदुतावास के साथ संपर्क कर रही है ।

विभिन्न क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम

2287. **श्री अमर गुह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार कल्याण के लिए नीति और योजनाओं का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान, बंगला देश तथा श्री लंका की तुलना में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रही ;

(घ) झुग्गी-झोपडियों में रहने वाले ग्रामीण समाज तथा भिखारियों के बीच परिवार कल्याण आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) क्या (एक) झुग्गी बस्तियों (दो) औद्योगिक वस्तियों, (तीन) ग्रामिण पिछडे क्षेत्रों में रहने वालों, (चार) आदिवासियों, (पांच) भिखारियों और (छः) नगरीय शिक्षित लोगों की जनसंख्या वृदिध के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्बन्ध में 29-6-1977 को घोषित की गई नीति के संशोधित वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1227/77**]

(ग) महापंजीयक द्वारा प्रकाशित जन्म और मृत्यू दरों के आधार पर भारत में 1973–75 के तीन वर्षों की औसतन जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 1.95 प्रतिशत निकलती है जबकि यूनाइटेड नेशन्स डेमोग्राफिक यीअर बुक, 1975 में प्रकाशित वार्षिक वृदिध-दर पाकिस्तान में 3.0 प्रतिशत बंगलादेश में 2.4 प्रतिशत और श्री लंका में 2.2 प्रतिशत थी ।

(घ) यद्यपि समाज के सभी वर्गों में लघु परिवार के सिद्धान्त का प्रचार किया जा रहा है । तथापि गंदी बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों तथा आर्थिक वृष्टि से जनसंख्या के कमजोर वर्गों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के रोगक्षयीकरण के लिए, गर्भवती महिलाओं में अपोक्षणज अरक्तता को दूर करने के लिए तथा परम्परागत दाइयों के कौशल को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

(ङ) और (च) समाज के इन वर्गों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । फिर भी, जनगणना, नमूना पंजीयन पद्धति जैसे विभिन्न स्त्रोतों तथा डेमोग्राफिक अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किए गए शोध कार्यों से जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन-प्रवृत्ति के बारे में कुछ सूचना उपलब्ध है जो इस प्रकार है :—

(क) जनसंख्या वृद्धि की औसतन वार्षिक दर (1973–75) निम्नलिखित है :—

ग्रामीण	1.94 प्रतिशत
नगरीय	1.89 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों में 1961 और 1971 के बीच जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.62 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी ।

(ग) पटना शहर के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की जनसंख्या (1975) प्रतिवर्ष 2.56 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी ।

(घ) कलकत्ता की गंदी बस्तियों में 25 वर्ष अथवा उससे अधिक विवाहित जीवन वाली महिलाओं में (1970) प्रति महिला जीवित जन्मों की औसतन संख्या 5.1 है ।

(ङ) कानपुर के औद्योगिक कर्मचारियों की 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली पत्नियों में (1974) प्रति विवाहित महिला जीवित जन्मों की औसतन संख्या 5.7 है ।

संक्रामक रोगों से ग्रस्त भिखारियों के आवागमन पर नियंत्रण

2288. **श्री अमर गुह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी आदि धार्मिक तीर्थ स्थानों पर संक्रमक रोगों से ग्रस्त भिखारी चारों ओर घूमते पाए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश पर्यन्त ऐसे रोगों से ग्रस्त भिखारियों के निर्बाध घूमने पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु कुष्ठ, क्षय रोग आदि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगी का पत्ता लगाने, रोग के निदान, उपचार एवं क्षमीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए मुक्त सुविधाएं दी जाती हैं। हमनें कुष्ठ रोगियों की विशेष देख-रेख करने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है ।

औद्योगिक कारखानों को ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की सप्लाई करने की प्रथा का समाप्त किया जाना

2289. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के सभी औद्योगिक कारखानों को ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की सप्लाई करने की प्रथा को समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम में, जहां कहीं सम्भव है, ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन की व्यवस्था है। ऐसे प्रतिष्ठानों/रोजगारों में, जिनमें ठेका श्रम प्रणाली का उन्मूलन करना फिलहाल व्यवहार्य नहीं समझा जाता, इस अधिनियम का उद्देश्य ठेका श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करना है । जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योगों/औद्योगिक एककों का संबंध है, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफारिशों के बाद सरकारी अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 1975 द्वारा कोयला खनन उद्योग में काम की अनेक श्रेणियों में ठेका श्रमिकों को नियोजित करना पहले ही प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, जैसे (क) कोयला निकालना या कोयला निकालना तथा कोयला बेचना, (ख) कोयला लादना तथा उतारना, (ग) अधिकभार हटाना तथा मिट्टी खोदना, (घ) साफ्ट कोक तैयार करना और (ङ) भूमी के नीचे पत्थरों में सुरंग बनाना और पत्थर काटने के प्रकीर्ण कार्य । पहली मार्च, 1977 से ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनके संबंध में ठेका श्रम अधिनियम के अधीन समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, की मिलकियत वाले या उनके द्वारा अधिवासित भवनों में सफाई करने, धूल झाड़ने तथा चौकीदारी के कार्यों के लिए भी ठेका श्रमिकों को नियोजित करना प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित की गई अनेक समितियां केन्द्रीय क्षेत्र के अनेक अन्य उद्योगों में ठका श्रम प्रणाली के प्रश्न की जांच या तो कर चुकी है या कर रही हैं ।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

2290. **श्री के० वी० राजन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां तो उसमें की गई बातचीत का सारांश क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) व्यापक औद्योगिक संबंध कानून की 30 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर सामान्य विचार-विमर्श किया गया था। जिन विशेष मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था वे उद्योग, श्रमिक और समुचित सरकार परिभाषाओं, संराधन अधिकारियों के अधिकारों, विवादों को निपटाने के तंत्र, मुअत्तली की अवधि के दौरान श्रमिकों को निर्वाह भत्ते के भुगतान, आदर्श स्थायी आदेश और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के सुझावों से संबंधित थे। अध्यक्ष ने इंगित किया कि व्यापक औद्योगिक संबंध कानून के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य श्रम मंत्रियों के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

Border Disputes with Burma, China and Bangladesh

†2291. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the fresh efforts being made to resolve border disputes with **Burma, China and Bangladesh;**

(b) the nature of assistance being extended by the respective Governments in resolving the border disputes through mutual talks; and

(c) the details of disputes resolved so far through mutual agreements and the difficulty being experienced in resolving the remaining disputes ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a), (b) & (c): We have no border dispute with Burma, The land boundary is being jointly demarcated under the Agreement of 1967.

In regard to China, while we welcome efforts towards normalisation of relations with that country on the basis of Five Principles, there is no concrete proposal underway for the resolution of the long-standing India-China border question.

As regards Bangladesh, disputes on boundary demarcation were settled and the concrete principles and procedures were incorporated in an Agreement signed between the Prime Minister of the two countries on 16th May, 1974. The actual demarcation work has also been going on between the officials of both sides.

Recognition to Israel

†2292. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether any new proposal for giving recognition to Israel has been received from the Government of that country; and

(b) whether Government are taking any new steps to establish political relations with Israel and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. There has been no material change in the situation in West-Asia which warrants any re-thinking in regard to our state of relations with Israel.

Setting up of full-fledged post offices in villages having 2500 population

†2293. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have declared scheme for setting up full-fledged post offices in the villages with a population of more than two thousand and provide telephone facilities in the villages with more than five thousand population ;

(b) if so, the number of villages in which the scheme has already been implemented ; and

(c) the time by which these facilities would be provided in the country ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Parsad Sukhdeo Sai) : (a) Most of the villages with more than two thousand population have been provided with post offices.

Telephone facility is proposed to be provided in all villages with more than 5,000 population.

(b) & (c) : (i) 40,702 villages with a population of more than two thousand have post offices.

(ii) 7,000 villages with more than five thousand population have been provided with telephone facilities.

(iii) It is proposed to provide telephone facilities at most of the places with more than 5,000 population during the next two years and at the remaining places during the following years in the Sixth Five Year Plan.

Talks with neighbouring countries re : their citizens given refuge in India

†2294. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether talks are being held with Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan and Burma in regard to sending their citizens given refuge in India ; and

(b) if so, the reaction of those Governments ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

C.G.H.S. Medical facilities to the employees of Delhi Administration

2295. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether, although all the facilities are given to the employees of the Delhi Administration yet they have not been provided with the facility of the health scheme of the Central Government C.G.H.S. ;

(b) if so, the time by which this facility would be extended to them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The Central Government Health Scheme is not applicable to the employees of the Delhi Administration except the employees of Delhi Police Force.

(b) and (c): Do not arise.

अल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, आसनसोल का फिर से चालू किया जाना

2296. **श्री रोबिन सेन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि० आसनसोल, जिसमें 1974 से तालाबंदी है, के फिर से चालू किये जाने के बारे में सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी को फिर से चालू किये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) : अल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंण्डिया लि०आसनसोल को फिर से चालू करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार व अन्य संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से विचार कर रही है ।

आसाम में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2297. **श्री अहमद हुसैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर दूरसंचार (नार्थ ईस्टर्न टेलीकम्युनिकेशन) सर्किल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितनें नए मामले हैं और 30 अक्तूबर, 1977 तक प्रतीक्षा सूची में कितने मामले थे ; और

(ख) पूर्वोत्तर सर्किल तथा असम द्वारा क्रमशः इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने नये कनेक्शन दिए जाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय) : (क) उत्तर पूर्वी सर्किल 31-10-77 तक दिए गए नये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और 31-10-77 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार थी :

राज्य का नाम	दिए गए टेलीफोन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या
1. अरुणाचल प्रदेश	53	10
2. असम	544	545
3. मणिपुर	186	39
4. मेघालय	243	37
5. मिजोरम	114	10
6. नागालैंड	80	11
7. त्रिपुरा	25	6
योग	1,245	658

(ख) इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उत्तर पूर्वी सर्किल में 1000 नए टेलीफोन कनेक्शन खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 700 टेलीफोन कनेक्शन असम राज्य में खोले जाएंगे।

आसाम में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

2298. **श्री अहमद हुसैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में आसाम में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान असम राज्य के निम्नलिखित नौ स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

(1) अनीपुर
(2) चापड़
(3) हबोका
(4) दुदनई
(5) ढाकखाना
(6) कमला बाड़ी
(7) रोंगजुली
(8) शिलापाथर
(9) सोनईमुख।

खाड़ी तथा पश्चिमी एशिया के देशों के लिये बेरोजगार श्रमिकों को भर्ती करने के लिए एजेंसियां

2299. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में निजी व्यक्तियों तथा एजेंसियों ने खाड़ी तथा पश्चिमी एशिया के देशों के लिए बेरोजगार श्रमिकों को भर्ती करने की उन्नत कारोबार आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत अधिक व्यक्ति और एजेंसियां रोजगार ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं तथा उनमें से बहुत से व्यक्ति उन देशों में पहुंचने के बाद स्वयं को फंसे हुए पाते हैं और उन्हें प्रायः अन्य श्रमिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है ; और

(ग) सरकार का विचार भारतीय श्रमिकों को उपरोक्त देशों में जाने से रोकने के लिए किस प्रकार नियंत्रण करने तथा जरूरतमंद श्रमिकों को शोषण से बचाने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती एजेन्टों के रूप में 24-11-1977 तक 290 कम्पनियां पंजीकृत की गई हैं। सरकार को यह रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं कि इन प्राधिकृत एजेंटों के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में निजी व्यक्ति तथा एजेंसियां अनधिकृत भर्ती एजेन्टों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

यह समाचार भी है कि कुछ मामलों में अनधिकृत एजन्ट या उस के प्रतिनिधि विदेशों में रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों का परित्याग कर देते हैं। यद्यपि उन में से कुछ रोजगार प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, उन को कम वेतन दिए जाने की संभावना होती है क्योंकि उन के पास लिखित करारों

का आश्रय नहीं होता है और वे नियोजक की दया पर निर्भर होते हैं, क्योंकि विदेशों में उन का प्रवेश गैर कानूनी हो सकता है तथा उन का रहना अनियमित हो सकता है। उन में से कुछ, जो लिखित करारों के साथ विदेशों में प्रवेश करते हैं, लेकिन उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के अधीन उत्प्रवास औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं, व्यक्तियों के विदेशी नियोजकों द्वारा शोषण किए जाने की भी संभावना है।

भर्ती एजेंसियों के पंजीकरण के लिए निर्धारित कार्य-पद्धति के अन्तर्गत श्रमिकों को संरक्षण दिया जाता है। सरकार बाहर जाने के रास्तों पर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल भी करती है कि गैर कानूनी प्रवासियों को जाने के लिए तब तक अनुमति न दी जाए जब तक कि वे उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के अधीन अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

देवीदयाल ट्यूब, बम्बई के श्रमिकों को मजूरी का भुगतान

2300. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवीदयाल ट्यूब, बम्बई के 600 श्रमिक को अपनी अर्जित मजूरी और अन्य उचित देय राशि नहीं मिली है यद्यपि कम्पनी का परिसमापन आठ वर्ष पहले हुआ था ; और

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी गम्भीर कदाचारों के कारण नहीं चल सकी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

चासनाला दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया जांच आयोग

2301. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री ब्रज भूषण तिवारी :
श्री के० राममूर्ति :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्हा आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक को जिससे जांच न्यायालय द्वारा किसी उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया बताया जाता है, मामले को जटिल बनाने तथा निष्कर्षों को स्वीकार करने तथा उन्हें प्रकाशित करने में विलम्ब करने के लिए, इस मामले में घसीटने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : चासनाला कोलियरी में 27 दिसम्बर, 1975 तथा 5 अप्रैल, 1976 को हुई दो दुर्घटनाओं के संबंध में जांच न्यायालयों के निष्कर्षों पर किस प्रकार की अनवर्ती कार्यवाही की जाए, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। 27-9-1977 को लोक सभा में विभिन्न विरोधीदलों के नेताओं से अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक दलका एक-एक व्यक्ति नामित करें ताकि ये व्यक्ति इन रिपोर्टों का अध्ययन करें तथा सरकार

को इस सम्बन्ध में सलाह दें कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। ज्यों ही सभी ग्रुपों से नामित व्यक्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त हो जाएगी, इस मामले में आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इस बीच ये रिपोर्ट राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु भारत सरकार मुद्रणालय को भेज दी गई हैं। ये रिपोर्ट सदन की मेज पर 23 जून, 1977 को रख दी गई थी। यह सच है कि जांच न्यायालय ने खान सुरक्षा महा निदेशालय को इस दुर्घटना के लिये जिम्मेवार नहीं ठहराया है। इस निदेशालय के किसी अधिकारी को फंसाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, इस बात की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

यह मंत्रालय इस सबंध में विचार कर रहा है कि जांच न्यायालय के निष्कर्षों के बारे में उसे क्या कार्यवाही करनी है।

विदेशों में इंजीनियरी के सामान की खरीद

2302. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान मंत्रालय, भारतीय उर्वरक निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आदि के लिए विदेशों से खरीदे गये इंजीनियरी के सामान का ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त कितनी खरीदों के लिए सार्वजनिक उपक्रम, रिचर्डसन एण्ड क्रुडाज से पूछताछें की गई, और

(ग) तत्सम्बन्धी रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

———

प्रश्नों तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं की स्वीकार्यता के बारे में

(RE : ADMISSIBILITY OF QUESTIONS AND CALLING ATTENTION NOTICES)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न है। मैंने पारपत्र के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने के विषय में जो प्रश्न की सूचना भेजी थी उसमें (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) खण्ड थे परन्तु लोकसभा सचिवालय ने उसके क और ख भाग को तो ग्रहण कर लिया लेकिन उसके ग, घ और ड. भाग को मुझे कारण बताये बिना मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया। यदि मुझे नये उदार नियमों के पश्चात आये नये आवेदनपत्रों की संख्या ही मालम करनी होती तो मैं अपने इस प्रश्न को तारांकित के बजाये अतारांकित ही रखता।

मेरी एक दूसरी आपत्ति है। हम अपने प्रश्न काफी विचार और परिश्रम के साथ तैयार करते है और हमें अपने प्रश्नों के सभी पहलुओं की जानकारी सरकार से पाने का हक है। लोक सभा सचिवालय हमारे प्रश्नों का तभी सुधार कर सकती है जब उसकी भाषा दोषपूर्ण हो अथवा अपूर्ण हो। लोक सभा सचिवालय को कार्यपालिका से स्वतंत्र रह कर कार्य करने के लिये कहा जाये। हमारे प्रश्नों के न केवल महत्वपूर्ण भागों को निकाल दिया जाता है वरन् उनमें जो भावना होती है वह भी हटा दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामले सभा में तभी उठाये जाने चाहिए जब मुझसे उनके विषय में बातचीत कर ली जाये और मेरे स्पष्टीकरण से संतुष्टि न हो । जहां तक उक्त प्रश्न का सम्बन्ध है उसके कुछ भागों को मेरा निर्देश लेने के पश्चात हटाया गया था। आप इस मामले पर मेरे साथ बात चीत करें तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न के उक्त भागों को उत्तर के लिए क्यों उपयुक्त नहीं समझा गया ।

श्री कंवर लाल गुप्त : पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे तीन - चार प्रश्नों को रोज अस्वीकृत कर दिया जाता है और हमें यह बता दिया जाता है कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अस्वीकृत किया है। नियमों को न तो बदला ही जा सकता है और न उनकी परिधि के बाहर जाया जा सकता है फिर ऐसा क्यों हो रहा है । आप अपने ढंग से नियमों का अर्थ लगाकर प्रश्नों को अस्वीकार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि नियमों का अर्थ लगाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है।

Shri Ugrasen : We are new Members and belong to backward classes. As such we should be given more time. The examiners of Questions in your Secretariat daily reject our one or two Questions and intimate us on a stereo-typed form that our Question has been disallowed. We seek your help in this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कार्यालय को निर्देश दूंगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत किया जाये, तो वह सम्बन्धित सदस्य को संक्षेप में उसके कारण बता दे । नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि किसी मामले पर यदि कोई जांच चल रही हो तो उसके बारे में प्रश्न उत्तर के लिए गृहीत नहीं किया जा सकता और जब कभी सरकार से यह जानकारी मिले कि प्रश्नाधीन जांच नहीं चल रही है तो उसके बारे में प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाता ।

श्री० वी० अरुणाचलम (टेंकाली) : श्रीमन 1 बजे जो बैलट हुआ था उसके साक्षी दो माननीय सदस्य थे परन्तु अध्यक्ष महोदय ने उस बैलट के परिणाम को रद्द कर दिया । अध्यक्ष महोदय ने ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया और 5 बजे बैलट करने का आदेश उन्होंने किस नियम के अन्तर्गत दिया ।

अनेक सदस्य कोई मामला उठाने के लिए विभिन्न नियमों के अन्तर्गत अलग अलग सूचनाएं देते हैं । यह खेद की बात है कि अध्यक्ष महोदय ने उन व्यक्तियों के नाम भी जिन्होंने विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सूचनाएं दी थी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ जोड़ दिये हैं । किस नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने ऐसा किया है ।

श्री एम०कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में इस सभा में जो सुस्थापित प्रक्रिया नियम हैं उन्हें बुरी तरह तोड़ा मरोड़ा गया है । ध्यानाकर्षण सूचना की परिभाषा नियम 197 के अन्तर्गत दी गई है । अनेकों सदस्यों ने आन्ध्र प्रदेश तथा तामिलनाडु आदि के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों में अपर्याप्त राहत कार्य की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाएं दी थी और आपने कृपया इस विषय को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया था और इन सूचनाओं का बैलट करने के लिए समय निर्धारित कर दिया था । दस नामों में से पांच नाम बैलट में आये और उनमें पहला नाम मेरा था । परन्तु यह बैलट अध्यक्ष महोदय द्वारा क्यों रद्द कर दिया गया । यह सभा के नियमों तथा परम्पराओं का सरासर उल्लंघन है ।

[श्री० एम्० कल्याण सुन्दरम्]

दूसरी बात जो बैलट हुआ उसमें अनेक, सदस्यों के नाम शामिल कर लिये गये जबकि उन्होंने ध्यानाकर्षण की सूचना नहीं दी थी, बल्कि अन्य नियमों के अन्तर्गत सूचना दी थी। इसमें न केवल नियमों का उल्लंघन हुआ वरन् इस मामले पर चर्चा उठाने का अवसर हमसे छीन लिया गया। इस तरह जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने का एक तरीका यह है कि इस पर वाद-विवाद के लिए आधा दिन नियत किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कल, प्राथमिकता तय करने के लिए सामान्य तौर पर बैलट किया गया था परन्तु आपने शायद उन सदस्यों की सहायता करने के लिए जिन्होंने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं भेजी थीं दूसरा निर्देश दे दिया। यदि स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना भरकर भेज दें तभी उनके नाम उसमें शामिल किये जाने चाहिए। इसमें तो आपने अपने विवेक का प्रयोग किया कि स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल दिया जाये परन्तु इसके साथ यह भी वांछनीय था कि आप इसके अलग से फार्म भरवाते। इससे भ्रम उत्पन्न हुआ है। अतः इस विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन होना चाहिए।

समुद्री तुफान ग्रस्त क्षेत्रों संबंधी चर्चा के बारे में

RE: DISCUSSION ON CYCLONE AFFECTED AREAS

श्री के० रघुरामैया (गुंटूर) : पिछली बार जब इस सम्बन्ध में चर्चा हुई तो उसमें तूफान पीड़ित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे, सदन के सभी वर्गों के साथ न्याय करने विशेषतः उन लोगों के साथ जो तूफान से अत्यधिक पीड़ित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरा सुझाव है कि इस पर और आगे चर्चा हो।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं तूफान-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके आ रहा हूं। केवल तूफान पर ही नहीं अपितु राहत कार्यों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में भी पूरी चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके आज सुबह ही लौटा हूं। अत्यधिक विनाश हुआ है। मैंने वहां जा कर विनाश लीला देखी है। मद्रास में अधिकारियों के साथ मैंने विचार-विमर्श किया था और उन्हें किये जाने वाले कार्य के बारे में हिदायतें दी हैं।

आन्ध्र में आज एक आयुक्त नियुक्त किया गया है जो आज अपना कार्यभार संभालेगा। यह एक गंभीर व भारी समस्या है और इस मामले में धन की कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो करना आवश्यक है वह किया जायेगा। यह राज्य और केन्द्र की सबसे पहली जिम्मेदारी है। वहां राहत कार्यों को उचित रुप से किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बहुत-सा रुपया अधिकारियों ने अपने जेब में डाल लिया है। इन सभी बातों की ओर मैंने उनका ध्यान दिलाया और हम यह प्रयत्न कर रहे कि सारा काम ठीक से किया जाये और ये शिकायतें न रहें ताकि समुचित राहत दी जा सके। इसमें कोई राजनीति नहीं लाई जानी चाहिए। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रशासन असफल नहीं रहा है और इसकी ओर ध्यान न दिलाया जाए। वहां सर्व दलीय समितियां बनाई जा रही हैं जो एक साथ मिलकर काम करेंगी।

समयाभाव के कारण मैं केरल नहीं जा सका। लक्षद्वीप और पांडिचेरी की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। तूफानग्रस्त सभी इलाकों की ओर सरकार ध्यान दे रही है।

श्री सो० एम० स्टीफन (इदक्की) : जो कुछ हुआ है उस बारे में हम सभी चिन्तित हैं। स्थिति की भीषणता को देखते हुए इस पर सदन में विचार किया जाना चाहिए। यद्यपि हमने पिछली बार इस विषय पर चर्चा की थी किन्तु उस समय हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। आज वैसी बात नहीं है। आज हमें सारी जानकारी उपलब्ध है। सरकार ने भी स्थिति का अच्छी तरह अवलोकन कर लिया है अतः अध्यक्ष महोदय इस बारे में पूरी चर्चा की अनुमति दें।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद वाद-विवाद की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। इस तूफान ने जो भीषण बरबादी की है उसके सभी तथ्य समुचित रुप से सामने नहीं आये है। हम सीधे तूफान ग्रस्त क्षेत्रों से आये हैं अतः प्रधान मंत्री के लिए हमारी बात सूनना लाभप्रद होगा। इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा होनी आवश्यक है ताकि लोगों को भी संतोष हो जाये कि सारा सदन इस बारे में चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में बहुत से स्थगन प्रस्ताव, कुछ अल्प सूचना प्रश्न तथा कुछ-कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सदस्य लोग इस मामले में सामान्य वाद-विवाद के लिए जोर दे रहे हैं। मैंने सोचा जब तक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तब तक कोई चर्चा लाभप्रद नहीं रहेगी,। इसलिए सामान्य चर्चा, यदि आवश्यक हुआ तो बाद में ठीक रहेगी। इसके साथ-साथ मैंने यह भी सोचा कि इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए और सदन को इस मामले पर उचित समय पर चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

जहां तक सामान्य चर्चा का सम्बन्ध है, अन्वेषण दल की रिपोर्ट मिलने पर हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। इस समय इस विषय को लेकर सदन में उत्तेजन है और ऐसे वातावरण में इस पर चर्चा करना उचित भी नहीं होगा। हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत-से संकल्प आ रहे हैं। अतः फिलहाल स्थगन प्रस्ताव निलम्बित किया जाता है। हम इस कार्य मंत्रणा समिति में विचार-विमर्श करके एक निर्णय लेंगे।

श्री के० रघुरामैया : प्रधान मंत्री ने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा और हवाई निरीक्षण किया इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। हममें से कुछ लोग वहां गये और हमने देखा कि हर गांव प्रभावित है, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में इस सदन को बताये और उपचारात्मक कार्यवाहियों का सुझाव दें। इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : इस विषय पर ध्यान आकर्षण सूचना के रूप में विचार कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री का इस बारे में क्या विचार है ? उन्हें भी सून लिया जाये।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है। यह एक ऐसा मामला है जिस के सम्बन्ध में इस सभा में कोई मतभेद नहीं है। इस विषय पर चर्चा तो होनी ही चाहिये। हां, यह अभी निश्चित करना है कि इस पर चर्चा किस दिन रखी जाये। वैसे तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार को होगी परन्तु यदि सदस्य इससे भी पहले चाहते हैं तो यह बैठक सोमवार को रख लेते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : सोमवार को क्यों ? आज ही क्यों नहीं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि आजका कार्य स्थगित कर दिया जाये तो इसे स्थगन प्रस्ताव माना जायेगा। कल शुक्रवार है। यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिवस है। यदि इस विषय के लिए तारीख निश्चित करने हेतु आज ही बैठक बुलायी जानी है, तो बैठक आज या कल बुलायी जा सकती है।

डा० कर्ण सिंह (अमृतसर) : श्रीमन, यह केवल दक्षिणी राज्यों के सदस्यों का प्रश्न नहीं है। उत्तरी राज्यों के सदस्यों को भी उतना ही दुःख है। यदि कोई ऐसी धारणा बन रही है कि हम इस विषय पर चर्चा करने से कतरा रहे है तो कार्य मंत्रणा समिति की आज ही बैठक होनी चाहिये और इस विषय पर कल ही चर्चा होनी चाहिये। चाहे हमें इसके लिए आधी रात तक ही क्यों न बैठना पड़े? हमें इस विषय पर इसी सप्ताह में ही चर्चा कर लेनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कल बुलाऊंगा। यदि समिति सहमत हो गई, तो हम इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। चूंकि अगले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को प्रधान मंत्री यहां नहीं होंगे, इसलिये अगले सप्ताह इस विषय पर यथा सम्भव शीघ्र चर्चा की जायेगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : श्रीमन, यह एक राष्ट्रीय विपदा है। प्रधान मंत्री जी ने जो यह कहा है कि इस में प्रदेशवाद या राजनीति को नहीं लाना चाहिये, सराहनीय है क्योंकि इस पर समूचे राष्ट्र को चिंता है। दूसरी बात यह है कि कुछ सदस्य जो अभी वहां गये थे, अपनी आंखों से देखे गये वहां के हाल का वर्णन यहां करना चाहते हैं जिससे दूसरे सदस्य भी इससे अवगत हो सकें। ऐसा वे जल्दी इसलिए करना चाहते है जिस से वे यहां से निपट कर वहां पर पुनः जा कर लोगों की सेवा कर सकें। अगले सप्ताह तक तो बहुत देर हो जायगी। यदि प्रधान मंत्रीजी अभी व्यस्त हैं, तो इस विषय पर सोमवार को चर्चा हो जानी चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्थान टैलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास और इण्डियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन और समीक्षाएं

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्री प्रसाद सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) (क) हिन्दुस्तान टैलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान टैलीप्रिन्टर्स, लिमिटेड मद्रास का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1216/77।]

(ii) (क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 1217/77।]

औषध और सौंदर्य प्रसाधन (पांचवां संशोधन) नियम, 1977, इसके पहले और दूसरे संशोधन के बारे में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंस्थान संस्थान, चन्डीगढ़ के 1975-76 के प्रमाणित लेखें

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): Mr. Speaker, I beg to lay on the Table the following papers:—

(1) A copy of the Drugs and Cosmetics (Fifth Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 697(E) in Gazette of India dated the 11th November, 1977, under section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1218/77।]

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 1977,* published in Notification No. G.S.R. 665 in Gazette of India dated the 28th May, 1977.

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1219/77।]

(3) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Drugs and Cosmetics (Second Amendment) Rules, 1977,* published in Notification No. G.S.R. 926 in Gazette of India dated the 16th July, 1977.

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1220/77।]

(4) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 1975-76 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 18 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966.

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1221/77।]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) अधिसूचना संख्या 332/77-सी०ई० जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ii) अधिसूचना संख्या 333/77-सी०ई० जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1222-क/77।]

———

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशो की सूचना देता हूं :—

(i) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1977 को पास किये गये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर विधेयक, 1977 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(ii) कि राज्य सभा 30 नवम्बर, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 नवम्बर, 1977 को पास किये गये मंत्रियों के सम्बलमों से संबंधित संशोधन विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(i) देश के दक्षिणी भाग में समुद्री तुफान से ग्रस्त राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में केन्द्रीय सरकार की कथित असफलता ।

श्री पी० राजगोपल नायडू (चित्तूर) : मैं देश के दक्षिणी भाग में समुद्री तूफान का शिकार होने वाले राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में भारत सरकार की कथित असफलता की ओर कृषि और सिचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस विषय में वक्तव्य दें ।

कृषि तथा सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मेरे सहयोगी श्री भानु प्रताप सिंह ने दक्षिणी राज्यो में समुद्री तूफान के कारण मनुष्यों तथा सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में सदन को पहले ही अवगत करा दिया है। इस प्राकृतिक आपदा को एक राष्ट्रीय विनाश के रूप में लिया जाना है और तकलीफों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने हैं। देश भर की जनता अपने उन भाइयों और बहनों के साथ है, जो प्रकृति का इस विनाशलीला का शिकार हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि वे समुद्री तूफान से पीड़ित लोगों की तकलाफें दूर करने के लिए उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे ।

महोदय, आपको मालूम ही है कि राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया है। मुझे इस दुखद समाचार की सूचना उस समय मिली जब मैं खाद्य तथा कृषि संगठन के द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम गया हुआ था। मैं अपना दौरा समाप्त करके 23 नवम्बर को प्रातः देश लौट आया। वापिस आने पर मैं तत्काल राष्ट्रपति के साथ आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के लिए रवाना हो गया। हमने दोनों राज्यो में कुछ प्रभावित क्षेत्रों को देखा और क्षति की मात्रा तथा जनता को फिर से बसाने और उनकी अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों का मौके पर मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। जैसाकि सदन को मालूम है, मनुष्यों और सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि समुद्री लहरें समाप्त हो गई थी, फिर भी बहुत बड़े क्षेत्रों में पानी भरा हुआ था। धान की खडी फसल को हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गन्ना, तम्बाकू, कपास और केले की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर नारियल तथा खजूर के पेड़े उखड़ गए हैं।

हमें प्राप्त हुई नवीनतम सूचना के अनुसार तमिलनाडु में 511 तथा आंध्र प्रदेश में 8327 व्यक्तियों को जानें गई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु में 165 तथा आन्ध्र प्रदेश में 3000 व्यक्ति लापता हैं। केरल में 80 व्यक्तियों के मरने की तथा 62 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली है। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक दुख और सहानुभूति प्रकट करने में सारा सदन मेरे साथ है। मैं फसलों को हुए भारी नुकसान का जिक्र पहले ही कर चुका हूं। पशुओं का जो भारी नुकसान हुआ है, उससे इन क्षेत्रों में कृषि अर्थ व्यवस्था गम्भीर रूप से क्षीण हो गई है। आन्ध्र प्रदेश में 230146 पशुओं की मौत होने की सूचना मिली हैं। तमिलनाडु में लगभग 27316 पशुओं की मौत होने का अनुमान है।

निजी मकानों और सार्वजनिक सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु में 3.8 लाख मकानों के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की सूचना दी गई है, जबकि आन्ध्र प्रदेश में 8.32 लाख मकान क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं। केरल में 8492 मकानों के नष्ट होने और 19868 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है।

समुद्री तूफान से पांडिचेरी तथा लक्ष्यद्वीप के कुछ क्षेत्रों को भी हानि पहुंचाई है। कर्नाटक में 20-11-77 तथा 26-11-77 के बीच की अवधि में क्षति होने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में जन जीवन की कोई हानि नहीं हुई है।

माननीय, इस विशाल प्रकोप में मनुष्यों तथा पशुओं को जानें बचाने और उनकी तकलीफों को कम करने के लिए तत्काल राहत के कार्यों और हर किस्म की सुविधाओं की व्यवस्था करने के काम को उच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। पहले के कुछ दिनों में सड़कों तथा अन्य संचार साधनों की कमी के कारण अनेक क्षेत्रों में नहीं पहुंचा जा सकता। इस दैवी प्रकोप की विशालता तथा इसके एकाएक घटित होने के कारण लोगों के पास पहुंचने और उनकी सहायता करने में प्रशासन के मार्ग में भी अड़चनें अवश्य ही आई होंगी। अब ये कमियां नहीं रह गई हैं और जो क्षेत्र पहले पहुंच से बाहर थे वहां अब राहत संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के अलावा, भारत सरकार ने सिविल इमरजेंसी फोर्स के 76 व्यक्तियों को हवाई जहाज द्वारा आन्ध्र प्रदेश भेजा है। यह टुकड़ी राहत तथा बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। रक्षा सेनाओं ने भी सिविल प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान की है।

यह सही है कि राहत संबंधी कार्यों की व्यवस्था प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा की जानी है। किन्तु लोगों को फिर से बसाने और उन्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए उनकी सहायता करने का काम राज्य तथा केन्द्र द्वारा संयुक्त रुप से पुरी मित्रता, सामंजस्य तथा सूझबूझ की भावना से करना होगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि समुद्री तूफान के विनाश का प्रभाव लम्बे अर्से तक रहेगा। किन्तु हम इस क्षति का सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे।

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप राहत के प्रयोजनों के लिए राज्यों को नान प्लान खाते के लिए दी जाने वाली तदर्थ केन्द्रीय सहायता 1-4-1974 से बंद कर दी गई है। इन समस्त राज्यों को राहत कार्यों के लिए कुछ रकम दी गई है। ऐसे कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश को 4.31 करोड़ रु० तमिलनाडु को 1.52 करोड़ रु० व केरल को 30 लाख रु० की रकम दी गई है। जिन स्थानों पर प्राकृतिक संकट आए हैं वहां राहत संबंधी व्यय राज्य सरकारों ने वहन किया है। केन्द्रीय सरकार ने

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

अग्रिम योजना सहायता के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता की है जिसकी मात्रा निर्धारण विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के एक केन्द्रीय दल द्वारा संवीक्षा होने के बाद किया जाना है। गत समय में केन्द्रीय दल की संवीक्षा पूरी होने से पहले कभी भी अग्रिम योजना सहायता नहीं दी गई है और नही ऐसी सहायता योजना के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में कार्य करने वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर विचार होने से पहले दी गई है। परन्तु वर्तमान संकट की गम्भीरता पर विचार करते हुए केन्द्रीय दल द्वारा संवीक्षा होने से पहले ही तदर्थ आधार पर अग्रिम योजना सहायता दे दी गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल की सरकारों को क्रमशः 5 करोड़, 5 करोड़ व 2 करोड़ रू० की सहायता दी गई है। केन्द्रीय दलों को आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु भेजा जा चुका है। दल शीघ्र ही केरल का दौरा करेगा। यहां यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों ने तुरन्त सहायता प्रदान करने के लिए एक असाधारण प्रक्रिया को अपनाया गया है।

इसके अतिरिक्त कृषि आदानों के क्रय के लिए हम आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु के लिए पहले ही अल्पकालीन ऋण मंजूर कर चूके हैं। पहली किस्त में आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु के लिए क्रमशः 3 व 2 करोड़ की रकम स्वीकार की गई है। पूरक मांगों की मंजूरी के पश्चात इन रकमों को बढ़ा दिया जाएगा। हम कृषि विकास की चालू केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत भी अतिरिक्त सहायता की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

नवम्बर 1977 में तमिलनाडु के लिए 40,000 मोटरी टन के साधारण नियतन के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिये गये हैं कि वह 50,000 मीटरी टन अतिरिक्त चावल निर्मुक्त करें। इस में से निःशुल्क राहत के लिए 5,000 मोटरी टन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए अदायगी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिये गये हैं कि वह प्रभावित जनता को निःशुल्क राहत प्रदान करने के लिए केरल को 1000 मोटरी टन गेहूं प्रदान करें। रेल मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल के तूफान पीड़ित लोगों में निशुल्क वितरण के लिए रेलों द्वारा ढुलाई होने वाली सामग्री पर भाडा न लेने के विषय में मंजूरी दे दी है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक दवाओं की सप्लाई, व्यापक आधार पर है जैसे टीकों की सप्लाई व अन्य राहत कार्यों के विषय में राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु को क्रमशः 23.81 लाख रु० व 3.50 लाख रु० की दवाइयों भेजी जा चुकी हैं। हाल ही में केरल सरकार से भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रैड क्रास को भी सावधान कर दिया गया है। समिति ने तूफान से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए 1 करोड़ रु० की एक परियोजना शुरु की है। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत फण्ड से आन्ध्र प्रदेश को 42.00 लाख रु० तमिलनाडु को 11.00 लाख रु० व केरल को 1.00 लाख रु० की रकम स्वीकार की गई है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को यह कार्य सौंपा गया है कि वह तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए देश की सभी स्वैच्छिक संस्थाओं से सहायता लेने का प्रयास करें।

समाज कल्याण विभाग ने यूनिसेफ को सुझाव दिया है कि वह आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में सम्भव सीमा तक राहत कार्यों की लागत को पूरा करने के लिए अपने पास उपलब्ध आपातकालीन निधि से रकम निकलवाएं। यूनिसेफ के मुख्यालय ने आपात राहत निधि से

150,000 अमेरीकन डालर (12.75 लाख रु०) की तत्काल सहायता की मंजूरी दी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्रार्थना की गई है कि वह आपात राहत कार्यक्रम के लिए 7200 मीटरी टन स्प्रेटा दूग्ध चूर्ण व उतने ही बटर आयात खाद्य तेल की सप्लाई की व्यवस्था करें। यह 45 दिन के लिए 10 लाख आदमियों का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि वहां खाद्य का कोई कमी नहीं है और हम राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के संबंध में उनके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। केन्द्र तथा राज्यों में सरकारी यंत्र को क्रियाशील कर दिया गया है। स्वैच्छिक एजेंसियों भी सहायता के लिए आगे बढ़ रही हैं। समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत का कार्य अति दक्षता से चलाने के लिए सभी संसाधन एकत्र किए जाएंगे और प्रक्रियाओं के कारण देरी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधान मंत्री ने भी राहत के लिए नकद अथवा वस्तु के रूप में उदारता से सहायता देने के लिए राष्ट्र से अपील की है। उन्होंने तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: श्रीमन्, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं ने आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों को स्वयं जाकर देखा। विश्वभर में यही राय है कि यह राष्ट्रीय विपत्ति है। आन्ध्र प्रदेश के कांग्रेसी सदस्यों के मिलने पर प्रधान मंत्रीने तुरन्त आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को 5 करोड़ रुपये के हिसाब से आर्थिक सहायता दी। परन्तु केरल लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी को आर्थिक सहायता देना आवश्यक है। रूस, अमरीका और अन्य देशों ने भी हमारे साथ सहानुभूति दिखाई है।

इस घोर विपत्ति का मुकाबला करने के लिए जो वर्तमान संगठन है उसे फिर से सशक्त बनाया जाये। क्रमशः आन्ध्र प्रदेश में और उड़ीसा में पहले जो तूफान आये उस समय राहत समितियां बनाई गई थी। एक समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय विपत्तियों से राहत के लिए कोई राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो न केवल तुफान के बाद अपेक्षित राहत का काम करे बल्कि पुर्ननिमाण का कार्य भी करे।

इसके पश्चात् लोक सभा 14 बजे तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned, for lunch till Fourteen of the Clock.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 14-05 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five past Fourteen of the Clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Speaker in the Chair)

मंत्री का परिचय

(Introduction of Minister)

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ बेग का परिचय कराता हूं।

ध्यानाकर्षण—जारी

श्री पी० राजगोपाल नायडू : आन्ध्रप्रदेश, तमिल नाडु और केरल द्वारा मांगी गई इतनी बड़ी धन-राशि की आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार कैसे दे सकती है जब तक कि इसके लिए अलग से लगभग 500 करोड़ रुपये की 'तूफान विपत्ति राहत निधि' न बनाई जाये।

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर से तैनात 2,000 अधिकारी राहत कार्य बहुत सुचारू ढंग से कर रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि बाबू जगजीवन राम के दौरे के बाद से वहां पर राजनीति घुस आई है। यद्यपि प्रधान मंत्री ने इस काम में राजनीति को दूर रखने के लिए कहा है परन्तु जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर आन्ध्र प्रदेश सरकार को सत्ता से हटा देने की बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों, अध्यक्ष तथा मंत्रियों को अनुत्तरदायित्व वाले वक्तव्य और चुनाव भाषण न देने की सलाह दें। मैं आपको यह बता दूं कि हमारे दल के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी तथा अन्य नेताओं ने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और वहां कुछ कार्य भी किया है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार के साथ सहयोग करे और उसे राजसहायता दे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस सम्बन्ध में हम राजनीति को बीच में नहीं लायेंगे और प्रधान मंत्री भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे सामने मुख्य प्रश्न केवल यह है कि उस क्षेत्र को अधिक से अधिक राहत कैसे दी जा सकती है।

जहां तक रिजर्व बैंक के नियमों में ढील देने का सुझाव है, सरकार सभी बैंकों से तथा रिजर्व बैंक से भी इस बारे में बात करने का प्रयास कर रही है कि तूफान पीड़ित लोगों को किस प्रकार राहत दी जा सकती है, हम अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में और मध्यावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में परिवर्तित करने के मामले पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक धान के पौधों तथा अन्य पौधों और बीजों का सम्बन्ध है, मैंने सम्बन्धित मन्त्रियों से इस बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की है, इतना ही नहीं मैंने इस बारे में तमिल नाडु तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ भी बात की है और उनकी वास्तविक जरूरतों का पता लगाने का प्रयास किया है। हमने केरल से भी सम्पर्क बनाया हुआ है और हम केरल को भी बीज उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे। उर्वरकों के बारे में भी वे अपनी आवश्यकता हमें सूचित करेंगे।

जहां तक फसलों की बीमा का सम्बन्ध है, फसल बीमा कराना संभव नहीं होगा, किन्तु जहां तक पशु बीमा का सम्बन्ध है, यह व्यावहारिक हल हो सकता है और हम इस पर जरूर विचार करेंगे क्योंकि इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के पश्चात् उन क्षेत्रों में किसानों के लिए पशुओं की हानि के बाद पशु खरीदना बहुत मुश्किल होता है।

जहां तक राहत कार्य करने सम्बन्धी समिति के गठन का सम्बन्ध है, हम एक या दो दिन के भीतर इस तरह की समिति गठित कर देंगे जो कि घटना स्थल पर ही तुरन्त निर्णय ले सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह समिति राज्य सरकारों से भी परामर्श करेगी।

जहां तक मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देने का सम्बन्ध है, इस विभाग ने ठीक समय पर चेतावनी दे दी थी, और चेतावनियां सही भी थी क्योंकि बाद में उसी तरह की घटनाएं हुई। इसे राज्य सरकारों द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

जहां तक पांडिचेरी और लक्षद्वीप का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने इसका उल्लेख किया है, उन्हें जो कुछ सहायता की जरूरत होगी, निश्चित रूप से उन्हें दी जायेगी।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : हमारे देश के दक्षिणी भाग में प्रकृति का भारी प्रकोप हुआ है जिसमें जन धन की भारी क्षति हुई है जो हमारी कल्पना के भी बाहर है और इसकी क्षतिपूर्ति

नहीं हो सकता। यह केवल सम्बन्धित राज्यों की नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र की समस्या है। इसलिए केन्द्र और राज्यों ने मिलकर इस दैवी प्रकोप का सामना करना है। यद्यपि मौसम विभाग ने तूफान आने की चेतावनी दी थी किन्तु उसकी भीषणता के बारे में वह चेतावनी नहीं दे सका; इसकी भीषणता का, जिसने समूचे तटीय क्षेत्र का विनाश कर दिया, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका ।

हमें इस समय एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाये राहत कार्यों में शीघ्रता करने की आवश्यकता है। वक्तव्य में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इन राज्यों को योजना के अधीन आवंटित धनराशि में से सहायता दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें क्या सहायता अथवा अनुदान दिया है। वह तो केवल योजना के अधीन राज्यों को आवंटित धनराशि का समायोजन कर रही है। वक्तव्य में मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो क्षति हुई है उसकी केन्द्रीय दल द्वारा संवीक्षा होने से पहले ही अग्रिम योजना सहायता दी गई है और ऐसा पहली बार किया गया है। किन्तु यह सच नहीं है क्योंकि दो वर्ष पूर्व जब केरल के इदुक्की तथा अन्य जिलों में भीषण बाढ़ के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हुई थी तो केन्द्रीय सरकार ने कोई केन्द्रीय दल भेजे बिना उसी दिन 1 करोड़ रुपए मंजूर कर दिये थे।

सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने विशेषत: रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर ने राजनैतिक उद्देश्य को सामने रखकर वक्तव्य दिये हैं जो अनुचित थे। यह समय ऐसा है जब कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को आपस में एक होकर इस दैवी प्रकोप का सामना करना चाहिए यह समय राजनैतिक लाभ उठाने का और आक्षेप तथा प्रत्याक्षेप करने का नहीं है ।

मेरा केवल यह अनुरोध है कि वहां से शव हटाये जायें, राहत कार्य किया जाए और उसके लिए मकान बनाये जायें । प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह सराहनीय है । उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें राजनीति को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए । मेरा मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या इन राज्यों को योजना के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी अथवा योजना से बाह्य ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रधान मंत्री ने इस बारे में सदन में स्पष्ट वक्तव्य दे दिया है कि धन इस मामले में कोई रुकावट नहीं बनेगा और तूफान पीड़ित लोगों के लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा । हमें अनेक राज्यों व अन्य देशों से भी जो सहायता मिल रही है उसे भी हम तुरन्त इन क्षेत्रों में भेज रहे हैं । राहत कार्य के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है ।

जहां तक श्री जगजीवन राम तथा श्री चन्द्र शेखर द्वारा दिये गये वक्तव्यों का सम्बन्ध है मैं इस बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा ।

जहां तक पांडिचेरी और लक्षद्वीप को सहायता देने का सम्बन्ध ह, पांडिचेरी को 10 लाख रुपए और लक्षद्वीप को 2 लाख रुपए दिये गये हैं ।

अत: अग्रिम योजना सहायता दी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार केन्द्रीय सहायता भी देंगी ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : हम सब को मालूम ही है कि तूफान के कारण दक्षिणी भागों में विशेषकर आन्ध्रप्रदेश के तटीय भागों में स्थिति बहुत गम्भीर है । मैं माननीय मंत्री को

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

बताना चाहता हूं कि तूफान आने की पूर्व सूचना में यह कहा गया था कि तूफान नागपत्तिनम में आएगा न कि आन्ध्र प्रदेश में । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहुंगा कि आन्ध्र प्रदेश की तटरेखा लगभग 1000 कि० मीटर है । कलकत्ता, पाराद्वीप और विशाखापत्तनम में तो तूफान की पूर्व सूचना देने वाले रडार लगे हुए है परन्तु मछलीपत्तनम में कोई रडार नहीं लगा हुआ है । अतः मैं माननीय मत्री से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर रडार लगाने की व्यवस्था करें ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि तूफान के कारण जो तबाही हुई है उसका अनुमान लगाया जा रहा है । मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग ढाई लाख पशु मर गए है तथा 29,71,833 एकड़ भूमि में फसल का नुकसान हुआ है । सरकार पहले ही 2,18,248 क्विंटल चावल मुहैया कर चुकी है । इसके अलावा 50,000 धोतियां तथा अन्य कपड़े भी मुहैया किए जा चुके हैं । 200 सहायता शिविर भी खोले गए हैं, ताकि पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके ।

परन्तु केन्द्र की ओर से अभी तक केवल 5 करोड़ रुपए की सहायता ही दी गई है । जबकि राज्य ने 250 करोड़ रुपये की मांग की है । मुझे आशा है कि उनकी इस मांग को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा ।

यह विपत्ति एक राष्ट्रीय विपत्ति है तथा इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए । यह एक दुख की बात है कि जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्हों ने इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं की है । हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जनता पार्टी अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए इस विपत्ति का लाभ उठा रही है । जैसा कि प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है मुझे आशा है कि इस मामले में राजनीति नहीं आएगी ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक और प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । तूफान की लहर 150 किलोमीटर प्रतिघंटा से आई थी । इस के साथ काफी मात्रा में रेत भी आई थी जो अब सारे क्षेत्र में बिखरी पड़ी है । यदि इस रेत को हटाया न गया तो सारी जमीन अकृष्य हो जाएगी । इसके लिए का ी धन की जरूरत पड़ेगी । इस के अलावा दूसरी फसल प्राप्त करने के लिए उर्वरक, बीज, कीटनाशी दवाइयों आदि सस्ते दामों पर तुफान-पीड़ित किसानों को देनी होंगी । मुझे आशा है कि उन्हें ये चीजें उपलब्ध कराई जाएगी ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : एक प्रश्न यह उठाया गया था कि मछली-पत्तनम में तूफान की पूर्व सूचना देने वाला रडार लगाया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में हम प्रयास करेंगे और यदि वहां पर रडार लग सका तो अवश्य लगा दिया जाएगा ।

जहां तक रेत के वहां इकट्ठे होने की बात है उसके धीरे धीरे वहां से हटाने का कार्यक्रम बनाया जायेगा । इसे तुरन्त नहीं हटाया जा सकता क्योंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी जैसा भी हो हम शीघ्रातिशीघ्र इसे हटाने का प्रयास करेंगे ।

जहां तक चावल मुहैया करने की बात है मैं ने सम्बन्धित मंत्री और मुख्य मंत्री से पूछा था तो उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा म अनाज है । उन्हों ने यह भी कहा था कि तुरन्त सहायता की जरुरत नहीं है । तथापि मैंने भारतीय खाद्य निगम को कह दिया है कि उन्हें जिस चीज की जरूरत हो वह दे दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा था कि मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूचना में यह कहा गया था कि तूफान नागपत्तिनम में आएगा तथा आन्ध्र के तटवर्ती भाग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मुख्य मंत्री के वक्तव्य से यह बात साफ हो जाती है तथा समाचारपत्रों में भी छपा था कि 24 घंटे पहले उन्हें पता था कि मछलीपत्तनम के पास तूफान आनेवाला है । लोगों को इसके लिए चेतावनी भी दी गई थी लेकिन वे वहां से निकलना नहीं चाहते थे ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मेरे पास मुख्य मंत्री के ब्यान की एक प्रति है । इसमें कहा लिखा है कि 17 तारीख के दोपहर बाद तक नागपत्तिनम और मद्रास के बीच तूफान आ सकता है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं 19 तारीख की बात कर रहा हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : पिछली बार जब यहां चर्चा हुई थी उसके बाद मैं स्वयं आन्ध्र प्रदेश गया था तथा वहां के कई गांवों का दौरा किया । मैंने वहां देखा कि अनेकों पशुओं की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी । पशुओं की लाशों के अलावा मनुष्यों के शव भी सड़ रहे थे । पशु गन्दा और दूषित जल पी रहे थे । वहा पशु चिकित्सकों का कहना था कि ये पशु भी दूषित जल पी कर मर जाएंगे ।

कृष्णा जिले के कुछ गांव तो बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं । उन्हे देखने से तो पता भी नहीं लगता कि वहां पर कभी कोई गांव भी था ।

मैं इस प्रश्न के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि लोगों को तूफान की पूर्व सूचना दी गई थी या नहीं परन्तु यह बात सही है कि वहां के लोगों को इसकी कोई जानकारी न थी । जो लोग शिविरों में रह रहे हैं मैंने उनसे पूछा है तथा जो लोग वहां झोपड़ियों में रह रहे हैं मैंने उनसे भी पूछा है उनका कहना है कि वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे ।

हमारे राष्ट्रपति वहां गए । वे लोगों को मिले । उन्हों ने कहां कि इस माममे में राजनीति नहीं आनी चाहिए । उन्होंने यह भी कहा था कि इन शवों का शीघ्र ही निपटारा किया जाना चाहिए वरना इससे महामारी फैल जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या किया जा रहा है । क्या इसके लिए कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया जा रहा है ? वहां पर सेना या पुलिस से ही काम नहीं चलने वाला है । वहां पर तो सभी सम्बन्धित संस्थाओं को अपना योगदान देना चाहिए ।

कुछ लघु गांवों के बीच नागालंका नाम का एक कसबा है जिसकी लगभग 50,000 आबादी है । मैं वहां के पंचायत के लोगों को मिला था । उन्होंने कहां कि वहां पर सत्यानाश हो रहा है तथा तुरन्त ही दवाइयां, अनाज तथा पेय जल उपलब्ध किया जाना चाहिए । वहां पर लोग मन्दिरों तथा गिरजाघरों की इमारतों में शरन ले रहे हैं। वहां पर तथा केरल में भी ऐसी पक्की इमारतें बनाई जानी चाहिए ।

मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय को पता है या नहीं कि समु ी अपक्षयन से कितनी तबाही होती है । 1864 के तूफान के बाद मछलीपत्तनम में बड़ी बड़ी समुद्री दीवारें बनाई गई थी । जापान तथा पोलैंड ने अपने समुद्री तट पर विशेष किस्म के पेड़ों की पंक्ति बनाई हुई हैं । इन पेड़ों की जड़े भूमि के नीचे तक चली जाती हैं और वे रक्षात्मक दीवार का काम करते हैं । वियतनाम में भी इस समस्या का समाधान हो गया है । हमें भी इस प्रकार इसका समाधान कर लेना चाहिए ।

[श्री सी० के० चंद्राप्पन]

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय छात्रों के लिए कुछ किया है परन्तु हमारे देश में ऐसे छात्रों की संख्या कम है । मुझे आशा है कि स्कुलों के छात्रों के लिए भी कुछ किया जाएगा ताकि वे अपनी पढाई जारो रख सकें ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने यह नहीं कहा कि आप वहां न जाएं । मैं तो केवल यह बता रहा था कि मैंने कई स्थानों का दौरा किया और 90 मील के उस रास्ते पर कोई लाश नहीं थी । हां, सड़क पर पशुओं की 15 लाशे जरूर पायी गयी थी । राष्ट्रपतिजी ने मुख्य मंत्री से कहा था कि या तो इन्हे पेट्रोल डालकर जला दिया जाय या इन्हें यहां से हटा दिया जाये । मैंने वहां पर कुछ चिकित्सक दलोंको भी कार्य करते देखा क्योंकि टीके लगाने का कार्य आवश्यक है जिसे तुरन्त किया जाना चाहिये । अन्यथा महामारी फैल जायेगी । पीने के पानी की भी व्यवस्था की जा रही थी ।

जहां तक पक्के ढांचे खड़े करने के सुझावका सम्बन्ध है, यह सुझाव हमने ही दिया था । मैंने इस बारे में एक वक्तव्य दिया था । कुछ मामलों में ढांचे तो वहां पर हैं परन्तु छतें उड़ गई है । हमारा विचार था कि इन ढांचों को सीमेंट और रोड़ी के पक्के स्तम्भों द्वारा 15, 20 फुट ऊपर उठा दिया जाए और इन का उपयोग स्कूलों या समाज केन्द्रों के रूप में किया जाए और बाद में जब कोई ऐसी विपदा आए तो इन में चार सौ से पांच सौ व्यक्ति रह सकें और अपनी रक्षा कर सके । यह एक अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त समुद्री कटाव के बारे में भी कार्य किया जा रहा है । यह अलग बात है कि वह पर्याप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में निरन्तर कार्य करना पड़ेगा ।

एक सुझाव दिया गया है कि वहां पर कोई विशेष प्रकार के पेड़ लगाये जाएं । मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि वहां पर किस प्रकार के पेड़ लगाये जाय । पहले तो वहां पर नारियल और ताड़ के पेड़ हैं । मैंने यह भी देखा कि कुछ क्षेत्रों में ये पेड़े भी गिरे पड़े थे ।

विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था भी की जायेगी परन्तु इससे पहले कपड़े और फिर मकानों की व्यवस्था की जानी है । राज्य सरकार इन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था कर रही है ।

†**श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट) : श्रीमन्, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, पांडिचेरी केरल, और लक्षद्वीप के लोगों पर प्राकृतिक विपदा के कारण जो प्रकोप बरता हुआ है उससे वहां के बेखबर लोगों पर अभूतपूर्व कष्ट आये हैं, उनको महसूस तो किया जा सकता है परन्तु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । वहां सर्वत्र प्राणियों की लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं । उन महिलाओं के, जिनके रोटी कमाने वाले नहीं रहे, उन पुरुषों के, जिनके प्रियतम नहीं रहे और उन बच्चों के, जिनके माता-पिता नहीं रहे, विलाप से संसार भर में लोगों को दुःख हुआ है । इन राज्यों के ये विपदाग्रस्त व्यक्ति आप की दया की भीख न मांग कर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं । विपदा की इस घड़ी में राजनीतिक समीचीनता के लिए कोई, स्थान नहीं होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार ने जहां तमिल नाडु को 50,000 टन चावल दिया है, जिसमें 5,000 टन चावल भी शामिल है जो मुक्त दिया गया है, वहां केरल राज्य को केवल 1,000 टन गेहूं दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भी राजनीतिक प्रवंचना का बोलबाला है ।

†तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

केवल पालघाट जिले में ही, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, तूफान के कारण कोई एक करोड रुपये की हानि हुई है। यहां पर निचले पहाडी क्षेत्र में चार गांव तो मिट ही गये हैं वहां पर तमिलनाडु के जो लोग रह रहे थे, वे सब तबाह हो गये हैं। वहां पर अब पानी ही पानी है। हमारे नेता पुरानी परम्पराओं की दुहाई देते सुने गये हैं। परन्तु इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि हम अब उन परम्पराओं को भूल गये हैं। क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि वह विपदाग्रस्त लोगों की सहायता करें।

केरल के मुख्य मंत्री ने कल ही बताया है कि वहां पर तूफान के कारण कोई 15 करोड रुपये की हानि हुई है और इस विपदा का सामना करने के लिये उन्होंने 5.84 करोड रुपये अनुदान के रूप में मांगे हैं। परन्तु केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी कहते हैं कि वहां पर इतनी हानि नहीं हुई है क्यों कि उन्होंने शव पड़े नहीं देखें हैं। केन्द्रीय सहायता तो लोगों की जितनी हानि हुई है उसको ध्यान में रख कर दी जानी चाहिये इस में देर भी नहीं की जानी चाहिये। यह सहायता छठे वित्त आयोग द्वारा या योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि के अतिरिक्त होनी चाहिये और इस में प्रशासनिक जटिलताओं को बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिये। लोगों को प्रतिकर भी दिया जाना चाहिये जिससे लोगों को कुछ राहत मिले।

डा० हेनरी आस्टिन के निर्वाचन क्षेत्र, एरणाकुलम में समुद्रतट पर रहने वाले मछुओं की मछली पकड़ने की सैकड़ों नावें बह गई हैं। इसी प्रकार केरल में किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर खेतों में रेत इकट्ठी हो गई है। भूमि को तुरन्त कृषि योग्य बनानी होगा। वहां पर किसानों को अगली फसल से पहले विपुल उपज देने वाले बीज और उर्वरक दिये जाने चाहिये ताकि वे खेती कर सकें। यह सारी सहायता युद्ध-स्तर पर दी जानी चाहिये तथा ये किसान अपना बचाव कर सकेंगे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वह समुद्र तट पर रहता हो या उससे दूर भीतरी प्रदेश में रहता हो, सहायता दी जायेगी। इस समय तो केवल सहायता कार्य की ओर ध्यान दिया जा रहा है। प्रतिकर देने की बात तो अभी हमारे विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी आवश्यक सहायता दी जायेगी।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : उन्होंने कहा है कि वहां पर नावें नष्ट हो गई हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वह इस पर विचार करेंगे।

श्री के० एन० राजन् (त्रिचूर) : एक और महत्वपूर्ण बात चावल के आवंटन करने के बारे में थी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे बताया गया है कि केरल सरकार इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। इस सम्बन्ध में मैंने आज ही आदेश दिया है कि केरल को एक हजार टन गेहूं तुरन्त मुक्त दिया जाये।

(II) बंगला देश से भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 41 के उपनियम (19) के अधीन यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ध्यानाकर्षण का पहला भाग अर्थात् बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का भारत आना ठीक है, किन्तु दूसरा भाग कि भारत से स्वदेश लौटे कुछ लोगों को बंगला देश सरकार द्वारा प्राणदंड दिये जाने के समाचार आपत्तिजनक है। हम बंगला देश के शरणार्थियों को राजनैतिक शरण दें अथवा नहीं, यह हमारा अधिकार है किन्तु बंगला देश के नागरिक के अपने देश वापस लौटने के पश्चात् उसके साथ वहां की सरकार क्या सलूक करती है, यह उनका अन्तरिक मामला है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना भारी अनियमितता होगी क्योंकि यह नियमों के मूल उपबन्ध का उल्लंघन करता है। दूसरी बात यह है कि इससे हमारे पड़ौसी देश से जिस के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है, मनमुटाव होगा। अतः मैं इसकी ग्राह्यता का विरोध करता हूँ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का बंगला देश के आन्तरिक मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक मानवीय समस्या है। इसे सदन में पहले भी उठाया जा चुका है और यह मामला इस देश का आन्तरिक मामला है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं नहीं समझता कि हम किसी मित्र देश के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बंगला देश से हजारों लोग राजनैतिक शरण लेने यहां आते हैं और वे यहां ठहर रहे हैं; पड़ौसी देश के साथ मित्रता के नाम पर हम उन्हें जबरदस्ती वापस भेज देते हैं और उन्हें वहां प्राणदण्ड दिया जाता है। इसी प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाना है। हम बंगला देश के आन्तरिक मामलों पर विचार-विमर्श नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी सरकार की नीति और कार्यवाही पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने नियम 41 का उल्लेख किया है जो प्रश्नों से सम्बन्धित है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध नियम 197 से है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : व्यवस्था का उठाया गया प्रश्न अनुचित व असंगत है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध उससे नहीं है जो कुछ बंगला देश में हो रहा है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इस सम्बन्ध में श्री ज्योतिर्मय बसु का व्यवस्था का प्रश्न उचित नहीं है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुख्यतः तथा सारवान रुप से उससे सम्बन्धित है जो हो रहा है और जो होना चाहिए जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और इसलिए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के अधिकारों के भीतर है। बंगला देश सरकार के सम्बन्ध में जो बात आती है वह केवल प्रासंगिक है। अगर प्रस्ताव में प्रयुक्त शब्दों पर विचार किया जाये तो उसमें "समाचार" शब्द प्रयोग किया गया है। इसमें कोई सीधा उल्लेख नहीं है। यदि हम श्री ज्योतिर्मय बसु की आपत्ति को मान लें, तो हम अन्य देशों के बारे में बहुत सी समस्याओं पर इस सदन में चर्चा नहीं कर सकते। आखिर, हमें देखना चाहिए कि मुख्य जिम्मेदारी हमारी है। प्रसंगवश यह बंगला देश सरकार की बात है।

श्री कृष्णकान्त (चंडीगढ़) : भारतीय स्थिति पर राष्ट्रमंडलीय देश आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में चर्चा की गई थी, वे भारत के मित्र देश हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के पहलू पर भी श्री बसु गलत हैं। जब मानव अधिकारों का प्रश्न सामने है और किसी घटना का प्रश्न सामने है, तो यह संसद नियमों की उपेक्षा करके भी इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकती है। अध्यक्ष महोदय आप बधाई के पात्र हैं कि आपने

इस पर चर्चा करने की अनुमति दी है, इसलिए मैं समझता हूं आप श्री बसु द्वारा उठाये गये प्रश्न को अस्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है । अब श्री समर गुह बोल सकते हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अविलम्ब लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इसपर वक्तव्य दें :

''बंगला देश से भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के समाचार तथा भारत से वापस भेजे गये कुछ शरणार्थियों को बंगलादेश सरकार द्वारा प्राणदंड दिये जाने के समाचार।''

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुण्डू) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं कि हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में बंगलादेशी नागरिक भारत में घुस आये हैं। ये खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं लगतीं और आमतौर से अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं ।

विभाजन के समय से ही पुराने पाकिस्तानी और बाद में बंगलादेशी राष्ट्रिक भारत के पड़ोसी राज्यों में कुछ संख्या में आते रहे हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से भी लोग आते जाते रहे हैं विशेषरूप से इस क्षेत्र में रहने वाले समान जातीय वर्ग के लोग ।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, बंगलादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए थे । संप्रभुता सम्पन्न एक राष्ट्र के रूप में बंगलादेश का अभ्युदय होने के बाद इनमें से अधिकांश शरणार्थी अपने देश लौट गए । तब से, भारत में आने वाले बंगलादेश राष्ट्रिकों में या तो वे हैं जो वैध दस्तावेज लेकर आते है या वे हैं जो गैर-कानूनी ढंग से घुस आते हैं । अतः जो लोग भारत में अवैध रूप से आते हैं या रहते हैं उन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता ।

भारत-बंगलादेश की सीमा 4,000 किलोमीटर से अधिक लम्बी है जिसमें अनेक स्थलों में दुर्गम क्षेत्र हैं । घुसपैठ रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रबंध किये जाने के बावजूद इस लम्बी सीमा की हर दूरी पर निगरानी रखना तथा हर घुसपैठिये को रोक पाना असंभव है । इसके अलावा बहुत से बंगला देश राष्ट्रिक वैध यात्रा दस्तावेज लेकर भारत आते हैं परन्तु अपने देश नहीं लौटते और यहाँ गैर-कानूनी तौरपर रहते हैं । ऐसे अवैध प्रवासियों का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि दूसरे कारणों के अतिरिक्त उनका समान जातीय उद्भव भी एक कारण होता है । इसलिये उन लोगों की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाना बहुत ही कठिन है जो भारत में अवैध ढंग से घुसे हैं या रह रहे हैं । लेकिन, सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो केन्द्रीय तथा राज्य अभिकरणों से प्राप्त हुए हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में बंगलादेशी राष्ट्रिक भारत में घुस आए हैं । इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर तक ऐसे बंगलादेशी राष्ट्रिकों की कुल संख्या 7,014 थी जिन्हें रोक कर वापिस जाने को कहा गया था । यह संख्या 1976 की इसी अवधि के लगभग बराबर है और 1974 तथा 1975 की संख्याओं से काफी कम ।

आसन्न पड़ौसी राज्य पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आने वाले अधिकांश आप्रवासी बंगलादेश की अल्पसंख्यक जातियों के हैं । जबकि असम और मेघालय में आने वालों में मुसलमान आप्रवासियों की संख्या दूसरों के मुकाबले में कहीं अधिक है । 1977 में अब तक असम में आने वाले मुसलमान आप्रवासियों की संख्या दूसरों की मुकाबले में 1 और 4 के अनुपात से अधिक है ।

[श्री समरेन्द्र कुंडू]

इन आंकड़ों को अपनी सीमाएं है क्योंकि इन में वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो लुक-छिप कर भारत में घुसते हैं या रहते हैं। परन्तु इससे अधिक विस्तृत सूचना के अभाव में भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों के आव्रजन की प्रवृत्ति के एक संकेत के रुप में इन आंकड़ों पर विश्वास करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।

उपर्युक्त प्रव्रजन के विविध कारण हैं। सीमा पर बसने वाले लोगों में परस्पर ऐतिहासिक संबंध तथा विशेषकर उनकी जातीय समानता हमेशा से एक महत्वपूर्ण कारण रही है। बंगलादेश की आंतरिक घटनाएं जिनके कारण वहां की जनसंख्या के किसी खास वर्ग के लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा होना या बढ़ना, वहाँ की आर्थिक निराशा, और ऐसे लोगों की कार्रवाईयां जो लोगों को प्रलोभन देकर देश से बाहर ले जाने को अपना धंधा बना लेते हैं, इस प्रकार के प्रव्रजन के कुछेक कारण हैं। फसल के बुवाई तथा कटाई, व्यापार और वाणिज्य का आकर्षण तथा नियोजन की अच्छी संभावनाएं भी कुछ ऐसे कारण हैं जिन से प्रव्रजन के इन आंकड़ो में उतार-चढ़ाव आता है।

अपने देश से प्रव्रजन को रोकना बुनियादी तौर पर बंगलादेश की अपनी जिम्मेदारी है। फिर भी, भारत सरकार ने कई अवसरों पर और विभिन्न स्थलों पर उन्हें इस बात पर जोर देकर यह बात समझाने की कोशिश की है कि भारत में होने वाले इस प्रव्रजन पर नियंत्रण रखना और इसे रोकना बुनियादी तौर पर उन्हीं की जिम्मेदारी है।

जहाँ तक भारत का संबंध है, वह सीमा पर कठोर निगरानी रख रहा है। केन्द्रीय अभिकरणों के क्षेत्र-एककों तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि अपनी नियमित आवधिक रिपोर्टों के अतिरिक्त प्रव्रजन की संख्या में काफी वृद्धि के किसी खास मामले की जानकारी होते ही वे सरकार को इसकी सूचना शीघ्र दें।

इस बात पर महत्व देना भी आवश्यक है कि इन अवैध आप्रवासियों को शरणार्थी मानने से और इस समस्या को तूल देने से भारत-बंगलादेश के संबंधो पर तथा दोनों देशों में शान्ति और समरसता बनाये रखने पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हम जिस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, वह इससे और तेज हो सकती है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में संयम से काम लें और इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करें।

15 अगस्त, 1975 के बलात् राज्य परिवर्तन और परवर्ती घटनाओं के बाद, बहुत-से बंगलादेशी राष्ट्रिक भारत में घुस आये और उन्होंने यहाँ आकर शरण ली। उनमें से कुछ लोग तो पहले ही स्वयंमेव अपने देश को लौट गए हैं। माननीय सदस्यगण इस बात को स्वीकार करेंगे कि बंगलादेश की सरकार ने इन बंगलादेशी राष्ट्रिकों के साथ जो सलूक किया है वह पूरी तरह उनके आंतरिक क्षेत्र की बात है और भारत इस संबंध में अ-हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। माननीय सदस्यगण इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि इन बंगलादेशी राष्ट्रिकों के साथ अपने देश में वापस लौटने के बाद कैसा व्यवहार किया गया है या किया जाता है, इस बारे में सूचना प्राप्त करने की हमारी अपनी स्पष्ट सीमायें हैं।

श्री समर गुह : मैं आज किसी दल के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रुप में बोल रहा हूँ जिसे हमारे देश के कई महान नेताओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

आज मैं इसे केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं अपितु हमारे राष्ट्र की अन्तरात्मा का ध्यानाकर्षण कहता है ।

बंगला देश से आये हुए शरणार्थी हमारे ही भाई-बान्धव हैं यद्यपि हम राजनैतिक सीमाओं से पृथक-पृथक हो गये हैं, फिर भी वे हमारे ही भाई-बहिन हैं और ऐसी स्थिति में उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है । ऐसी ही बात 15 अगस्त, 1947 को मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में कही थी । महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भारत में उचित आश्रय मिलना चाहिए । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दूओं के प्रति हमारी महान जिम्मेदारी है। अभी हम एक प्राकृतिक तूफान की बात कर रहे थे किन्तु मैं प्रधान मंत्री, इस सभा तथा सारे भारत के लोगों को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार एक राजनीतिक तूफान भी आ सकता है जो न केवल पूर्वी क्षेत्र के लिए बल्कि समूचे देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है ।

हमारे देश में बहुत से लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं किन्तु धर्मनिरपेक्षता का हमारा पवित्र उद्देश्य बंगला देश में धर्मनिरपेक्षता के भविष्य से जुड़ा हुआ है । इस तरह से बंगला देश में अल्पसंख्यकों का भाग्य वहां का धर्मनिरपेक्षता के भविष्य से जुड़ा हुआ है । आज धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीय स्वतंत्रता भारी खतरे में हैं । मैं वहां से ही आया हूं तथा मैंने वहां ही काम किया है । मैं ने दस वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मैं ने कह दिया था कि बंगला देश आजाद होगा । तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे । आज उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो आज स्थिति है वह अयूब खाँ और याहूया खाँ के शासन से भी खराब है । हजारों देशभक्त जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी आज कारावास में पड़े हैं । बंग बन्धु तथा उनके साथियों की जो हालत हुई वह हमारे से छुपी हुई नहीं है । हमारे देश में 70 लाख शरणार्थी बंगला देश से आए हुए हैं तथा और भी आ रहे हैं । वे हमारे भाई है। तीस वर्ष का समय सदियों पुराने नाते को नहीं तोड़ सकता । राजनीतिक दृष्टि से चाहे हम पृथक-पृथक हो परन्तु अन्यथा हम एक हैं । इसलिए बंगला देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में विचार व्यक्त करना हमारा अधिकार है । जब हम कारावास में बन्द कर दिये गए थे तो अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी तथा अन्य देशों के लोग भारत में लोकतंत्रीय संघर्ष की रक्षा के लिए सभाएं करके संकल्प पारित किया करते थे । इस लिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमें बंगला देश के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है ।

अब मैं एक और प्रश्न के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा । श्री मुजीब तथा उनके साथियों की हत्या किये जाने के पश्चात् हजारों की संख्या में लोग भारत आए थे । ये लोग ऐसे थे जिनका नशनल अवामी लीग से सम्बन्ध था । जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने यह नीति बनाई कि उन्हें भारत में न रहने दिया जाए । तब भारत सुरक्षा दल के लोगों ने बलपूर्वक बहुत से लोगों को भारत से निकाल दिया । उन लोगों को भारत से निकालते समय बहुत से लोग मारे भी गए थे । मैं ने इस बारे में राष्ट्रपति को लिखा। वह इस बात से सहमत हो गए कि भारत से किसी को निकाला न जाए । इस प्रकार उनका भारत से निकाला जाना बन्द हो गया। इस के बाद एक और घटना घट गई। जिया-उर्रहमान ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया कि बंगला देश के उन लोगों को, जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है, बंगला देश वापस जाने पर कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा । यह आश्वासन प्राप्त करने पर कुछ लोग वापस गए । किन्तु जून में 16 व्यक्ति मारे गए । उन प्रत्यावर्तित लोगों के बारे में मुझे एक और पत्र भी मिला है। उसमें भारत से अपील की गई है कि हम जियाउर्रहमान के आश्वासन पर

[श्री समर गुह]

बंगलादेश वापस लौटे थे किन्तु कल को हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। 126 में से 40 को फांसी पर लटकाया जा चुका है ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए सत्ता को हड़पते हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उन्हें आजाद करने के लिए हमें उनपर कूच कर देना चाहिए किन्तु हमें उन्हें भारत से इस प्रकार से नहीं निकाल देना चाहिए ताकि वहां जाकर कसाइयों के हाथ उनका जाते ही वध हो जाए।

अब मैं शरणार्थी निर्गमन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। मैं आप को बताऊंगा कि लोग वहां से क्यों आ रहे हैं। बंगला देश सरकार ने हाल में एक बयान में कहा है कि वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या 60 लाख है। यह संख्या सही नहीं है। 1971 में बंगलादेश से लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत आए थे जिनमें से 97 लाख गैर-मुसलमान थे। यदि वे 97 लाख लोग वापस गए और यदि जैसाकि आपने कहा है कि 70 लाख वहां थे, तो वहां पर कम से कम डेढ़ लाख अल्पसंख्यक हैं। किन्तु यह कहा गया है कि वहां पर 60 लाख लोग है। दूसरे 1971 की जनगणना में गैर-मुसलमान लोगों को गिना नहीं गया था क्योंकि उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में था।

असुरक्षा की भावना का पहला कारण यह है कि बंगलादेश को धर्मतन्त्रात्मक (इस्लामी) राज्य घोषित किया गया है। वहां धर्मान्धता की राजनीति चल रही है। बहुत-से बड़े-बड़े राजनीतिक नेता जेल में रखे गये हैं। वहां भारी अत्याचार हो रहा है। बंगलादेश में एक सम्पत्ति अधिनियम प्रस्थापित किया गया है और एक अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया है। अभी हाल में वहां एक गैर-रिहाइश सम्पत्ति अधिनियम बनाया गया है। यदि किसी परिवार का एक व्यक्ति भी भारत आता है, तो तुरन्त उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करली जाती है। उनकी भूमि पर भी बलात् कब्जा किया जाता है। उनकी सभी चीजें छीन ली गई हैं।

असुरक्षा का दूसरा कारण यह है कि वहां गैर-मुस्लिम समुदाय अथवा अल्पसंख्यकों का आई०जी० या कोई अन्य महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी नहीं है और प्रशासन में भी गैर-मुस्लिम समुदाय का कोई उच्च अधिकारी नहीं है, जो 3–4 डिप्टी कमिश्नर थे उनकी भी पदावनति कर उन्हें क्लर्क बना कर ढाका लाया गया है, गैर-मुस्लिम लड़की, हिन्दुओं, ईसाइयों तथा बौद्धों को इंजीनियरिंग कालिज अथवा मेडिकल कालिज या स्नातकोत्तर कालिज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। व्यापार लाइसेंस भी उन्हें नहीं दिये जाते हैं। हाल में ही कई लाइसेंस जब्त किये गये हैं।

बंगला देश से जो लोग भारत आ रहे हैं उन्हें घुसपैठिये कहा जाता है और सीमा सुरक्षा बल से उन्हें जबर्दस्ती वापस भेजने को कहा जाता है। आज बंगला देश से भारी संख्या में लोग भारत में आये हैं विशेषकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम में, और उन्हें शरणार्थी नहीं माना जा रहा है। यदि प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इस सदन में यह आश्वासन दें कि उन्हें शरणार्थी माना जायेगा तो मैं कल ही उनके नाम प्रस्तुत कर सकता हूँ तब पता लगेगा कि उनकी संख्या कितने हजारों में तथा लाखों में है।

इसी प्रकार बंगला देश से आये हुए छात्रों को जिनके पास बंगला देश से मैट्रिक्यूलेशन के प्रमाणपत्र हैं, जिन्होंने किसी तरह भारत के कालिजों व विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाया है, 'नागरिकता प्रमाणपत्र' के बिना वे कालिज तथा विश्वविद्यालय उन्हें अन्तिम परीक्षा के बाद प्रमाणपत्र नहीं देते हैं और 'नागरिकता प्रमाणपत्र' उन्हें मिल नहीं रहे हैं। इसलिए उनके लिए रोजगार प्राप्त करने के अवसर भी नहीं हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रश्न को ऐसा न समझे कि मानों वह भारत व ईरान अथवा भारत व मलेशिया के बीच का प्रश्न है। इस प्रश्न को ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में लिया जाये, हमारे सम्बन्धों के, विद्यमान स्थिति के तथा धर्मनिरपेक्षवाद के समक्ष विद्यमान खतरे के समुचित परिपेक्ष्य में लिया जाय और इस परिपेक्ष्य में लिया जाये कि इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बंगला देश के आन्तरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किये बिना इस स्थिति से सावधानीपूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से तथा व्यावहारिक कुशलता से निपटा जाये ताकि वहां फिर से धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र कायम हो सके और इस बीच अल्पसंख्यकों के लिए वहां स्थान सुनिश्चित किया जा सके।

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : The call attention notice has two parts. The first refers to reported large scale inflex of refugees from Bangladesh to India. It will not be fair to say that the number of refugees coming from Bangladesh has suddenly gone up.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

The number of refugees that came to India from Bangladesh during the period April to December, 1974 was 15,278 but in 1975, it increased to 38,445. In 1976 it went down to 7,924. The number has, therefore, not increased this year.

We have taken up this matter with the Bangladesh Government. The issue was discussed in Dacca at Secretaries level. The High Commissioner of Bangladesh was called in Delhi and has been apprised of the situation. The Prime Minister, when he met the President of Bangladesh, Shri Zia-ur-Rahman in London, had also discussed this issue with him. India is quite alive to the situation.

It is also wrong to say that Bangladesh has declared itself an Islamic State. They have simply substituted the word 'Almighty Allah' in place of 'secular' in their constitution. When the attention of the Bangladesh Government was drawn to this fact, it was stated that they had no intention to set up an Islamic State or a theocratic state and that Hindus and Muslims would enjoy equal rights in their country. The President of Bangladesh has conveyed to us their concern to ensure that there is no sense of insecurity of any kind among the minorities in Bangladesh.

It is a baseless allegation to say that those who came from Bangladesh to seek asylum after military *coup* these were pushed back to Bangladesh against their wishes. Our officials who have made investigations into this allegation have reached the conclusion that they went back to Bangladesh out of their own sweet will, we are ready to accord full protection to those who do not choose to go back to their country. It is our moral duty to give protection to those who seek asylum in our country. We shall not send anybody back against his wish.

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

After the military *coup* in Bangladesh in 1975 a large number of people crossed the border. Some of them established the camps just on the border. When the Janta Government came to office, we decided that we would not allow any camp on the border. The people concerned were given a choice either to go back to Bangladesh or to shift away from the border inside India. Nobody was pushed back into Bangladesh against his wish. So there is no question of having any secret deal with Bangladesh on this issue.

It is stated that Bangladesh Government were enacting such laws as would directly affect the minorities in that country and a reference was made to a law relating to property. In this connection, I would like to state that the new ordinance issued by Bangladesh did not make any radical change. It only provides for more expeditious action. We have drawn the attention of the Bangladesh Government about its proper implementation. It is wrong to say that our Government is not alert about the situation in Bangladesh.

It was agreed at the time of partition that it would be the constitutional, legal and moral duty of the respective Governments to protect the life and property of minorities in their country and India has stood by her commitment and we want that Bangladesh should also follow the same path. Prof. Samar Guha has himself suggested that we should tactfully handle the situation without directly interfering in the internal affairs of Bangladesh. I can assure the House that efforts are being made to influence the Bangladesh Government and we are taking the matter in the proper perspective.

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : यह प्रश्न हमारे लिए उत्तेजनापूर्ण है क्योंकि हम देश की स्वाधीनता के दुष्परिणामों से प्रभावित हुए । विशेषकर, पंजाब और बंगाल से स्वाधीनता के पश्चात् जब भारी संख्या में शरणार्थी आये तो उन्हें काफी तकलीफें उठानी पड़ी थी । उस समय वर्तमान विदेश मंत्री विपक्ष में बैठकर शरणार्थियो के हितों की रक्षा करते थे परन्तु अब जो उन्होंने उत्तर दिया है उसमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है ।

मैं केवल तीन मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाउंगा । जो शरणार्थी बंगला देश की ओर वापस धकेल दिये गये उन्हें वहाँ कत्ल कर दिया गया । हमें बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश भक्तों का सम्मान करना चाहिए था । ये लोग भारत में इस लिए आये क्योंकि वे भारत को अपना मित्र मानते थे और यह जानते थे कि भारत ने बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन में उनका हाथ बंटाया था । बंगला देश में लोकतन्त्र का हनन हो जाने पर इन लोगों को भारत में राजनैतिक शरण लेने के लिए आना पड़ा । अपने स्वाभिमान और जीवन की रक्षा के लिए वहाँ से अब भी शरणार्थी भारत में आ रहे हैं । हमारी सरकार का सबसे परम कर्तव्य यह है कि वह बंगला देश से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर यह कहे कि उस देश में सामान्य स्थिति वापस लायी जाये ताकि वहाँ अल्पसंख्यक तथा लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति आराम से रह सकें । बंगला देश के साथ फरक्का बांध और शरणार्थियों की समस्या को भी हल करने के लिए एक साथ बातचीत करना उचित नहीं है । भारत सरकार को चाहिए कि वह वापस किये गये देश भक्त शरणार्थियों के कत्ले आम के विरूद्ध बंगला देश को सख्त पत्र लिखे ।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : गुप्त समझौते का पहले ही खंडन किया जा चुका है । सभी समस्याओं के बारे में कोई एक समझौता भी नहीं किया गया है । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, लंदन में फरक्का बांध के बारे में उनको कोई बातचीत नहीं हुई । भारत में आये इन शरणार्थियों को वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया, वरन् जो वापस जाना चाहते थे, अपनी इच्छा से वापस गये ह । शरणार्थियों

के विषय में हमारी सरकार भी आपकी तरह ही चिन्तित है । ऐसे नाजुक मामले के बारे में माननीय सदस्य कोई उतेजनात्मक बात न कहें और न ऐसे प्रश्न ही पूछें । अच्छे सम्बन्ध बनाकर ही हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi): Mr. Deputy Speaker, the External Affairs Minister has stated in clear terms that there will be a reaction in India in case all the facts about the affairs in Bangladesh are brought before the people in India and increasing influx of refugees from Bangladesh may create a sense of insecurity among the minority communities here in India. Whenever any issue about Bangladesh and Pakistan has been raised the same arguments have been given during the last 30 years. There has been a migration of large number of people from Bangladesh ever since the partition of India. There has been a perpetual sense of fear and insecurity in the minds of the people in Bangladesh, formerly East Pakistan.

It is not a question of internal affairs of Bangladesh. When we can raise a voice against the atrocities on black inhabitants of South Africa, why we cannot intervene in respect of migration of refugees from Bangladesh even though they are blood of our blood and flesh of our flesh.

I want to know whether the Hindu population which remained in Pakistan after partition has been forcibly converted or has been massacred. Due to our policy in this matter there is still 6-7 crore Muslim population in India. It is not a question of human rights and can it not be raised in the U.N.O. ? Will it not be appropriate on our part if we issue a warning to Bangladesh that it will have to provide land for the resettlement of refugees if they are ill-treated and forced to migrate to India.

I may suggest that this issue needs to be settled alongwith the Farakka issue. We should take even strong action against a country like Bangladesh who is increasing our problems and meting out inhuman treatment to those who were once the nationals of India.

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): The last para of the statement which has been wrongly interpreted by our friend Shri Melhotra refers to those migrants who came to India after military coup in Bangladesh. They were not pushed back to Bangladesh against their wishes. It is not desirable to put Bangladesh in the same category as South Africa or Rhodesia. But I would keep in view the suggestions of the hon. Member.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, the hon. Minister is known for his balanced speeches and straight forwardness but the statement he has made does not reveal clearly the Government's Policy in this matter. It is quite true that we cannot interfere in the affairs of a country even though it may be having dictatorship or military rule. But as regards Bangladesh we cannot remain a silent spectator of the developments taking place in that country since our problems are linked with it. It is not in the interest of our country if we under-estimate the influx of refugees from Bangladesh and the magnitude of the problem. We want that even a single person may not have to migrate from Bangladesh just because he has not been afforded social security there. If our Government continue to follow appeasement policy in respect of Bangladesh, it will certainly create problems beyond our control.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

Please let me know whether our Government have shown their displeasure during the talks held with Bangladesh on Ministry level and Prime Minister level in regard to the problem of influx of refugees from that country. If it is not so, whether Government will now show their displeasure to Bangladesh, keeping in view the feelings of our Parliament. The hon. Minister did not mention in his statement the reaction shown by Bangladesh to the proposals made or actions taken by our Government at any stage. The properties are being forcibly snatched from refugees and being given to others in Bangladesh.

Will the Government constitute a Committee comprising 5 Members from this House and ask that committee to visit Bengal for finding out the factual state of affairs. In view of our assurances many patriots went back to Bangladesh where they were massacred. What reply you have received from Bangladesh in regard to this massacre.

Shri Atal Behari Vajpayee : Whenever any thing came to our notice we draw the attention of Bangladesh thereto at the earliest opportunity. We have also expressed our concern and asked Bangladesh to check such incidents as may create a sense of insecurity among minorities.

There is no restriction on the entry of persons who possess valid documents. We have a very vast border and people try to enter clandestinely. We are trying to check them also. Persons without permission are sent back by the check-posts. The entry point for people of Bangladesh into India is in West Bengal. Where another party is in power. We invite figures from them Government of India have expressed their concern about minorities to the Bangladesh Government. But if the situation deteriorates we will certainly consider other steps.

As regards this suggestion made by Shri Kanwar Lal Gupta that a Parliamentary delegation be sent to Bangladesh. I have only to say that it is for you take a decision in the matter. The Bangladesh Government have given an assurance to protect the minorities there. After the Farakka accord our relations with Bangladesh are improving and it will naturally have a good effect on the minority question as well.

श्री पी० के० कोडियन (कुडूर) : विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के वक्तव्य का निचोड़ यह है कि सरकार दोनों देशों के बीच शांति पूर्ण मैत्री बनाये रखने के लिये आवश्यकता से अधिक इच्छुक है और मुझे कहना पड़ता है कि हमारे देश में राजनीतिक शरण लेने वाले बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के दायित्व से परे हट रहो है । उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा है कि बंगला देश के नागरिकों के साथ उस देश को सरकार कैसो व्यवहार करें, यह बंगला देश का आन्तरिक मामला है । कोई सदस्य यह नहीं कहता है कि आप एकदम से सैनिक कार्यवाही कीजिए या तुरन्त कोई सीधी कार्यवाही कीजिए । अपने देश को महान परम्परा को ध्यान में रखते हुए हमें मानव स्वतंत्रता के समर्थन में अपनी आवाज उठानी चाहिये और वहां के लोगों की परेशानी को कम करने के यथासंभव कदम उठाने चाहियें ।

श्री बाजपेयी ने कहा कि किसी राजनीतिक शरणार्थी को बंगला देश वापस नहीं भेजा गया । बंगला देश में समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण है और वे समाचारपत्र ऐसे व्यक्तियों को बंगला देश को भारतीय सीमा सुरक्षा दल द्वारा सौंपे जाने और उनके समर्पण के समाचारों से भरे पड़े हैं । मेरी अपनी जानकारी है कि सीमा सुरक्षा दल ने लगभग एक हजार स्वतंत्रता सेनानियों को या तो वापस बंगला देश में धकेल दिया है या वहां की सरकार के हवाले किया है। जहां तक आत्म समर्पण का सम्बन्ध है, उन्हें बिजली-पानी आदि काटकर इसके लिये बाध्य किया गया। श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने इसे अल्पसंख्यकों के प्रश्न में बदल दिया । यह हिन्दू-मुस्लिम समस्या नहीं है । बल्कि यह मानव अधिकारों, लोकतंत्रीय अधिकारों की समस्या है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बंगला देश सरकार ने आश्वासन दिया है कि बंगला देश वापस जाने वाले राजनैतिक शरणार्थियों के, चाहे वे स्वयं वापस गये हों या वापस भेजे गये हों, हितों की रक्षा की जायेगी और उन्हें बंगला देश के अन्य नागरिकों के समान समझा जायेगा तथा उन्हें कोई दंड नहीं दिया जायेगा? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बंगला देश के कितने नागरिकों ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी, कितने लोगों को राजनीतिक शरण दी गई और कितनों को नहीं दी गई और बंगला देश वापस जाने पर उनकी क्या हालत हुई ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1975 में जब बंगला देश में सैनिक विद्रोह के बाद अनेक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में आ गये और उनमें से अनेक लोगों ने सीमा पर ही शिविर लगा लिये । वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पर निर्णय किया कि हम अपनी सीमा पर किसी शिविर की अनुमति नहीं दे सकते । अतः ऐसे लोगों को कहा गया की या तो वे बंगला देश वापस जाये या भारत में सीमा से दूर हट जाये । अनेक लोगों ने वापस जाने का निर्णय किया । मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि किसी को भी उसकी इच्छा के विरूद्ध बंगला देश में स्वदेश नहीं गया है । जहां तक भारत में शरण लेने वाले बंगला देश के नागरिकों की संख्या का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न का नोटिस दें, तो मैं यह जानकारी एकत्र करने का प्रयास करूंगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

मेरा एक अन्य निवेदन है कि आज संभवतः रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावित चर्चा न हो सके । रेलवे मंत्री महोदय घटनास्थल पर कल जायेंगे । अतः मेरा अनुरोध है कि यह चर्चा सोमवार के लिये स्थगित कर दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि सभा इससे सहमत होगी ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (डमडम) : मैं नई सेवा/सेवा का नया मसौदा—वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पर लोक लेखा समिति के 183 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

चौथा तथा छठा प्रतिवेदन

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय—भारतीय पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा नियोजन पर समिति के 39 वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक-सभा) में दी गई कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों व उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के आरक्षण तथा नियोजन के बारे में विदेश मंत्रालय पर छठा प्रतिवेदन।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री के० रघुरामैया (गुंटूर) : आज के "इंडियन एक्सप्रैस" समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैंने दो अन्य व्यक्तियों के साथ बोइंग विमानों के सम्बन्ध में कई हजार डालर लिये हैं जो विदेश स्थित खातों में जमा किया गया है। इसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है और इसका उद्देश्य मुझे बदनाम करना है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि न तो मैंने इस मामले में और न ही किसी अन्य मामले में कोई पैसा लिया है। जहां तक मुझे याद है, मैं अपने जीवन में बोइंग कम्पनी के किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला हूँ। मेरा विदेशों में कोई बैंक एकाउंट भी नहीं है। मैं नियम 357 के अधीन लोक सभा में यह मामला उठा रहा हूँ ताकि मैं गृह मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने की प्रार्थना कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले के बारे में गृह मंत्री को सूचित कर दूंगा।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) लक्षद्वीप में समुद्री तूफान से हुई क्षति

श्री बी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : सर्व प्रथम मैं आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू के तूफान पीड़ितों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ। अब मैं सभा का ध्यान लक्षद्वीप में तूफान से हुई हानि की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

लक्षद्वीप में तूफान का एक अच्छा पहलू यह रहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि गांवों के बुजुर्गों ने आने वाले तूफान के बारे में समय पर चेतावनी दे दी थी। तूफान से उनकी जान तो बच गई परन्तु उनके पास खाने-पहनने के लिये कुछ नहीं बच रहा है। सबसे अधिक हानि कालपेनी द्वीप में हुई जिसकी आबादी 4,000 है। इस समूचे द्वीप में चार फुट पानी भरा हुआ है। सारी खड़ी फसल नष्ट हो गई है, कुँओं का पानी खारा हो गया है, 600 मकानों में से 150 बिल्कुल नष्ट हो गये है और 400 की मरम्मत करनी आवश्यक है। दो लाख नारियल के पेड़ों में से केवल 25,000 पेड़ो पर ही भविष्य में फल लगेंगे, 1400 बकरियों में से केवल दो सौ ही बची हैं, 6,000 मुर्गे-मुर्गियों में से केवल 1,000 ही बचा हैं। परिवहन का साधन नौकाओ ही हैं, जिनमें से अधिकतर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अन्य द्वीपो में भी इसी प्रकार हानि हुई है यद्यपि वह इतनी अधिक नहीं है।

लक्षद्वीप सबसे छोटा है और सबसे दूर स्थित है। वहां से मैं ही एकमात्र सदस्य हूँ और मेरी आवाज बुलन्द नहीं है। दूसरे दुर्भाग्य की बात यह है कि पूर्वी तट पर आई भीषण विपदा के बोझ से हमारी विपत्ति दब गई है और उसके सामने बहुत मामूली दिखाई देती है। वहां कोई विधान सभा नहीं है और वहां केन्द्र का सीधा शासन है। संभवतः हमारा क्षेत्र का बहुत छोटा और दूरस्थ होना ही हमारी विपदा की घड़ी में केन्द्र के किसी अधिकारी के वहां न जाने का कारण है।

सरकार को उस द्वीप में लोगो की सहायता करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। सर्वप्रथम वहां एक चिकित्सकों का दल भेजना चाहिये तथा अनाज, सीमेंट, इमारती सामान भेजा जाना चाहिये। दूसरे, वहां की मिट्टी की जांच करने के लिये कोई मिट्टी विशेषज्ञ भेजा जाना चाहिये ताकि भूमि को फिर योग्य बनाया जा सके और फिर नारियल के पौधे, उर्वरक आदि भेजे जाने चाहियें। तीसरे उन्हें मत्स्य नौकाओं और दो बड़ी नौकाएं देना चाहिये ताकि छोटे-छोटे टापुओ के बीच यातायात पुनः प्रारम्भ हो सके।

(दो) रुग्ण कपड़ा मिलों में कपड़े का स्टाक जमा होना

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, Sir. It would have been better if the concerned minister was present in the House.

Government had taken over 103 textile mills. These mills are incurring an annual loss of Rs. 42 crores, which is mounting year after year. The main reason for the mounting losses is that these mills are being managed by officers who are not technical persons and have technical knowledge. Secondly, the system of selling cloth produced by these mills is defective in many respects, which is resulting in accumulation of large stock and blocking of capital. The distribution system should be improved. I will like to cite an instance. Some mills in M.P. entered into a transaction for sale of cloth worth Rs. 50 lakhs to Raj Lakshmi Associates, Calcutta, against a deposit of

[Shri Hukam Chand Kachwai]

Rs. 15,000 only. The party did not honour its commitment with the result that besides paying the demurrage to the Railways, the mills had to pay for getting back the cloth from Calcutta.

Similarly, the system of purchasing raw materials for these mills is also full of several defects. There are several instances of payment of higher prices and acceptance of substandard materials and machinery.

Then, some recognised trade unions are functioning in these mills. Workers, who are members of these unions are not working. If there are 3,000 workers in a mill, 500 workers get their wages without doing any work. It should be looked into. If four shifts are run in these mills as agreed to, it would provide employment to more people and help increase the production as well. This will also help in checking the frequent strikes.

I hope that Government would consider my suggestions and the losses would be avoided.

(तीन) वाशिंग्टन में भारतीय दूतावास अधिकारी पर हमला

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मैं सदन का ध्यान वाशिंग्टन में हमारे दूतावास के एक कर्मचारी पर हुए घातक हमले की ओर दिलाना चाहता हूँ जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है । एक युवा अधिकारी पर निर्दयतापूर्वक हमला हुआ है । यह पहली ही घटना नहीं है । पाश्चात्य देशों के प्रमुख शहरों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं । मैं नहीं जानता कि विदेशों में हमारे कर्मचारियों के दिलों में विश्वास पैदा करने के लिए इन मामलों में सरकार क्या कर रही है । इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पीछे कोई संगठित गिरोह है जिसे विदेशी शक्तियां सहायता दे रही हैं । हमारी सरकार देश को यह बताने में भी असमर्थ है कि इस दुःखद घटना के पीछे कौनसी शक्तियां काम कर रही हैं ।

सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह सम्बन्धित सरकारों के साथ यह मामला उठाये और इस सदन को बताये कि उन सरकारों का इस मामले में क्या कहना है, और क्या वे सरकारें अपने देश में हमारे दूतावासों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं ।

समाचार के बारे में सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव

MOTION *RE.* STATEMENT ON SAMACHAR BY THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम समाचार पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य देने से पहले ही हमने समाचार पत्रों में देख लिया है कि सरकार 'समाचार' के बारे में यथापूर्व की स्थिति लाने का निर्णय कर रही है । यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि गलती को ठीक करने की दृष्टि से सरकार एक और गलती कर रही है । हम देख रहे हैं कि समाचारपत्रों के कर्मचारियों और लोकतांत्रिक वर्गों के लोगों की सरकार के इस निर्णय के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया है और वे सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं । सरकार

ने समाचारपत्रों को पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर एक महान कार्य किया है किन्तु ऐसा करने से सरकार समाचार अभिकरणों को पुनः बड़े एकाधिकार प्रेस के हाथों सौंप रही है । वर्ष 1976–77 में समाचार को 78 लाख रुपए की हानि हुई जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए का अर्थानुदान दिया। वर्ष 1977-78 में उसे 90 लाख रुपए की हानि होने की संभावना है।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

यदि सरकार यथापूर्व की स्थिति लाना चाहती है तो उसे बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए सरकार का प्रभाव बढ़ता है । क्या यही प्रेस की स्वतंत्रता है जिसका सरकार हमें वचन दे रही है ? क्या यह प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता का श्री गणेश है ? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती ।

दूसरी ओर यदि कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला एक ही सशक्त अभिकरण हो जिसके निदेशक मंडल में प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि गैर-पत्रकार कर्मचारियों के तथा प्रमुख लोगों के, यथा संगीत नाटक अकादमी तथा अन्य सांस्कृतिक संगठनों और जन संचार माध्यम के साहित्य क्षेत्र में अन्य प्रमुख लोगों के प्रतिनिधि भी होंगे तभी निश्चित रूप से स्वतंत्रता की दिशा में कुछ गारन्टी होगी ।

आज समाचार एजेन्सियों की स्थिति यह है कि समाचारपत्र अखबार विक्रेताओं (वैन्डर्स) को अधिक कमीशन देते हैं और समाचार एजेन्सियों को उससे कम धन देते हैं। ऐसी स्थिति में वे स्वतंत्र व आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हो सकते हैं? समाचार पत्रों के बीच प्रतियोगिता के बजाये यह देखना ज्यादा आवश्यक है कि समाचारों को अधिक विस्तार के साथ सर्वोत्तम तरीके से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाये ।

इसलिए, सरकार यदि इसकी गारन्टी देना चाहे तो वह पूर्व की स्थिति नहीं ला सकती । यहां तक कि समाचार में भी सतर ब्यूरो हैं जिनका एकीकरण किया गया है । ये टेलीप्रिन्टर आपरेटरों द्वारा चलाये जाते हैं लेकिन टेलीप्रिन्टर खुद बहुत पुराने व बेकार हैं। इसलिए प्रादेशिक भाषाई समाचारपत्रों को मुश्किल से ही कोई समाचार मिल पाते हैं। अतः यह आशंका उचित ही है कि जब ऐसा निर्णय ले लिया गया है तो समाचार एजेन्सियों में हिन्दी की प्रमुखता होगी और प्रादेशिक भाषाई समाचारपत्रों को हानि होगी । तीन समाचार एजेन्सियां होने पर भी देश में 700 समाचारपत्रों में से केवल 300 समाचारपत्र ही इन समाचार एजेन्सियों को अंशदान देते हैं और केवल 81 समाचारपत्र दो एजेन्सियों को अंशदान देते हैं। ये 81 ने भी जब यू० एन० आई० का बिल अधिक हो गया तो उसे रद्द करके पी० टी० आई० में अंशदान देना शुरू कर दिया और जब पी०टी०आई० में बिल अधिक हो गया तो फिर यू० एन० आई० में देना शुरू कर दिया। क्या सरकार वही पुरानी तरीके को तोड़-मरोड़ पसन्द करती है और इन समाचार एजेन्सियों को बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों की दया पर छोड़ना चाहती है ?

नियोजकों का प्रतियोगिता का सिद्धान्त कर्मचारियों के हितों के बिल्कुल प्रतिकूल है । मंत्री महोदय को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए जिसकी प्रेस कमीशन ने 1954 में सिफारिश की थी अर्थात् एक स्वायत्तशासी निगम की योजना बनाई जाये और एक ऐसा गठित किया जाये जो सभी प्रभावों से मुक्त हो अर्थात् सरकारी, साम्प्रदायिक अथवा अन्य किसी किस्म के प्रभाव से युक्त हो और इस बीच वर्तमान 'समाचार' का पुनर्गठन किया जाये । इसका

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

विस्तार किया जाये । स्वयं कर्मचारियों को ही इसे चलाना चाहिए और सभी समाचारों पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस बात की गारन्टी हो कि इस देश के अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक समाचार मिलें। इसलिए, ब्यूरोज की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और तकनीकी उपकरणों में सुधार किया जाना चाहिए ।

अतः मैं ऐसा संशोधन देने का प्रस्ताव करती हूँ कि सरकार को तुरन्त ऐसा विधान लाना चाहिए जिससे समाचार एजेंसियो को 1954 में प्रेस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार व्यापक लोकतांत्रिक नियंत्रणों के अन्तर्गत सांविधिक निगम बनाया जा सके । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़): कुछ माननीय सदस्य जो 'समाचार' के विघटन के पक्ष में नहीं है उनका यह कहना है कि यदि हमने इसका विघटन कर दिया और इसके चार समाचार एजेंसियो को यथापूर्व की स्थिति की दर्जा दिया गया तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा । लेकिन मेरा मत अन्यथा है ।

'समाचार' का गठन पिछली सरकार के तानाशाह प्रशासन को चलाने के उद्देश्य से किया गया था । इसलिए, इसे अब जीवित नहीं रखना चाहिए । मेरी राय में सरकार द्वारा तथा निर्मित अथवा गठित कोई भी एजेंसी केवल वही समाचार देगी जो सरकार चाहेगी । एजेंसी द्वारा समाचार सेंसर किये जाते हैं। अतः इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और चारों पुरानी विघटित समाचार एजेंसियों के कर्मचारियो को फिर से उन की समाचार एजेंसियों में भेज दिया जाना चाहिए । किन्तु सन्देह है कि ये एजेंसियां पुनः निर्मित की जा सकती हैं अथवा नहीं । मेरा विचार है, इन एजेंसियों का गठन किया जायेगा । ऐसा होने पर मेरी प्रार्थना व सुझाव यह है कि 'समाचार' में इन कर्मचारियों को जो अतिरिक्त वेतन, सुख-सुविधाएं आदि मिल रही थीं उन उनकी एजेंसियों में सुरक्षा की जानी चाहिए, अर्थात् उन्हें 'समाचार' की सभी सुविधाएं वहां प्राप्त होनी चाहिए ।

इन एजेंसियों के पुनर्जीवित किये जाने पर ऐसा प्रस्ताव है कि सरकार तीन वर्ष तक इन्हें आर्थिक सहायता देगी, किन्तु तीन वर्ष में उनकी स्थिति पूर्णतः सुधर नहीं सकती । अतः मेरा सुझाव है कि इनको कम से कम सात वर्ष तक आर्थिक अनुदान अथवा सहायता दी जानी चाहिए जिस दौरान वे अपनी कमी पूरी कर सकें । यदि सरकार समाचार एकत्रित करने के लिए 'समाचार' को बनाये रखे तो वह अनावश्यक व दोहरी व्यवस्था होगी । सरकार के पास सूचना व प्रसारण विभाग है सरकार के पास देशभर में रेडियो एजेंसियां तथा टेलीफोन व्यवस्था है । सरकार को जाना जब चाहे समाचारों को एकत्रित कर सकती है और जितनी बार चाहे उनका प्रसारण कर सकती है ।

अब सरकार की ओर से उनके पास विभिन्न एजेंसियां हैं । उनके पास ग्राम पुलिसमैन से लेकर गांव राजस्व निरीक्षक हैं। इनसे उन्हें प्रति दिन तीन या चार बार समाचार मिल सकते हैं । यदि समाचार को रहने दिया जाता है तो यह एक दोहरी और खर्चीली व्यवस्था होगी। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तथा चारों एजेन्सियों को फिर से स्थापित करना चाहिए ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मुझे खेद है कि मैं श्री अडवानी के इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब वह आक्षेपणीय सामग्री प्रकाश निवारण विधेयक सभा के सामने लाए थे तो हमने

उसका समर्थन किया था। जब गत विधान सभाओं के चुनाव के समय उन्होंने आकाशवाणी ने विरोधी दलों को आपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया था तो हमने उन्हें बधाई दी थी। किन्तु आज जो वह प्रस्ताव सभा के सामने लाए हैं इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। मैं तो यही समझ पाया हूं कि वह मिलान के खिलाफ है। वह नहीं चाहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जन संघ में मिले और अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषद युव जनता में मिले। इसी तरह से वह भारतीय मजदूर संघ का हिंद मजदूर पंचायत में विलय होने के विरुद्ध है।

नई सरकार के इस निर्णय की पृष्ठभूमि को देखने से पता चलता है कि सत्ता धारण करने के पश्चात उन्होंने कुलदीप नायर समिति नियुक्त की जिसने अपना प्रतिवेदन थोड़े ही समय में दे दिया। श्री अडवानी ने इस समिति के बहुसंख्यक निर्णय की अवहेलना करके श्री सी० आर० इरानी और श्री ए० के० सरकार द्वारा दिए गए अल्पसंख्याक निर्णय को स्वीकार किया है जो दोनों एकाधिकार प्रैस के प्रतिनिधि है। मालुम नहीं उन्होंने समाचार के चैयरमन को उसे चार एजेन्सियों में बाटने की क्यों सलाह दी? क्या इन चारों एजेंन्सियों ने उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें पहली स्थिति दी जाय? उन्होंने यह तर्क दिया था कि समाचार की स्थापना आपतकाल में हुई थी परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह चाहते है कि जो कुछ आपतकाल में हुआ था उसे फिर से पहली स्थिति में लाया समाचार की स्थापना खराब समय में एक अच्छा काम था। अतः श्री अडवानी जैसे अच्छे व्यक्ति को एक अच्छी चीज को रख लेना चाहिए और समाचार को ऐसे ही रहने देना चाहिए। श्री कुलदीप नायर समिति के चार सदस्यों ने भी इस निर्णय का विरोध किया है। मशहूर पत्रकारों ने भी खुले आम इस निर्णय का विरोध किया है। ये लोग न तो कांग्रेसी हैं और इनको आपतकाल के दौरान समाचार के हातों नुकसान भी उठाना पड़ा है। हमारे देश के लोगों का तो इस निर्णय के बारे में यह विचार है।

हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्नपर भी विचार करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या इस निर्णय से समाचार एजेन्सियों की स्वतंत्रता बढ़ेगी तथा क्या वे पहले से अधिक आत्मनिर्भर होंगी? इसके लिए हमें यह देखना होगा कि समाचार में विलय होने से पहले उनकी स्थिति क्या थी? विलय से पहले पी० टी० आई० के पास केवल 4.5 लाख रुपये थे और यु० एन० आई० के पास 3.5 लाख रुपये। इस प्रकार से समाचार भारती के पास 26 लाख रुपये थे। ये राशि भी व्यर्थ गवाई जा रही थी। जहां तक हिन्दूस्थान समाचार का सम्बध है उस पर श्री अडवानी रोशनी डाल सकते हैं। हिन्दुस्तान समाचार केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग बिना वेतन के काम करके इसे चला रहे थे। तब समाचार एजेन्सियों की यह स्थिति थी। विलय के बाद भी समाचार घाटे पर चलता रहा। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाचार एजेंसियों की आत्मनिर्भरता के प्रश्न का प्रैस की स्वतंत्रता से सीधा सम्बन्ध है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी नहीं होती। इसलिए समाचार एजेंसियां तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकती जब तक वे सरकार अथवा एकाधिकार प्राप्त समाचार एजेंसी के संरक्षण से बाहर नहीं निकल आती। अतः यदि हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें उन्हे फिरसे पृथक पृथक नहीं करना चाहिए। पृथक पृथक करने से ये एजेंसियां कमजोर हो जाएंगी और उन्हें सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा।

मैं श्री अडवानी से अनुरोध करुंगा कि वह समाचार पत्रों का विक्रय मूल्य बढाएं यदि वह चाहते हैं कि ये एजेंसियां आत्मनिर्भर हो सकें। हमें एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्थापित करनी चाहिए संसार के प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी होती है। विलय से पहले पी० टी० आई० के

[श्री सौगत राय]

भारत में 300 जिलों में से केवल 70 जिलों में ही प्रतिनिधि थे। अत: हमें भी एक आत्मनिर्भर एक एजेंसी बनानी चाहिए। जैसे अमरीका की दो एजेंसियां असोसिएटड प्रैस और यू० पी० आई०, ब्रिटेन की रायटर, रूस की टास, फ्रांस की ए० एफ० पी० है जो आत्मनिर्भर है वैसे ही भारत को भी अपनी आत्मनिर्भर एजेंसी बनानी चाहिए। पहले तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस समाचार का विभाजन न होने दे परन्तु यदि किसी कारण यह सम्भव नहीं है तो वह यह देखें कि ये एजेंसियां आत्मनिर्भर रहें। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि इनका एक निदेशक बोर्ड हो जिसमें मुख्यरूप से पत्रकार लिए जाएं। उन्हें सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अंत में फिर मैं यही कहूंगा कि हमें एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बनानी चाहिए जिसपर हमें पूर्ण रूप से गर्व हो।

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : Mr. Chairman, Sir, there was possibility of three types of reactions on the statement made by the Government on Samachar. The first reaction could be that the statement was correct and the formation of Samachar was a wrong step and it was proper to split it. The second reaction could be, as has been expressed by Shrimati Parvati Krishnan, that the constitution of Samachar was bad as was the proclamation of emergency and thus its splitting up was welcomed by the people as the revocation of emergency was welcomed by them. I never expected the third reaction. I was under the impression that the reaction of the Congressman will be the same as was that of Shrimati Parvati Krishnan. But their reaction was really surprising. They not only criticised Government's decision but also supported the formation of Samachar.

We had appointed a committee to consider this matter. The members of the committee had different views. But there is one point to be noted that Kuldip Nayar Committee was unanimous on the point that the creation of Samachar was a wrong step.

I was keenly waiting for the views of the Congress M.Ps on Samachar for some time past. Then eight of them said in a statement in 'National Herald' that if the Janata Government were anxious to avoid suspicion about its goal, it should restore P.T.I. and U.N.I., only taking due precautions to safeguard the Hindi and Indian language news agencies. They further said that failure to follow this simple and natural course of action would only expose in its true colour the real intention of the Janata Government despite its pertitudinous tongue-in-the-check pronouncements about its anxiety to restore full press freedom. Not only this, you will be surprised to hear the contents of another statement made some time in October by Shri Chavan while addressing the AINEC in which he said that "speaking in my individual capacity, I certainly stand for competitive news agencies".

Now if the Members of the Congress Party are opposing this decision of *status quo ante* it is because of political considerations. The restoration of *status quo ante* is the first step. We do not say that the previous condition was very good. I am myself a journalist and I know what was the financial position of the news agencies. The financial position of the news agencies as well as of the whole press suffered from weaknesses. Now the Government does

not want to make a law to remove all these weaknesses of the news agencies. All that Government wants is that the media, whether they are good or bad, should be allowed to tend for themselves and the Government should have a kind of helping role. The press should be allowed to grow by itself.

Mr. Stiphen had said that the creation of Samachar was a natural evolution. I say the creation of Samachar was not a natural evolution as claimed by him. But in fact it was a deliberate distortion of press structure. It was a deliberate design to make the news agencies serve as tools of the then ruling party for purposes of political aggrandisement.

I admit that the formation of Samachar was totally a wrong step. But there was no alternative left with us but to restore *status quo ante* first of all. What will be done after that I have expressed in my statement. I have said that the Government has come to the conclusion that at the moment the Government's role in the matter should be limited simply to the setting right this aberration. News agencies forced to merge under pressure and against their will during the Emergency should be allowed to function independently as they were doing earlier. It was then open to them, if they so desire, to cooperate or come together in order to ensure that they are able to play more effectively the pivotal role expected of them in the press set-up. I have further explained that Government feel that having created a climate of freedom, they should leave the development and expansion of news agencies to the press and the agencies themselves.

This logic is very simple. That is why I did not feel the necessity to say anything in my statement whether competition should or should not be there.

It may be pointed out that the Press Commission Constituted in 1952 had emphasised the point that there must be competition between different news agencies. This recommendation was accepted by the then Government. That is why some more news agencies were set up. But during emergency all the news agencies were amalgamated to form a single news agency of Samachar. Even leaving aside whatever was done by 'Samachar' during emergency, this news agency has not so far been able to establish credibility even after a lapse of seven or eight months. Whenever any news-item does not appear in the papers, the people say that there is invisible censorship. Even when there is any ordinary journalistic editorial lapse, that is seen with suspicion. One of the reasons for this is that there is only one news agency. It is therefore necessary that there should be competition.

In regard to making comments and use of expressions, the Press Commission had emphasised that news agencies should eschew any comments in their services. The expressions that a person made an impressive speech or that another let loose a tirade are really subjective judgments and these should not be avoided. The commission had further observed that the privilege of commenting should be left to newspapers, but what has happened without condemning or justifying the event, a certain amount of objective reporting explaining how it came to happen would appear to be legitimate.

But what has been happening during the emergency? The Kuldip Nayar Committee has given many examples out of which are, I think, is a classic one. On 16th November, 1976, the Samachar released the results of a nation-wide survey made through crews of Samachar reporters interviewing countless people from different strata of society in all corners of India, that the country

[Shri L. K. Advani]

wanted to consolidate the gains of emergency and not elections. This is what has been happening during the emergency. In this connection the Press Commission's view is sound and right from 1952 to 1971 and there is no change in regard to this view. There is a proposal for an autonomous corporation with reference to PTI only and this is a matter which should remain open.

There is no doubt that this solution is not an ideal one but in the given circumstances this is the only solution but this is not the ideal structure of the news agencies. I think, the proposed new Press Commission will go into this matter and will lay down an ideal structure of news agencies. This Government does not want to put any pressure on any journalist or newspaper. I am rather proud of this fact that during the last eight months we did not even try to put any kind of pressure on any journalist or newspaper.

I know that the Hindustan Samachar was not a viable agency but at the same time there is no doubt about it that it performed a wonderful job. It used to supply news not only to 110 newspapers but also to the All India Radio. Besides, it tried to make arrangements for supplying news not only in Hindi but also in other regional languages. On the other hand it is regretted that not a single language news agency was set up during the last 30 years. We have, therefore, decided to extend our full co-operation to those agencies which will take steps to make arrangements for supplying news in the regional languages.

So far as the journalists and other employees of this industry are concerned, we have already assured them that they will not be put to any financial or other loss. The Government will see that all those facilities which are being enjoyed by them now, are maintained in future also. We have, however, clearly declared our policy that while we want to maintain the dynamism of new agencies, we do not want that these agencies go on depending on government doles for a long. They should try to make themselves viable. In order to achieve this end it is expected that the subscribers, particularly the big newspapers and the All India Radio will give them full support. We are, therefore, trying to rationalise the subscription of A.I.R. But the big newspapers are also expected to pay their share. In this connection the Prime Minister himself has spoken about the possibility of a cess.

It is felt that the press should neither be subject to state control nor left entirely to the unregulated forces of the market. We do not believe in arm-twisting or pressurising the press. At the same time, we can not be indifferent to the public responsibility of the Press. We are at present, reverting to the old set up. We will, however, try to remove all the deficiencies found in this set up. I hope the proposed Press Commission will also help us in this matter.

सभापति महोदय : मैं अब सर्वश्री कंवर लाल गुप्त, युवराज, विनायक प्रसाद यादव और समर गुहा के स्थानापन्न प्रस्ताव क्रमश: संख्या 1, 2, 3 और 4 मतदान के लिए रखता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 से 4 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The substitute motion Nos. 1 *to* 4 *were put and negatived.*

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती पार्वती कृष्णन् का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है। इसलिए सभा को स्थगित कर दिया जाए ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इससे स्पष्ट हो गया है कि सत्ताधारी दल प्रेस की स्वतंत्रता में कितनी रूचि ले रहा है। खेद है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। यहां तक कि स्थानापन्न प्रस्ताव रखने वाले सदस्य भी उपस्थित नहीं है ।

सभापति महोदय : चूंकि गणपूर्ति नहीं है, इस लिए मतदान कल होगा। सभा अब कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसक पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 1978/11 अग्रहायण, 1899(शक)के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Elevan of the Clock on Friday, December, 2, 1977/Agrahayana 11, 1899 (Saka).

———

भा०स०मु०ना०—वि० 7—345 लोकसभा (नई दिल्ली)/77—21-3-78—200